खण्ड-292, अंक-1
शुक्रवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(27 अगस्त, 1971 ई0)

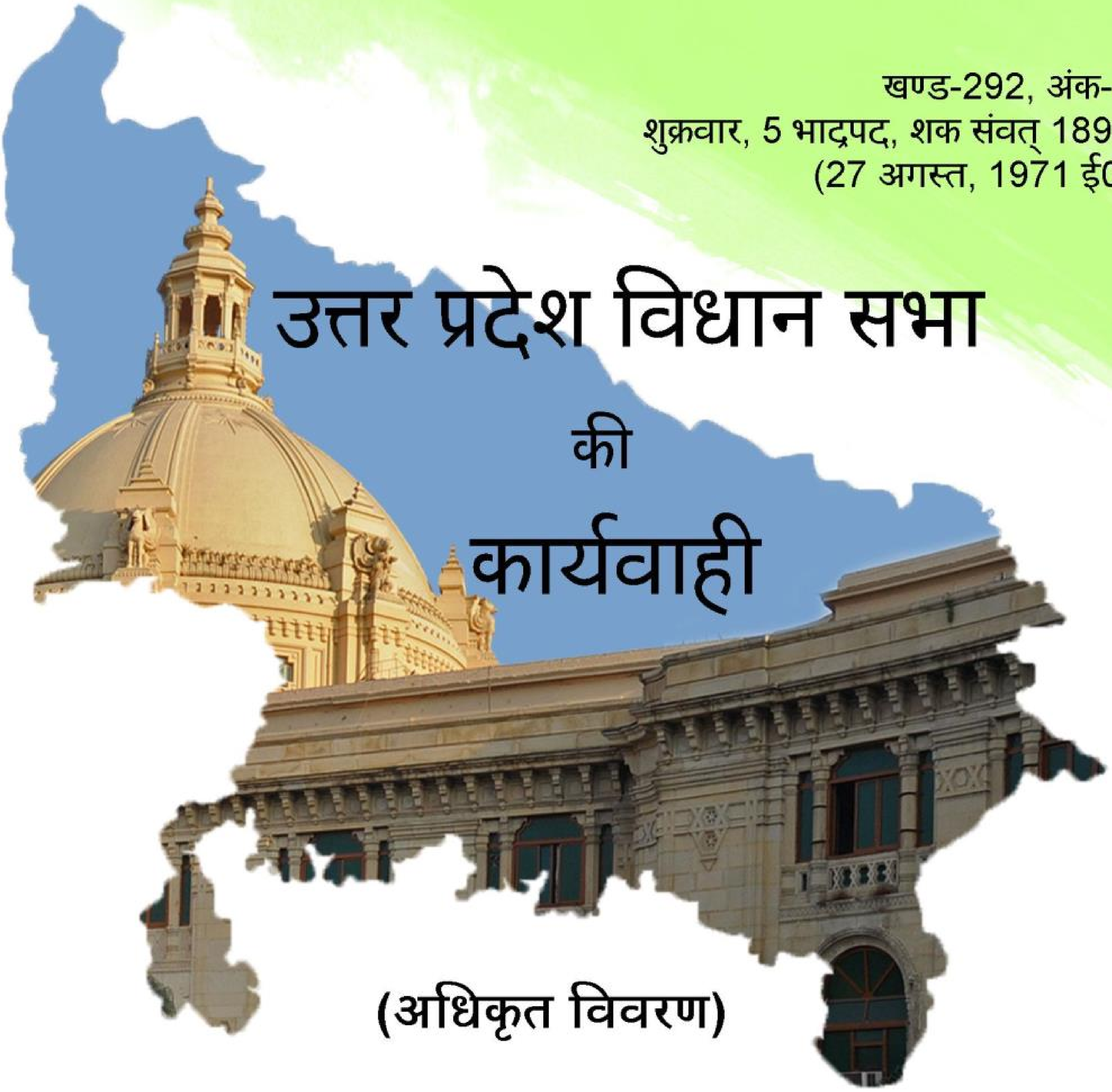

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
प्रश्नोत्तर	५—३४
विरोध पक्ष के सदस्यों के साथ मंत्रियों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा समुचित व्यवहार न करने के संबंध में शिकायत	३४—३६
बंगला देशवासियों की सहायतार्थ मंत्रियों तथा सदस्यों आदि द्वारा अपने वेतनों से की जानेवाली कटौतियों के संबंध में विभिन्न घोषणाएं	३६—३८
विविध विषय	३८—४०
पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	४०—४२
शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु अधिनियम बनाने के संबंध में याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	४२
इलाहाबाद जिला परिषद् की बी० टी० सी० के अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता होने के संबंध में वक्तव्य (जारी)	४२—४४
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में वक्तव्य ..	४४—४८
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरैरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पुरः स्थापित किया गया)	४८
१९७१—७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २२, उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्यपालन, अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४९—७०
अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	७०—९०
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ (स्वीकृत)	९०—१०२
दर्शक दीर्घा से सदन में फेंके गये पर्चों के संबंध में सूचना	१०२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१०३—१०४
गोंडा रेलवे स्टेशन पर बम बनाने का सामान पकड़े जाने के संबंध में वक्तव्य	१०४—१०७
नत्थी	१०८—११०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशो राम, श्री (जिला बरेली)
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशवर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन् नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव डाक्टर, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री

बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजा राम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेद्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)

राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरन सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन,श्री (जिला आजमगढ़,रानी की संराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, मिश्र
सूदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंस राज (उर्फ) हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बाढ़ की रोक थाम के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता

****१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष में प्रदेश में आने वाली बाढ़ के फलस्वरूप जो जानी-माली व खेती का नुकसान होता है उससे बचाने के लिये और बाढ़ रोकने के लिये, किस मात्रा में सहायता मांगी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

भारत सरकार को बाढ़ से हुई क्षति की सूचना देते हुए सहायता कार्यों के लिये तदर्थ आधार पर २० करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है। सिंचाई विभाग ने गंडक नदी पर नियन्त्रण के लिये एक मास्टर प्लान बनवाने का अनुरोध भी भारत सरकार से किया है और यह भी कहा है कि उस प्लान पर व्यय के लिये या तो भारत सरकार विषेष सहायता दे या पूरा मास्टर प्लान केन्द्र सहाय्यित परियोजना माना जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २० करोड़ की मांग की गई है वह किस आधार पर की गई है और इस कार्य के लिये २० करोड़ की ही आवश्यकता है या ज्यादा की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो आवश्यकता है उसी के आधार पर की गई है। इसमें अहेतुक सहायता, मकानों के लिये सब्सिडी और ऋण का रुपया भी शामिल है। पहले दस करोड़ की मांग की गई थी अब दस करोड़ की और की गई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह बताया जाय कि इसमें मकानों के लिये कितना है, लोन देने के लिये कितना है, बीज के लिये कितना है, सहायता कार्य के लिये कितना है, पशुओं की सहायता के लिये कितना है और बाढ़ रोकने के लिये साधनों के लिये कितना है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें बाढ़ रोकने के लिये सहायता शामिल नहीं है। गंडक नदी का नियंत्रण करने के लिये केन्द्र से कोई योजना बनाने के लिये कहा गया है और उसके लिये या तो भारत सरकार हमें विशेष सहायता दे या इस पूरी योजना को केन्द्र से सहायता प्राप्त योजना माना जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो २० करोड़ की सहायता की मांग की है उसमें से कितना रुपया आप को अभी तक प्राप्त हुआ है या उसके लिये आश्वासन मिला है कि वह दिया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अभी तक तो २ करोड़ रुपया ही ऋण के रूप में केन्द्र से मिला है और नियम यह है कि अहेतुक सहायता का जहां तक प्रश्न है ज्यादा रुपया इसमें मांगा गया है और जो रुपया उसमें मिलता है जब उस को हम खर्च कर लेते हैं उसके बाद उस की पूर्ति केन्द्र से होती है। वह ९० लाख मिला था वह हम अभी तक खर्च कर चुके हैं उसके बाद उस की पूर्ति होगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह मन्त्री जी बतायें कि किस-किस मद में कितना-कितना रुपया मांगा गया है और किस मद पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है तो इतना ब्योरा वह कहां से दे सकते हैं। (मंत्री जी से) अगर दे सकते हैं तो दे दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस २० करोड़ रुपए का विवरण इस प्रकार है जो मांगा गया है: ड्रेनेज के लिये २ करोड़ रुपया, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये ३५ लाख रुपया, दवाओं के लिये १५ लाख रुपया, टेस्ट वर्क के लिये २ करोड़ रुपया, गृह अनुदान के लिये १.५० करोड़ रुपया, गृह बनाने के लिये ऋण के लिये १ करोड़ रुपया, अहेतुक सहायता के लिये १.५० करोड़ रुपया, बीज के लिये १ करोड़ रुपया, जानवरों के चारे के लिये १ करोड़ रुपया, खाद के लिये ऋण के लिये ५ करोड़ रुपया और सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई विभाग के लिये ४ करोड़ रुपया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, परसों नर्सों वित्त मंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि बाढ़ के सिलसिले ६५ करोड़ रुपया मांगा गया था और कुल ६ १/२ करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है। तो यह जो वित्त मंत्री जी ने सूचना दी थी, उसका क्या आधार था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं उस सदन में नहीं था लेकिन मेरा खयाल है कि जो रुपया पहले मिला था वह असामयिक वर्षा से हुयी क्षति के लिए था। वह ही मिला।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उन्होंने असामयिक वर्षा से हुई क्षति के लिये कुल ५ करोड़ रुपया और बाढ़ के लिए ६ १/२ करोड़ मिला इसी सदन में कहा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दो बयान दोनों मंत्रियों के अलग अलग क्यों हैं ? माननीय राजस्व मन्त्री जी ने दूसरी बात कही और माननीय वित्त मंत्री ने दूसरी। जैसे बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा टीम भेजी गयी है, वैसी स्टडी टीम भी यहां पर नहीं भेजी गयी है। ऐसा मालूम होता है कि इस प्रदेश की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अतिवृष्टि से हुयी क्षति के लिए जो सरकार ने रुपया मांगा यह कब मांगा, और क्या बाढ़ की भीषण स्थिति को देखते हुए और गंगा, घाघरा और गंडक आदि नदियों में बाढ़ को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से और रुपया मांग कर के सहायता पहुंचायें गे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय सदस्य ने जो माननीय वित्त मंत्री के बयान की चर्चा की है, मैं समझता हूं कि या तो उनके कहने में या आपके समझने में किसी जगह भ्रम हो गया है। वास्तव में ६५ करोड़ रुपये की जो वर्षा से क्षति हुयी है, वह मांग की थी। १० करोड़ रुपये पहले मांग चुके थे जिस दिन माननीय मुख्य मन्त्री जी का बयान हो रहा था और १० करोड़ रुपया अभी २ रोज पहले हमने मांग की है।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) —

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि बाढ़ की मदद के लिये जो रुपया आया है, क्या आप की लिस्ट में पश्चिमी इलाके में जो गंगा और यमुना से बाढ़ आयी है, उसका सर्वे कराकर उसके लिए भी प्रौविजन है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाढ़ से हुयी क्षति के सर्वे की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ से सम्बन्धित जितने तथ्यों की आवश्यकता है, ये हमारे पास हैं, । अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। गंगा और यमुना से हुयी बाढ़ से क्षति के लिए भी उसी प्रकार से सहायता करेंगे जिस प्रकार से दूसरी जगहों पर करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

श्रीमन्, बहुत से ऐसे बांध हैं जो इस बाढ़ में टूट गये हैं, वे न तो बनाये गये हैं और न उनकी मरम्मत हुयी है वे चाहे इर्रीगेशन विभाग ने बनाये हों या और विभागों ने। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि आप के विभाग से इन सब का कोई प्रबन्ध नहीं होता, मरम्मत वगैरह का, इनको इर्रीगेशन को ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जितने बांध हैं, कुछ को तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर दिया है और कुछ को नहीं लेकिन बाढ़ से के सिलसिले में हमने सभी जिलाधीशों को हिदायत दे दी है कि जहां कहीं किसी बांध की भी मरम्मत की आवश्यकता हो, जो अभाव सहायता कोष होता है, उससे यथासम्भव उनको भी दुरस्त करा दें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय मन्त्रीजी ने अभी कहा कि २ करोड़ रुपया बाढ़ की क्षति पूर्ति हेतु कन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पर प्राप्त हो चुका है, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई आश्वासन दिया है कि कितना रुपया कन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पर बाढ़ की क्षति पूर्ति के हेतु दे पायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिए न तो हमने कोई आश्वासन मांगा और न कोई दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बीस तारीख को चार घंटे बहस होने वाली है। आप उस समय बोल सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप जान लीजिए कि सारा प्रदेश तबाह हो रहा है। प्रदेश ने इसके लिये कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, पांच मिनट और चलने दीजिए। एक राउन्ड प्रश्नो का और होने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछले साल इतनी बाढ़ नहीं आई थी फिर भी लोक सभा के इलेक्शन के पहले ज्यादा रुपया इसके लिये दिया गया था बनिस्बत इस साल के।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, उस समय के आंकड़ें तो मेरे पास नहीं है कि कितना रुपया दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतायेगी कि गंडक मास्टर प्लान के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश दिये हैं। क्या उसको केन्द्रीय सरकार खुद बतायेगी या राज्य सरकार बनायेगी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, अभी तक उसके ऊपर विचार हो रहा है। कोई निर्णय नहीं हुआ है कि कौन बनायेगा और कौन नहीं बनायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी जो जिलों में बाढ़ है, उसमें सहायता के लिये काम होगा या बाढ़-पीड़ितों को जो सहायता दी जायगी इनको केवल जिलाधीश के हाथ में न रखकर आप उनको यह डायरेक्शन देंगे कि वे स्थानीय विधायकों को बुलाकर उनका परामर्श बाढ़ का जो रुपये का बटवारा है, जो इन्तजाम है उन सबमें भी उनको कान्फीडेन्स में लें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, हम कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं कर पायेंगे कि हम यह कहें कि जिलाधिकारी वहां के जो विधायक हैं उनको बुलाकर उनके मार्फत वितरण करें लेकिन जितने भी विधायक हैं चाहे माननीय विधायक इस तरफ के हो या उस तरफ के हों, हम चाहते हैं कि वे नियंत्रण करते रहें और श्रीमन, हर जिलाधिकारी को मैं इस बात के आदेश दे दूंगा कि उनके जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे भी बराबर परामर्श करें और परामर्श करने के बाद इस सहायता के कार्य को चलायें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नारायणी नदी के बाढ़ से देवरिया जिला अत्यन्त प्रभावित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देवरिया जिले के लिये जो सहायता केन्द्र से आई है उसके लिये उस जिले को कितना हिस्सा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

केन्द्र से आई हुई सहायता का कोई हिस्सा किसी को बांटने के लिये नहीं दिया गया है। वह तो ऋण के रूप में आया है और हम जो सहायता दे रहे हैं वह अहेतुक सहायता के रूप में दे रहे हैं। उसकी भी जहां जरूरत पड़ती है उपयोग में ले लेते हैं। उसका कोई बटवारा नहीं है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने अभी बताया कि केन्द्रीय सरकार से दो करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई और ९० लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। क्या जो सहायता नहीं मिल पाई है जो आपने मांग की है यह कारण है कि आपके डिपार्टमेन्ट में इनएफिशियन्सी है और उसकी वजह से ही ९० लाख रुपये खर्च किये और नहीं किये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इस समय तक ९० लाख रुपये से बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बाढ़ सहायता कोष से आप सहायता देते हैं, पर्वतीय जिलों में जहां भूस्खलन हो रहा है क्या वहां भी यह सहायता देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जरूर देंगे।

जिला शाहजहांपुर तहसील तिलहर, के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

**२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक ८ अगस्त, १९७९ से शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर तथा जलालाबाद में रामगंगा, गंगा, बहगुल, सोत, अरल, उबरी नाला में भयानक बाढ़ आई है और हजारों लोग प्रभावित हुए व हजारों एकड़ खरीफ नष्ट हो गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर परगना खेड़ा बझेड़ा के पांच गांव, बरी, प्रसिद्धपुर, गोटिया, नगला, कन्हानी टापू में घिर गये हैं और अन्य संसार से उनका संपर्क बिल्कुल कट गया है ? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त इस विषय में क्या कार्यवाही की और बाढ़ पीड़ितों को तुरन्त क्या सहायता व मदद पहुंचाई गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, इन नदियों में बाढ़ आई। ७७,४०० व्यक्ति प्रभावित हुए व ३६,४५० एकड़ खरीफ की फसल को क्षति पहुंची।

तहसील तिलहर के कथित ग्राम पानी से घिर गये थे। लेकिन आवागमन नावों के जरिये होता रहा। इन ग्रामों की आबादी में पानी नहीं आया और व सुरक्षित रहे। बाढ़ पीड़ितों को ९ ००० रुपये सहायता के रूप में बांटे गये। कटाव से पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया व उनके पुर्नवास के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो उन्होंने इन्तजाम किया है उससे कम से कम मुझे संतोष है लेकिन एक बात चाहूंगा कि ये जो पांच गांव है, वहां एक नाला है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और ये गांव कट जाते हैं, तो क्या मंत्री जी सिंचाई विभाग द्वारा खुद ही २५—३० हजार रुपये से वहां एक पुल बनाने की व्यवस्था करेंगे ताकि ये गांव कटकर संसार से अलग न हों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हम सिंचाई विभाग से जरूर कहेंगे कि देख लें और हम स्वयं भी देख लेंगे। कभी कभी कुछ नाले हम भी दुरुस्त करा सकते हैं। लेकिन जब इन्जीनियर की रिपोर्ट आ जायेगी तब उसके बाद इस कार्य को करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे एक माननीय सदस्य कई बार खड़े हुए और उन्होंने कई बार व्यवस्था का प्रश्न किया, परन्तु आपका ध्यान उधर नहीं गया। उनका सवाल भी उसी प्रश्न से संबंधित था। कृपा करके आप इनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बीच में मैं व्यवस्था नहीं दे सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर प्रश्नों के संबंध में कोई अनियमितता हो रही है तो आप से न कहें तो फिर किससे कहें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, व्यवस्था किस बात की ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

फिर आपका ध्यान कैसे आकृष्ट किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

इस तरह के व्यवस्था के प्रश्न उठाने का नतीजा यह होगा कि १ घन्टे प्रश्नों का समय ऐसे ही समाप्त हो जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

दूसरों को तो आप अनुमति दे देते हैं । जो शान्तिपूर्वक रहते हैं और आपसे प्रश्न चाहते हैं उनके ऊपर आप नियम लागू करते हैं । यह तो अच्छा नहीं है कि आप दूसरों पर उन नियमों को लागू न करें ।

श्री अध्यक्ष---

बहुत से लोग बोलने लगते हैं, यह ठीक नहीं है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

मैं कई बार खड़ा हुआ और आपने मुझे मौका नहीं दिया । माधो बाबू ने अपने एक साथी के लिये आपका अभी 2 मिनट का समय ले लिया । मान्यवर, अगर आप कुछ खास वरिष्ठ नेताओं को बोलने देंगे तो आप तो हम नये लोगों का यहां आना ही बेकार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

जब किसी पार्टी के कोई नेता खड़े होते हैं तो उनको अवसर दिया जाता है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

जो यहां कुछ खास नेता हैं आपने उनको बोलने का समय दिया और हम नये लोगों को नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

वे नेता पार्टी के हैं ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

अगर आगे आकर जबरदस्ती हम बैठ जाएं तो यहां कार्य संचालन में बड़ी मुसीबत हो जायेगी ।

श्री बांके लाल---

क्या नेता ही चुन कर आये हैं, हम नहीं आए हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप बोल चुके हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

श्री सुरेन्द्र विक्रम के प्रश्न के उत्तर में तो मंत्री जी ने शाहजहांपुर के बारे में बता दिया, परन्तु मैं वाराणसी के बारे में बताऊं कि न मुख्य मंत्री संतुष्ट हैं और न मैं सन्तुष्ट हूं । वहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात ठीक नहीं है---आप प्रश्न पूछें ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं इस पर प्रश्न पूछ रहा हूं। विधायकों के बल पर सरकार बनती है। जिलों में सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो भी सरकार बनती है, चाहे कोई भी हो, मैं भी सरकार में रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल पूछें। यह सवाल कहां है? आप तो जानकारी दे रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

इनको तो कोई जानकारी है नहीं, मैं ही इनको जानकारी दूंगा। सरकारी कर्मचारी जिलों में ला एन्ड आर्डर के लिये रहें और बाढ़ वगैरह के कार्यों के लिये शुद्ध विधायकों की समिति का गठन करें। विधायक ही समिति का चेयरमैन बने और सारी जिम्मेदारी शुद्ध रूप से विधायकों की रहे। जहां तक ला एन्ड आर्डर का मामला है उसको कलेक्टर देख लें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, इस प्रकार की समिति का गठन प्रान्तीय स्तर पर हो रही है। इसके पश्चात् जिला स्तर पर किसी समिति की आवश्यकता नहीं रहेगी।

प्रदेश में शराब की नयी दुकानें

**३---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--- सं - 292, 271

क्या सरकार प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों? जब कि सरकार की पूर्व घोषित नीति ऐसी दुकानें न खोलने की है?

कारागार तथा आबकारी उपमंत्री (श्री राम पूजन पटेल)---

आबकारी की नई दूकानों के न खोलने की सरकार की पूर्व घोषित नीति में किसी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं, यह विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मंत्री जी ने उत्तर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न इन्हें लिखना आता है और न पढ़ना आता है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई लिख दिया है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं मंत्री जी को उस मूर्ति का स्मरण कराना चाहता हूं जो कि सदन के सामने है और जिनकी जन्म शताब्दि हम मना रहे हैं। जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तब श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो कि उस समय मंत्री थे मद्य निषेद्ध की नीति का संकल्प किया था। ४ नगरियों का भी उल्लेख किया था कि वहां पर मद्य निषेध होगा। यह भी सरकार की नीति थी कि आगे अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। तो माननीय मंत्री जी बतलावें कि अब कौन से कारण हो गये कि जो सरकार के विचाराधीन आ गये?

कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो कथन है कि गांधी शताब्दी में यह संकल्प था वह सही था लेकिन गांधी शताब्दी में एक साल के लिये वह संकल्प था। अभी दूसरा विचार नहीं है और कोई नई दुकन नहीं खोली गई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या यह सही है कि अगले वर्ष या इस वर्ष एक बहुत बड़ी शराब की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में खुलने जा रही है? इसके लिये लाइसेंस दिया जा रहा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

योजना बनाना एक बात है नई दुकान खोलना यह दूसरी बात है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कोई शराब की फैक्ट्री खुलने जा रही है इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

बस्ती में खुलने जा रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं, मान्यवर, जानना चाहता था, आज अखबारों में निकला है, क्या यह सही है कि शराब की फैक्ट्री इस वर्ष या अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में खुलने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ऐसी कोई दुकान जिसके लिये आपने कहा है खोलने का गवर्नमेन्ट का फैसला नहीं हुआ है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मंत्री जी को पता है कि . . .

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कृष्णानन्द राय जी को बोलने को कहा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गांधी शताब्दी वर्ष में जब सरकार ने कोई नई शराब की दुकान खोलने का ऐलान किया था, खास लखनऊ में हजरतगंज में एक शराब की दुकान खोली गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, सूचना के आधार पर ऐसी कोई सूचना नहीं है कि गांधी शताब्दी में कोई दुकान खोली गई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि विदेशी शराब के उत्पादन के लिये कोई नया लाइसेंस सरकार देने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अब तक ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं उसी तरह से मिर्जापुर क्षेत्र में जो स्थान है और जो लोग विन्ध्याचल पूजा करने आते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को ड्राई घोषित करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, प्रश्न साफ नहीं हुआ है, माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे ।

श्री राम प्यारे ---

क्या मंत्री जी मिर्जापुर के आदिवासी क्षेत्र में भट्टियां समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और न कोई मांग है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय चौधरी चरण सिंह के समय में मोहननगर, गाजियाबाद में एक लाइसेंस दिया गया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ऐसी कोई सूचना नहीं है । माननीय सदस्य लिखकर दें तो पता लगाऊंगा ।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और यह देखते हुए कि जनतंत्र पर आघात पहुंच रहा है और लोग शराब पीकर खराब हो रहे हैं सदन को आश्वासन देंगे कि भविष्य में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह पालिसी कैबिनेट के ऊपर आधारित है । जो डिसीजन कैबिनेट लेगी उसकी बिना पर ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी को याद है क्योंकि वे गांधी जी के चेले रहे हैं । गांधी जी कहा करते थे कि मैं भारत को कंगाल देखना पसंद करूंगा . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप भाषण न दीजिये । प्रश्न पूछें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस वर्ष विदेशी शराब का ठेका देने जा रहे हैं !

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है ।

सेन्ट्रल जेल, वाराणसी के कैदी मंजूर खां को मुक्त करने की मांग

**४ श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैदी संख्या ६७१५, मंजूर खां, सेन्ट्रल जेल, वाराणसी जिसको कि २२ वर्ष या २३ वर्ष सजा काटते हुए हो गये हैं, को अब तक किन कारणों से मुक्त नहीं किया गया, और उसको क्या सरकार शीघ्र ही मुक्त करने पर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम पूजन पटेल---

बन्दी मंजूर खां को सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के न्यायालय से दिनांक ३१-८-१९४९ को धारा ३९६ भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत आजन्म कारावास का दन्ड दिया गया था । दिनांक २०-८-७१ को बन्दी ने वर्ष ११ मास १९ दिवस का अपरिहार दन्ड भोगा है

उसको अभी तक इसलिए मुक्त नहीं किया गया कि रिवाईजिंग बोर्ड ने बन्दी को समय से पूर्व छोड़ने की संस्तुति नहीं की थी और जिला प्रशासन ने भी बन्दी को एक खतरनाक अभियुक्त बताया था। शासन बन्दी की मुक्ति के प्रश्न पर पुनः विचार कर रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह भावना क्या है जिसके आधार पर लम्बी कैद के बन्दियों को लगभग आधी कैद पर या उससे कम कैद पर छोड़ा जाता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमान्, अलग-अलग दफाओं के अलग-अलग आधार हैं। माननीय सदस्य कोई एक सेक्शन पूछें कि उसमें किस आधार पर छोड़ा जाता है तो बताया जाय।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मैंने वह भावना पूछी जिसके आधार पर ऐसी लम्बी कैद वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और वह भावना इस बंदी के साथ क्यों नहीं दिखाई गयी जिसको कि २२ वर्ष कैद काटते हो गये। क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग ने इस बंदी को २२ वर्ष तक क्यों नहीं सुधारा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह ताजीरात हिंद की दफा ३९६ का कैदी है। दफा ३९६ के जो कैदी होते हैं उनके केस रिवाइजिंग बोर्ड के सामने जाते हैं और उसकी संस्तुति पर ही छोड़ा जाता है। १४ वर्ष बाद बोर्ड के सामने पत्रावली प्रस्तुत की जाती है। इनकी पत्रावली भी रिवाइजिंग बोर्ड के सामने गयी थी और उसने संस्तुति की है कि इनको न छोड़ा जाय। दुबारा राज्य सरकार ने बोर्ड को हिदायत दी है कि वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

जिला प्रशासन ने उसको जो खतरनाक मुलजिम बताया है, तो जो मुलजिम २२ वर्षों से जेल में बन्द है उसका उनको कैसे पता चला कि वह खतरनाक है

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैंने अभी निवेदन किया था कि इसके लिये एक रिवाइजिंग बोर्ड सेन्ट्रल जेल में कायम होता है जो ऐसे कैदियों के बारे में विचार करता रहता है और अपनी रिपोर्ट देता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

जिलाधिकारियों ने यह लिखा कि वह खतरनाक है, जिस जेल में वह बन्द है, क्या उस जेल के अधिकारियों ने भी लिखा कि वह खतरनाक है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

रिवाइजिंग बोर्ड में जेल का सुपरिन्टेंडेन्ट भी होता है।

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार की जानकारी में ऐसी बात तो नहीं आयी है कि इस मुलजिम के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो यह नहीं चाहती कि उसको छोड़ा जाय ? बहुत से लोग प्रयत्न करते रहते हैं कि अमुक कैदी को न छोड़ा जाय, तो ऐसी बात तो नहीं है इसके पीछे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसी बात नहीं है। इसके लिये तो जो बोर्ड बना है उसमें जिला जज, जिलाधीश तथा सुपरिन्टेंडेन्ट जेल, इन तीन का बोर्ड होता है जो अपनी रिपोर्ट देता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह बात सही है कि इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिये मंत्री जी पर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को वन उपज की विक्रय

*१—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग द्वारा कौन-कौन सी वन उपज स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को और किस-किस दर पर विक्रय की जा रही है ?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

वन विभाग द्वारा चीड़ की लकड़ी तथा वावड़ घास स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को निम्नलिखित दरों पर विक्रय की जा रही है :—

(१) चीड़ की झावा झुन्डी १ रुपये में ८ घनफीट

(२) चीड़ के पेंचदार खड़े पेड़ जिनमें इमारती लकड़ी १० प्रतिशत से अधिक न हो। ४० पैसे प्रति घनफुट

(३) चीड़ के छटान के वृक्ष

०"–४" व्यास	२,१/२ पैसे प्रति वृक्ष
४"–८" व्यास	१७ पैस प्रति वृक्ष
८"—१२" व्यास	३–५० रूपया प्रति वृक्ष

(४) वावड घास

५–२५ रूपया प्रति मन (४०किलोग्राम का) लोडेड कन्ट्रेक्ट तथा ७६ पैसा प्रति मन (३७–५ किलोग्राम का) रोयल्टी कन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत।

*२—गोविन्द सिंह नेगी —

क्या इस सम्बन्ध में सरकार के साथ उपरोक्त मिल के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है ? यदि हां, तो उसकी अवधि क्या है ? क्या उसकी प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री गुलाब सिंह —

चीड़ की लकड़ी देने क लिए उपरोक्त मिल तथा सरकार के मध्य एक एग्रीमेन्ट हुआ है जिसकी अवधि १–१०–६१ से २० वर्ष तक है। एग्रीमेन्ट की प्रति माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

वावड़ घास को लोडेड कन्टैक्ट तथा रोयल्टी कन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत उपर्युक्त मिल को दिये जाने से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट को अन्तिम रूप दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि २८ मई, १९६६ को तत्कालीन वन मंत्री श्री ओमप्रकाश सिंह ने स्टार पेपर मिल, के हलद्वानी स्थित गोदाम में छापा मारा था और वहां उन्होंने पाया था कि यह लकड़ी १० परसेंट के बजाए ७ परसेंट सीधे रेशे की इमारती लकड़ी है ? यदि हां, तो क्यों नहीं इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया गया ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

श्रीमन्, इसकी मैं जांच करा लूंगा और सही होगा तो जो कार्यवाही उचित होगी आगे करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, नेगी जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि वह एग्रीमेंट हमारे कमरे में आकर देख लें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रिविलेज केवल नेगी जी का है कि कमरे में जाकर देख सकते हैं या सारे सदन के सदस्यों को है कि यदि वे चाहें तो देख सकते है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमन्, इस तरह के उत्तर दिलाना बन्द करें, कि मंत्री जी कहते है कि हमारे कमरे में देख लें। या तो वह यह कहें कि सीक्रेट है नहीं दिखा सकते हैं या यह कहें कि इसे सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष --

उसे सभी सदस्य देख सकते है, केवल नेगी जी ही नहीं। जो डाकूमेन्टस बड़े, विस्तृत होते हैं, उनके बारे में इस तरह का उत्तर वह दे सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या यह सही है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार कीमतें हर तीसरे साल रिवाइज होनी चाहिए लेकिन सन् ६० से ६८ तक यह रिवाइज नहीं हुई है ? सन् ६८ में केवल ४ पैसे की वृद्धि की गई थी, जब कि जंगल के नीलाम के मुताबिक कीमतें १६ गुना बढ़ गई है ?

श्री गुलाब सिंह --

एग्रीमेन्ट में लिखा है तीन साल में दुबारा रिवाइज करेंगे और सन् ६६ में रिवाइज किया गया है इसकी कीमतों को। लेकिन एग्रीमेंट में एक क्लाज ऐसा है कि यदि दोनों पक्षों अर्थात स्टार पेपर मिल और सरकार के बीच आपस में कोई मतभेद हो तो सरकार के जूडिशियल डिपार्टमेन्ट को मध्यस्थ बना दिया जाएगा। तो इस समय यह मामला जूडिशियल विभाग के पास है, इसीलिए यह अब तक रिवाइज नहीं हो सका।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात क्या सही है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार इस लकड़ी का इस्तेमाल केवल कागज बनाने के लिए करना चाहिए ? यदि हां तो सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसे देखने के लिये कि इसका इस्तेमाल कागज बनाने में ही हो रहा है या अन्य चीजों में भी ?

श्री गुलाब सिंह --

इस बात की व्यवस्था है और एग्रीमेंट में भी है। जब इस बात का ख्याल रखा जाता है

कि १० प्रतिशत से कम वाली लकड़ी हो तो दूसरी लकड़ी होगी नहीं। इसलिए उसका इस्तेमाल कागज के अलावा और दूसरे कामों में नहीं हो सकता ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

जब यह आश्वासन दिया गया था कि जो तत्कालीन मंत्री जी ने लकड़ी पकड़ी थी, उसकी हम जांच करेंगे, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सन् ६० से अगस्त, १७ तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों इंक्वायरी नहीं की ? प्रशासन क्या करता, रहा इस विषय पर ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

वह जो कमेटी बनी थी, उसकी जांच की सूचना मेरे पास नहीं है, यदि कहेंगे तो उसे दे दूंगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा ---

उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जैसा आपने कहा है हम इस एग्रीमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, तो आप कितने समय बाद कर सकते हैं ? और अब तक कितने बार आपने करने की कोशिश की है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

२० साल के लिए है, उसके बाद रिवाइज हो सकता है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि ६० में जब यह एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके बाद यह मामला इस सदन में उठा था और सदन में यह चार्ज लगाया गया था कि इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण कांट्रेक्ट उसे क्यों दिया गया है और सरकार को जिस रेट से कंट्रेक्ट दिया है उस रेट में घाटा हुआ उस समय आश्वासन हुआ था कि जब कंट्रेक्ट रिवाइज होगा तो जो मार्केट रेट होगा उस पर कंट्रेक्ट रिवाइज किया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि उस आश्वासन को ध्यान में रख कर जो रिवाइज करने जा रही है या रिवाइज कर चुकी है, मार्केट प्राइस को ध्यान में रख कर रखा गया है या नामिनल बदल कर फिर कर दिया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

हमारे प्रदेश में एक ही पेपर मिल है। यहां जो उनको पेड़ या घास देते हैं नामिनल रेट्स पर देते हैं।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढवाल)---

आपने तो निश्चित समाजवाद लाने की बात की है ।

श्री अध्यक्ष ---

आप सवाल पूछिए ।

श्री इन्द्रमणि---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस भाव में लकड़ी ठेकेदार साहब को देते हैं इसकी बाजार कीमत लगायी जाय तो कितनी कीमत होगी और इनको आप कितनी कीमत पर देते हैं ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी)

सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय ओमप्रकाश सिंह ने छापा मारा था, अब तक इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी कि आपके ऊंचे से ऊंचे अधिकारी स्टार पेपर मिल-वालों से मिले हुए हैं ? यदि हां, तो क्या स्पष्ट आश्वासन देंगे कि यदि यह बात सत्य निकली तो वह इस ऐग्रीमेंट को रिसाइंड कर देंगे ?

श्री गुलाबसिंह ---

मान्यवर, इसमें तथ्य पाया गया तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल है ऐग्रीमेंट के सम्बन्ध में लेकिन जो सजा देने की बात होगी वह की जायगी उनसे प्राइस ले ली जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे ---

मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया कि सूबे में एक ही पेपर मिल है इस लिए कंसेशन कर दिया गया जो आश्वासन उस समय दिया गया था उस आश्वासन को सरकार ने अलग करके फिर अपने मन से निर्धारित रेट पर कंट्रेक्ट दिया है यह क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह ---

जो उस वक्त आश्वासन दिया गया था उसी को सोच कर फिर से रेट्स बनाये गये हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

एक ही पेपर मिल हैं मंत्री जी ने कहा इसकी वजह से कम रेट पर दिया गया जब कागज का मूल्य बढ़ गया तो लकड़ी जो दी जाती है उसका मूल्य बढ़ाने में सरकार को क्या बाधा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

हर तीसरे साल रेट्स रिवाइज होते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हर साल उनका रेट बढ़ा दिया जाता है।

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के बिना तसदीक किये हुये पट्टे

*३---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या राजस्व मन्त्री बतावेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत कितने पट्टे बिना तस्दीक के पड़े हुए हैं और क्या यह सही है कि उक्त पट्टे लम्बे अर्से से तस्दीक नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के अन्तर्गत केवल ४१ पट्टे, जो कि अप्रैल १९७१ से जून १९७१ तक की अवधि के हैं, तस्दीक होने के लिये शेष हैं। उक्त पट्टे पट्टेदारों के ही पास हैं और वह भूमि अच्छी न होने के कारण समर्थन कराने के इच्छुक नहीं हैं इसलिये समर्थन हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं।

चौधरी राम पाल सिंह यादव---

क्योंकि खराब भूमि के पट्टे हुए हैं इसी लिये पट्टेदार उनको तसदीक नहीं कराना चाहते। क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन भूमिहीनों तथा हरिजनों को खराब भूमि के पट्टे जिन लेखपालों, प्रधानों तथा तहसील के कर्मचारियों ने किये हैं उनके खिलाफ वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । जो भूमि अवेलेबिल होगी वही दी जायगी । अगर खराब जमीन मिलती है तो अच्छी कहां से देंगे ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या प्रदेश के भूमिहीनों तथा हरिजनों को खराब भूमि के पट्टे देने का कोई आदेश दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय सदस्य को यह जानकर संतोष हो जायगा कि ५२६ पट्टे किये गये थे उनमें से केवल ४१ पट्टों की भूमि को खराब समझकर वे तसदीक कराने नहीं जा रहे हैं । इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ज्यादातर अच्छी भूमि दी गयी है जिसे लोगों ने पसन्द किया है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जिन भूमिहीनों को खराब भूमि के पट्टे करवाये गये हैं उनको अच्छी भूमि के पट्टे कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अगर भूमि अवेलेबिल होगी तो दिलवायेंगे ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

विभाग द्वारा जो भूमिहीनों के लिये भूमि वितरण के आदेश गये हैं उनमें क्या इस प्रकार का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि खराब भूमि के पट्टे न किये जायं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है । एक भूमि किसी की नजर से अच्छी हो सकती है और दूसरे की नजर से खराब हो सकती है ।

श्री रामकुमार दीक्षित—

जिन्हें भूमि के पट्टे दिये गये हैं और जो उसकी तसदीक नहीं करा रहे हैं तो उस भूमि के पट्टे दूसरे किसान को देने की कृपा करेंगे जो उसको लेने को तैयार होंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अन्ततोगत्वा अगर वह तसदीक नहीं करायेंगे तो यही करेंगे ।

श्री राम कुमार दीक्षित—

सरकार का स्पष्ट स्पष्टीकरण न होने के कारण बेचारे गरीब भूमिहीनों को ऊसर भूमि के पट्टे कर दिये जाते हैं और गांव के दूसरे चतुर लोग अच्छी भूमि के पट्टे करा लेते हैं तो क्या ऐसा स्पष्टीकरण कर दिया जायगा कि ऊसर भूमि के पट्टे न किये जायं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि ऊसर भूमि क पट्टे न किये जायं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

डेरापुर तहसील में पिछले १० साल से करीब ७०० पट्टे बिना तसदीक के पड़े हुए हैं और उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट की गयी है कि यह पटटे सही नहीं हैं तो मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे और जिन्होंने गलत सूचना भेजी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि यह बात सही निकली तो उचित कार्यवाही की जायगी लेकिन माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि हमारा काम सहल हो जायगा यदि वह लिख कर देंगे कि किन-किन पट्टों की तसदीक नहीं हुई।

[२७ अगस्त, १९७१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के वनों में अवैध रूप से शिकार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९७० से २० मई, १९७१ तक प्रदेश के वनों में अवैध रूप से शिकार करते हुये कितने व्यक्ति पकड़े गये और उन पर क्या जुर्माना किया गया ? उनमें फौज पुलिस व सिविल के अधिकारी एवं कर्मचारी कितने हैं और साधारण नागरिक कितने हैं ?

श्री गुलाब सिंह—

१ जून, १९७० से २० मई, ७१ तक प्रदेश के वनों में अवैध रूप से शिकार करते हुये १०२९ व्यक्ति पकड़े गये। मुआवजे के रूप में ९१,९३५ रुपया वसूल किया गया। इनमें ६ फौज, ३२ सिविल के अधिकारी व कर्मचारी हैं। पुलिस का कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। साधारण नागरिक ९९१ हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि ३२ सिविल कर्मचारी शिकार करते हुए पकड़े गये तो उनमें अधिकारियों के नाम पढ़ दें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पूरी सूची मेरे पास नहीं है लेकिन उनमें से दो आफिसर्स के नाम ये हैं। एक एम० पी० सिंह, वेटेरिनरी आफिसर थे और दूसरे डाक्टर मांगलिक, सर्वे आफ इंडिया, देहरादून के थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों को कितना-कितना जुर्माना किया गया और क्या इनके लाइसेंसों के सस्पेंशन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया अथवा यू० पी० गवर्नमेंट को मूव किया गया ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, सर्वे आफ इंडिया के जो अधिकारी थे उनको ५०—५० रुपये और जो फौज के अधिकारी थे उनको १५०—१५० रुपये का जुर्माना किया गया। वेटेरिनरी के जो अधिकारी थे उनके केसेज पेंडिंग हैं अतः कोई जुर्माना नहीं किया गया।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस विषय पर एक प्रस्ताव पास किया था और इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई थी ? उसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अवैध रूप से शिकार करते पकड़े जायं तो उनको इस कमेटी के सामने लाया जाय और जितने भी उनके आर्म्स और लाइसेंस हैं उनको कैंसिल किया जाय और साथ ही उनकी चरित्र पंजिकाओं में इन्ट्री भी कर दी जाय। साथ-साथ सम्बन्धित विभागों को भी लिख दिया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला उक्त कमेटी में गया अथवा नहीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ये जो दो अधिकारी पकड़े गये हैं उनके सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके आर्म्स वगैरह सस्पेंड किये जायं, तो इस प्रकार का हमारा कोई अख्तियार नहीं है। जो कमेटी बनी थी उसकी अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई और उसके सामने यह मामला जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि इन अधिकारियों से व जनरल विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री गुलाब सिंह—

कोई मिलीभगत नहीं थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं, कहने का क्या आधार है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैं इससे संतुष्ट हूं।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम बना रखा है कि जब कोई व्यक्ति शिकार करते पकड़ा जाय तो फारेस्ट ऐक्ट के तहत शिकार करने के लिये जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं जैसे जीप है, गन है...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें ।

श्री हबीब अहमद—

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। तो उन सारी चीजों का वेल्युएशन लगाया जाता है कि राइफल और बन्दूक पर ५–५ सौ रुपया और जीप या मोटर पर ५–५ हजार रुपये का जुर्माना होता है। ऐसे आदेश भी सरकार की तरफ से चले गये हैं। तो इन अधिकारियों के ऊपर भी इस तरह जुर्माना होना चाहिए। मैं इसके साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि ये जो अधिकारी शिकार करते हुये पकड़े गये उनके साथ कौन-कौन सी चीजें थीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जो शिकार करता है उसी को जब्त किया जाता है और कोई चीज जब्त नहीं की जाती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ये जो लोग शिकार करते हुये पकड़े गये थे, फोरेस्ट एरिये में पकड़े गये किन्तु प्लेन एरिये में शिकायत करने के लिये जिस प्रकार महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ और फारेस्ट एनिमल ऐक्ट बना है, क्या उसी प्रकार हमारे यहां भी बना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, ऐसा ऐक्ट बन चुका है और वह जल्दी ही आ जायेगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद में दुद्धी क्षेत्र में सुअर और हिरण बहुत हैं जो कि किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि मान्यवर, इनको मारने में रोक लगा दी गई है अतः इससे बचने के उपाय पर क्या सरकार विचार कर रही है और जो क्षति किसानों को होती है उस सम्बन्ध में उन्हें कोई मुआविजा देने के बारे में भी सरकार विचार करेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो कमेटी बनाई थी ऐसी कोई कमेटी फंक्शन नहीं कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि पिछले वाइल्ड लाइफ बोर्ड में एक प्रस्ताव आया था और उसमें वह कमेटी बनाई गई है किन्तु जानबूझ कर उस कमेटी द्वारा कोई केसेज नहीं कराये जा रहे हैं और पहले के मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था। तो माननीय मंत्री जी कैसे उत्तर दे रहे हैं कि वह कमेटी फंक्शन नहीं कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व इर्रेलिवेन्ट क्वेश्चन न करें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

आइन्दा ख्याल रखा जायगा और ऐसे मसले कमेटी के सामने लाये जायेंगे।

प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा दर्शनीय स्थानों का सुधार तथा घाटों व मन्दिरों को सुन्दर बनाने पर व्यय

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि प्रदेश के पर्यटन विभाग ने प्रदेश में किन-किन दर्शनीय स्थानों का सुधार वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में किया तथा वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में मथुरा, वृन्दावन व अयोध्या में कितना धन विभाग, स्थानों और घाटों व मन्दिरों को सुन्दर व रमणीय बनाने में खर्च करेगा ?

श्री गुलाब सिंह—

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में प्रदेश के पर्यटन विभाग ने प्रदेश में किसी दर्शनीय स्थान का सुधार नहीं किया। वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में प्रदेश के पर्यटन विभाग के बजट में मथुरा, वृन्दावन व अयोध्या के घाटों व मन्दिरों को सुन्दर व रमणीय बनाने के लिये प्राविधान नहीं किया गया है।

तहसील बाजपुर, जिला नैनी ताल के फार्मों के पट्टे

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल में मोहन नगर फार्म, रनजीत नगर फार्म, कपूर फार्म, बनता सिंह फार्म, राना दलजीत सिंह फार्म, रामराज फार्म, मोहरसिंह फार्म, राणा दिलबाग सिंह फार्म और भगत सिंह फार्म, गदरपुर के वर्तमान पट्टे किस-किस के नाम और कब हुये हैं तथा वे व्यक्ति कहां रहते हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल में स्थित इन फार्मों की भूमि पर अंकित खातेदारों की संख्या नीचे दी जा रही है ।।

फार्म का नाम	खातेदारों की संख्या
१—मोहन नगर फार्म	२०८
२—रणजीत सिंह फार्म	३९
३—राणा दलजीत सिंह फार्म	३७
४—राणा दिल बाग सिंह फार्म	५२
५—रामराज फार्म	७४
६—मोहर सिंह फार्म	६
७—भगत सिंह फार्म	४
योग ..	४२०

व्यक्तियों के नाम, पट्टों का ब्यौरा तथा उनके निवास स्थान संबंधी सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। सूचना विस्तृत होने के कारण उसे सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है ।

*४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१० वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६—श्री इन्द्रलाल—

[७ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का पंचसाला बन्दोबस्त

*७—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती), श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर), तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का पंचसाला बन्दोबस्त सन् १९६३ से चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक न समाप्त होने का क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के कमिश्नर के निवास तथा कार्यालय के भवन निर्माण पर व्यय

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल मंडल के कमिश्नर के निवास तथा कार्यालय बनाने के लिये कब और कितना धन स्वीकार किया गया था और १५ मार्च, १९७१ तक उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गढ़वाल मंडल के कमिश्नर के निवास-स्थान के निर्माणार्थ १,०१,४०० रु० की वित्तीय स्वीकृति दिनांक २६ अप्रैल, १९७१ को तथा कार्यालय भवन निर्माणार्थ ४,४२,००० रु० की वित्तीय स्वीकृति दिनांक ९ जून, १९७० को प्रदान की गई थी।

निवास-स्थान की स्वीकृति १५ मार्च, १९७१ के बाद दी गई। इसलिये उसकी प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्यालय के निर्माणार्थ साइट लैथलिंग का कार्य शुरू हो गया था।

प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भू-स्खलन से व्यक्तियों को सहायता

*९—श्री इन्द्रमणि, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बसन्तलाल—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर भू-स्खलन हो रहा है तथा जमीन धंस रही है जिसके फलस्वरूप हजारों व्यक्ति परेशानी में पड़ गये हैं ? यदि हां, तो मुख्यतः कौन-कौन जिले प्रभावित हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण जिला उत्तरकाशी के २ गांव, जिला चमोली के ३४ गांव, जिला गढ़वाल के ४ गांव तथा जिला पिथौरागढ़ के ८ गांव भू-स्खलन या जमीन धंसने से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर बसाने का प्रबन्ध जहां जरूरी था कर दिया गया है तथा स्थायी पुनर्वास के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के द्वारा गांवों की सुरक्षा की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वास्तविक रूप से सहायता पाने योग्य लोगों को गृह-निर्माण अनुदान एवं अहेतुक सहायता तथा तकावी की व्यवस्था की गयी।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय के विरुद्ध जुडिशियल अभिलेख की नकल न देने की शिकायत

*१०—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जिलाधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा के विरुद्ध १९ अगस्त, १९६९ से लगातार यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि उक्त कार्यालय द्वारा आवेदक से, निर्धारित शुल्क लेकर भी, उन्हें मुकदमा फौजदारी संख्या ७/४३, सन् १९६२ में दिनांक १८ दिसम्बर, १९६१ के आदेशों पर जो-जो कार्यवाही की जा चुकी है, उसे जुडिशियल अभिलेख की नकल नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस सम्बन्ध में शिकायत शासन को मई, १९६८ से प्राप्त हुई है।

शासन ने जिलाधीश अल्मोड़ा को ९-१-७० को आदेश दे दिया था कि हाकिम परगना पाली के आदेश दिनांक १८-१२-६१ जो एक मुतफर्रिक वाद संख्या ७/४३, सन् १९६२ में दिया गया था, की नकल प्रार्थी को दे दी जाय और यह नकल उन्हें दे दी गई। प्रार्थी को उस आदेश की नकल मिल चुकी है लेकिन वे १८-१२-६१ के आदेश पर जो कार्यवाही की गई है उसे जानना चाहते हैं। उस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गई थी क्योंकि फौजदारी के मुकदमा धारा १४५ में मुंसिफ के निर्णय पर १८-१२-६२ का प्रशासकीय आदेश समाप्त हो गया था।

*११—श्री डी० पी० बोरा—

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश कार्यालय, अल्मोड़ा ने आवेदक से उपरोक्त जुडिशल अभिलेख की नकल के लिये शुल्क ले लेने के उपरान्त आवेदक के लिये उस जुडिशियल अभिलेख की नकल भेजने के स्थान में, मांग के विरुद्ध किसी दूसरे अभिलेख की नकल भेजी थी यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। यह शिकायत निराधार तथा निर्मूल है क्योंकि जिस अभिलेख की प्रतियां उन्हें नियमानुसार मिल सकती थीं दी जा चुकी थीं।

*१२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[८ वें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिलान्तर्गत चकिया फार्म की अतिरिक्त भूमि का बापू कृषक विद्यालय कडसरबाबुजुर्ग, देवरिया को दिया जाना

*१३—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत चकिया फार्म की ४०६ एकड़ भूमि अधिक जोत सीमा कानून के अन्तर्गत प्राप्त हुयी थी जिसका पट्टा विगत २६ जून, १९७१ को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का भूमिहीनों में कब तक वितरण किया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रतापपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड, चकिया की अतिरिक्त घोषित भूमि में से ४०५.५० एकड़ भूमि का पट्टा उक्त फैक्टरी को दिनांक ३० जून, १९७१ तक किया गया था। पट्टे की अवधि अब समाप्त हो गई है। इस भूमि का बन्दोबस्त करने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

*१४—श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि देवरिया जिलान्तर्गत चकिया फार्म में से २५ एकड़ भूमि बापू कृषक विद्यालय, कडसरवाबुजुर्ग, देवरिया के नाम से एलाट किया गया है और विद्यालय की ओर से ९,००० रु० राजकीय कोष में जमा भी हो गया है। यदि हां, तो कब तक उक्त भूमि विद्यालय को स्थानान्तरित हो जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, यह सही है कि चकिया फार्म की भूमि में से २५ एकड़ भूमि बापू कृषक विद्यालय, कडसरवा बुजुर्ग, देवरिया को प्रदान की गई है और विद्यालय की ओर से राजकीय कोष में ८,५१३ रु० जमा किया गया है। इस भूमि का कब्जा विद्यालय को देने विषयक आदेश जारी कर दिया गया है।

सीतापुर जिले में नदी शारदा में नाव डूबने से मृतकों के परिवारों को सहायता

*१५—श्री कृष्णकांत अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में नदी शारदा में मझेला घाट पर १३ जून, १९७१ को नाव डूब जाने से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी तथा मृतक परिवारों को सरकार द्वारा कितनी वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीतापुर जिले में शारदा नदी के बम्मेला घाट पर दिनांक १३ जून, १९७१ को नाव डूबने से १८ व्यक्ति डूबकर मर गये थे । मृतकों के परिवार के लोग असहाय नहीं हैं और वे किसी सहायता के इच्छुक नहीं हैं । अतएव कोई सहायता नहीं दी गई ।

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में शारदा नदी के कटाव से पीड़ित परिवारों को सहायता

*१६—श्री कृष्णकांत अवस्थी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना तम्बौर में गांव चहलुवा गत वर्ष नदी शारदा से कट रहा था ? यदि हां, तो उससे कितने मकान कट गये तथा सरकार द्वारा प्रति परिवार को कितनी सहायता दी गई थी और इस वर्ष भी जो मकान कट गये हैं उनको अभी तक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना तम्बौर में गांव चहलुवा में गत वर्ष १५ मकान शारदा नदी के कटान से कट गये थे । प्रति परिवार ४० रुपया की दर से गृह-निर्माण अनुदान दिया गया था ।

इस वर्ष केवल तीन मकानों को क्षति हुई । तीनों परिवार अच्छे काश्तकार हैं । इन्हें किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण समितियों का पुनर्गठन

*१७—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "जिला हरिजन तथा समाज कल्याण समितियों" का पुनर्गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला हरिजन समाज कल्याण समितियों को फिर से पुनर्गठित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

मिर्जापुर जनपद के सोन नदी में नाव दुर्घटना से मृतकों के परिवारों को सहायता

*१८—श्री राम प्यारे—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के सोन नदी में ७ जून, १९७१ को एक नाव दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो उस नाव पर कितने व्यक्ति थे तथा उसमें से कितने की मृत्यु हो गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । दुर्घटनाग्रस्त नाव में २२ व्यक्ति थे जिसमें से १९ व्यक्ति बचा लिये गये तथा ३ व्यक्ति अब तक लापता हैं ।

*१९—श्री राम प्यारे—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त दुर्घटना में सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों की क्या सहायता की तथा उक्त दुर्घटना के कारण क्या थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बचे हुए व्यक्ति सभी स्वस्थ हैं किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई ।

उक्त दुर्घटना का कारण मालूम करने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई । दुर्घटना का कारण एकाएक बाढ़ तथा तूफान आ जाने से हुई है ।

*२०–२१—श्री इन्द्रजीत—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

एटा जिले की सहकारी समितियों में गबन तथा अलीगंज सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२२—श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले की सहकारी समितियों तथा ऋण विक्रय समितियों के दिनांक १ जनवरी, १९६९ से १ जून, १९७१ तक कितने गबन के मामले दर्ज हुए तथा उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ।

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उक्त अवधि में एटा जिले की सहकारी समितियों में कुल २८ गबन के मामले दर्ज किये गये हैं । जिनमें ४ मामलों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, ३ अभियोग न्यायालय में चल रहे हैं तथा २१ में पुलिस द्वारा जांच जारी है ।

*२३—श्री सतीश चन्द्र—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि क्या अलीगंज सहकारी समिति के विषय में एटा जिलाधिकारी को कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है । और इस संबंध में अप्रैल, सन् १९६९ से अप्रैल, १९७१ तक कितनी बार अलीगंज सहकारी समिति के काम काज का निरीक्षण हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । २५ जून १९७१ को समिति में इनके घपलेबाजी किये जाने से संबंधित २ शिकायती पत्र प्राप्त हुए । इस संबध में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

१ अप्रैल, १९६९ से १ अप्रैल, १९७१ तक समिति का निरीक्षण नहीं किया गया । समिति का सम्प्रेक्षण वर्ष १९६९–७० का दिनांक १५ जून, १९७१ को हो चुका है ।

*२४–२५—श्री हरनारायण—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२६—श्री मनोहर लाल—

[८वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं० ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२७—श्री गोपालदत्त ओझा—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२८—श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२९—श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[निरस्त]

*३०-३१—श्री शेरसिंह दानू—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बदायूं जिला सहकारी बैंक का सालाना जलसा तथा चुनाव

*३२—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बदायूं का पिछला सालाना जलसा कब हुआ था, एवं १९७०-७१ में चुनाव सम्पन्न हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

बदायूं जिला सहकारी बैंक का पिछला जलसा २७ दिसम्बर १९७० को सम्पन्न हुआ था। मुंसिफ महोदय बदायूं के आदेश दिनांक १५ दिसम्बर १९६९ के अनुसार संचालकों के चुनाव सम्पन्न नहीं किये जा सकते ।

जिला जौनपुर तहसील शाहगंज के ग्राम मक्खनपुर के हरिजनों द्वारा चकबन्दी निदेशक को प्रार्थना-पत्र

*३३—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिला जौनपुर तहसील शाहगंज, परगना अंगुली के ग्राम मक्खनपुर के हरिजनों की ओर से दिनांक २८ मई, १९७१ को चकबन्दी निदेशक को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि उक्त ग्राम के हरिजनों को वर्तमान समय में चकबन्दी के दरम्यान उन्हें आबादी के लिये कोई जमीन नहीं छोड़ी गई है और हरिजनों के दरवाजों पर दूसरों का चक दिया गया है । यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं । ग्राम मक्खनपुर, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के हरिजनों की ओर से चकबन्दी निदेशालय में दिनांक २८ मई, १९७१ को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । ग्राम में हरिजन आबादी हेतु कुल ०.६८ एकड़ भूमि सुरक्षित की गई है । हरिजनों के दरवाजे पर किसी अन्य काश्तकार को चक नहीं दिया गया है ।

चकबन्दी विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों का स्थायीकरण

*३४—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग में लगभग १५ वर्षों से कार्य करने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों को स्थायी करने तथा उन्हें अन्य विभागों में समकक्ष पदों पर विलयन हेतु विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक यह कार्य सम्पन्न हो जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

चकबन्दी अधिष्ठान पूर्णतया एक अस्थायी अधिष्ठान है अतः इस अधिष्ठान में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को स्थायी नहीं किया जा सकता है ।

चकबन्दी अधिष्ठान के अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व विभाग के समकक्ष पदों—कानूनगों, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के कुछ पदों पर स्थान सुरक्षित करने का मसला विचाराधीन है । अन्य विभागों में भी उन्हें यथासंभव खपाने का प्रश्न विचाराधीन है । आशा है कि इस विषय में निर्णय शीघ्र हो जायेगा ।

पाही ग्राम में ग्राम समाज की भूमि तथा उसका वितरण

*३५—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहाय तहसील के पाही जमीन पाही ग्राम में कितनी एकड़ भूमि ग्राम समाज की है और उसमें कितनी एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की है और शेष वितरण न होने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम पाही में ९९.२०४ एकड़ भूमि गांव सभा में निहित है । इस गांव सभा के पास क्योंकि ८ प्रतिशत से कम भूमि है अतः उसका वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३६—श्री श्याम लाल कनौजिया—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम सभा में ग्राम समाज की कितनी भूमि किस-किस उद्देश्य से आरक्षित की गई है और कितनी एकड़ भूमि पर लोगों का अनधिकार कब्जा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा —

उक्त गांव सभा में १४.६५९ एकड़ भूमि निम्नलिखित सार्वजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित रक्खी गयी है:—

	एकड़
चरागाह	६.७७२
खाद का गड्ढा	०.८८०
खलिहान	२.३३५
सौरहन	०.३४०
खेल का मैदान	०.४३५
गोहरउर	०.५४०
आबादी	२.३१५
स्कूल	१.०४२
	१४.६५९

१.२९४ एकड़ भूमि अनधिकृत कब्जे में है जिसके सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है ।

मेरठ में स्थित "आपका बाजार" में हानि

*३७—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में स्थित 'आपका बाजार' में वर्ष १९६९–७० व १९७०–७१ में कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मेरठ में स्थित 'आपका बाजार' में वर्ष १९६९–७० व १९७०–७१ में निम्नांकित हानि हुई है—

वर्ष	हानि रु०
१९६९–७०	६५,४७६
१९७०–७१ (अनुमानित)	९६,३६४

*३८—श्री गिरजा शंकर तिवारी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३९–४०—श्री शिवराज सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आजमगढ़ जिलाधिकारी के बंगले से सम्बन्धित जमीन को मकान मालिक को वापस करना

*४१—श्री रामकरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलाधिकारी के बंगले से संबंधित जो जमीन है, उसको सरकार मकान मालिक को वापस कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आजमगढ़ जिलाधिकारी के बंगले को अध्याप्त करने की कार्यवाही हो रही थी कि मालिक मकान ने शासन को यह प्रार्थना-पत्र दिया कि उसका मकान अध्याप्त न किया जाय जिस पर अध्याप्त की कार्यवाही को एवार्ड के स्तर पर रोक दिया गया है और श्री कृष्णदास की दरख्वास्त पर विचार हो रहा है । अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

शहरी जमींदारी समाप्त करने पर विचार

*४२—श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक शहरी जमींदारी समाप्त कर दी जावेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत कुछ नागर क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के समस्त नागर क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों में जमींदारी विनाश हो गया है । शेष नागर क्षेत्रों में भी जमींदारी विनाश की कार्यवाही की जा रही है । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अवशेष क्षेत्रों में कब तक जमींदारी समाप्त होगी ।

गोंडा जिले के तहसीलदार, गोंडा का असामयिक वर्षा से हुई क्षति के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*४३—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले में गोंडा तहसील के तहसीलदार ने असामयिक वर्षा के कारण हुई क्षति के संबंध में सरकार को अलग से एक रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या और कब भेजी गई और इस रिपोर्ट के संबंध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोंडा जिले के तहसीलदार गोंडा ने असामयिक वर्षा से हुई क्षति के संबंध में शासन को अलग से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। अतः इस रिपोर्ट के संबंध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन तहसील गोंडा में कुल ७८२ ग्रामों में असामयिक वर्षा से रबी की फसल को ५० से ७५ प्रतिशत तक क्षति पहुंची। आम की फसल को भी काफी क्षति हुई। क्षतिग्रस्त कृषकों को राहत देने हेतु उक्त तहसील में २३,००० रु० आपदा तकावी दी गई और मालगुजारी, लगान, तकावी सिंचाई तथा अन्य कृषीय देयों को चालू तथा बकाया की वसूली १५ अक्तूबर, १९७१ तक रोक दी गई है।

*४४—श्री दल सिंगार यादव—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

शारदा प्रेस, गोरखपुर द्वारा मुद्रित मुख्य मन्त्री के नाम खुला इश्तिहार

*४६—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या सर्वश्री प्रयागदत्त, प्रद्युम्न शुक्ल, रवीन्द्रनाथ, रामनगीना राम, मदनराम तिवारी, श्याम नारायण तिवारी, राजकिशोर मिश्र, रामकिशोर मिश्र, रामानन्द राय, जगदीश चन्द्र और नरसिंह तिवारी द्वारा प्रकाशित एवं शारदा प्रेस, गांधी पार्क, गोरखपुर द्वारा मुद्रित "उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के नाम खुला पत्र" शीर्षक का इश्तहार उन्हें जून, १९७१ के पहले पखवारे में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अंकित शिकायतें क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित इश्तहार मुख्य मंत्री को तो नहीं किन्तु जिलाधिकारी गोरखपुर को प्राप्त हुआ था। इसमें मुख्य रूप से निम्नांकित शिकायतें की गई हैं—

(१) ग्राम रानीपुर (भिटहा) में गांव सभा की बंजर जमीन गाटा संख्या १२४ के २१ डेसीमल रकबे पर धर्मशाला के नाम पर सेठ जगमोहन राम के परिवार के स्टोर रूम का निर्माण किया गया। इसमें कोई यात्री रुकने नहीं पाता। धर्म की आड़ में धर्मशाला के कमरों से ५०० रु० किराये की मासिक आमदनी करने वाले इस सेठ के विरुद्ध प्रदेश सरकार तथा जिलाधिकारी अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सके हैं।

(२) ग्राम सभा कौड़ी राम में बंजर की जमीन गाटा संख्या १६०/८ डेसीमल व संख्या १६८ / ७ डेसीमल जो पोखरी थी उस पर ग्राम प्रधान के पद का दुरुपयोग करके अपने नाम भूमिधरी का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है।

674

(३) धर्मशाला में समाज विरोधी तत्वों का अड्डा कायम होने की शिकायत की गई है जिसे हटाये जाने की मांग की गई है ।

ग्राम रानीपुर (भिटहा) में स्थित गाटा संख्या १२४/२१ डेसीमल जमींदारी विनाश से पूर्व भू-अभिलेखों में बंजर दर्ज था । वर्ष १९६० में कागजात दुरुस्ती के मुकदमें में परगनाधिकारी के आदेश दिनांक १९ मार्च, १९६० द्वारा उक्त गाटा पर श्री रामचन्द्र का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया गया । जिलाधिकारी, गोरखपुर ने हाल ही में शासन को यह मामला संदर्भित किया है और यह विषय शासन के विचाराधीन है । जांच से यह भी पता चला है कि उक्त गाटे में एक इमारत बनी है जिसके विषय में यह बताया जाता हैकि आरम्भ में यह धर्मशाला थी परन्तु पिछले कुछ दिनों में इसे विष्णु मंदिर का नाम दिया गया है । मौके पर इमारत के सामने लगे शिलालेख में "विष्णु मंदिर" लिखा है । इमारत में बने कमरों में से चार कमरे १० रुपये प्रति मास की दर से किराये पर उठाये गये हैं, तीन कमरों में विष्णु मंदिर है, एक कमरे में कीर्तन हाल है, दो कमरों में मुसाफिरों के ठहरने का स्थान है, दो कमरों में स्टोर है तथा एक कमरा पुजारी निवास के लिये है ।

जहां तक ग्राम कौड़ी राम में गाटा संख्या १६०/८] डेसीमल और गाटा संख्या १६८/७ डेसीमल का प्रश्न है, जमींदारी विनाश से पूर्व यह गाटे अन्य लोगों के नाम अंकित थे और इस कारण गांव सभा से इनका संबंध नहीं है ।

रानीपुर (भिटहा) में गाटा संख्या १२४ पर बनी इमारत के उपरोक्त उपयोग को देखते हुए इसमें समाज विरोधी तत्वों के अड्डे की पुष्टि नहीं होती ।

साधन सहकारी समिति, रामकोट, जिला सीतापुर को भंग करना

*४७—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति रामकोट, जिला सीतापुर को मई, सन् १९७१ में भंग करके नई समिति मनोनीत कर दी गई है ? यदि हां, तो समिति के भंग करने के क्या कारण रहे हैं और मनोनयन किस आधार पर किया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह कहना उचित नहीं है कि रामकोट साधन सहकारी समिति को भंग करके नई समिति मनोनीत कर दी गई बल्कि स्थिति यह है कि उक्त समिति ने नये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ की धारा १३१(३) के अन्तर्गत निर्धारित समय बीत जाने पर भी अपनी उप विधियों को संशोधित नहीं किया और वह अधिनियम की धारा १३१(७) के विधानानुसार निश्चित समय के भीतर अपनी प्रबन्ध कमेटी का गठन करने में पर्याप्त समय दिये जाने पर भी असफल रही । अतः उप निबंधक ने सहकारी समिति नियमावली के नियम ३९२ (क) में निहित अधिकारों का प्रयोग करके समिति को तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर अपने आदेश दिनांक २२ मई, १९७१ द्वारा नई प्रबन्ध कमेटी गठित कर दी । प्रबन्ध कमेटी का संघठन समिति की संशोधित उप विधियों के अनुसार किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में नदी के कटाव से प्रभावित ग्रामों में चकबन्दी

१—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के बाढ़ क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में चकबन्दी नहीं हुई है और वह गांव नदी के कटाव में भी नहीं है, उन क्षेत्रों की चकबन्दी करायेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। पुनः सर्वेक्षण कार्य कराने से ऐसे ४८ गांव उक्त तहसील में चकबन्दी क्रियाओं के उपयुक्त पाये गये हैं। इन गांवों में चकबन्दी कार्य चकबन्दी योजना के दूसरे चक्र में कराया जायेगा।

विरोध पक्ष के सदस्यों के साथ मन्त्रियों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा समुचित व्यवहार न करने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं और ये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चुन कर आते हैं। यह लोग अपने क्षेत्र की बात कहने के लिये मंत्रियों के घर पर जाते हैं या यहां पर कहते हैं। मुझे दो चीजों की शिकायत है। अभी २–३ दिन पहले कहा गया था कि विरोधी दल के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। दूसरा चरण यह है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री से मिलने जाता है तो उसको घंटे दो घंटे बैठे रहना पड़ता है और ये लोग नहीं मिलते। अपने पक्ष के लोगों को बुलाकर तो बात कर लेते हैं। विरोधी दल के लोग उनके घर पर घंटों बैठ कर वापस चले आते हैं और यह मिलते नहीं हैं।

दूसरी शिकायत यह है कि मंत्री लोगों से हम लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। संयोग से इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। यह पहला मंत्रि-मण्डल है। जब इस तरह की चीज हो रही है। आप विधायकों से मिलिये और उनकी बात सुनिये और देखिये कि ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो कह दीजिये कि नहीं हो सकता है या कह दीजिये कि इस पर विचार हो रहा है। लेकिन मंत्रिगण हम लोगों के पत्रों को एकनालिज नहीं करते हैं। वैसे इन लोगों के लिये संगमरमर के गुसलखाने बना दिये जायं। मुझे अपनी जानकारी है और २–३ बार मुझे अनुभव भी हो चुका है। जब इनको टेलीफून किया जाय तो जो टेलीफोन रिसीव करता है वह कह देता है कि मंत्री जी गुसलखाने में हैं। फिर फोन कीजिये।

(व्यवधान)

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय त्रिपाठी जी के जमाने में भी यही हालत रही है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आध घंटे बाद जब दुबारा फोन करते हैं तो दूसरा फोन उठाता है और कह देता है कि मंत्री जी गुसलखाने में हैं। चौथी मर्तबा फोन करने पर कह दिया जाता है कि मंत्री जी घर से बाहर चले गये। हमको सही सूचना मिलनी चाहिये। उनकी नीयत यह रहती है कि वह नाम जानना चाहते हैं और विरोधी पक्ष के लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। हमारा अधिकार है, हम आप से कहेंगे और कुछ फरियाद करनी हैं तो वह भी आप से ही करेंगे। हम लोग भी मंत्री रह चुके हैं। कोई चिट्ठी बिना एकनालिजमेंट के नहीं रहती थी। मैं आपसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि यह मसला ऐसा है कि सभी विरोधी दल के लोग सदन से बाहर चले जायेंगे जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन नहीं देंगे। यह मामूली चीज नहीं है। हम लोग उनके दरवाजे पर नाक घिसें और वह बात तक न करें। वह लोग गुसलखाने में रहे आयें। यह कर्मचारियों की गलती हो सकती है। उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहते हैं तो वह कह देता है कि मंत्री जी से कहिये । मुझे ऐसा आदेश है मैं क्या करूं । मेरी किसी को बदनाम करने की नीयत नहीं है । आप इस चीज की व्यवस्था करने की कृपा करें । माननीय सदस्य हमको लिख कर देते हैं कि यह प्रश्न उठाइये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मामला भीषण रूप धारण करेगा । यह प्राइमरी चीज है और हमारा अधिकार है यह चीज नहीं हो सकती है कि वह हमसे मिलें नहीं और बात न करें । आप इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना बहुत हद तक सही है । मुझे भी इस बात का अनुभव है । मुझे भी इस तरह का उत्तर मिला है. . . (व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह का उत्तर मिले, मैं समझता हूं कि वह अच्छी तरह से अपने चपरासी को बताते नहीं हैं, उसको एनलाइटिन नहीं करते हैं । मैंने यहां तक कह दिया कि उनसे स्पीकर बात करना चाहते हैं । यह उत्तर आया कि वह गुसलखाने में हैं । दो तीन दफा के अनुभव की यह बात है और यह सही है । आखिर में उसने कह दिया कि अभी बाहर चले गये । मैंने कहा कि आप कृपा करके कह दें अपने चपरासी से और एनलाइटिन कर दें । एनलाइटिन न होने की वजह से ऐसा हुआ । अपने आदमी से कह दें कि जब कोई सदस्य बात करे तो वह आपको सूचना दे दिया करें । यह उसको समझा देना चाहिये । मैं तो समझा देता हूं । कुछ सालों से मुझे यह अनुभव हुआ कि उलटा सीधा जवाब दे देते हैं मेरे चपरासी । मैंने यह कर दिया है । अभी मुख्य मंत्री जी नहीं हैं । उनके सामने यह बात मैं रख दूंगा कि ऐसी चीज होती है और मेरा भी अनुभव है इसलिये कृपा करके वे मंत्रियों से कह दें कि वे अपने चपरासियों को अच्छी तरह से एनलाइटिन कर दें । अगर एक दफा भी फोन किया जाय तो फौरन सूचना मंत्री जी को दे दें. . . (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जहां मजबूरी वहां बात दूसरी है । लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, अभी मैंने मंत्री जी को फोन किया था । वह बलरामपुर अस्पताल में हैं । लेकिन उनके बाबू ने कहा कि मैं मंत्री बोल रहा हूं । आपको मंत्री से क्या काम है । मैंने आदमी को वहां भेजा तो उसने कहा कि वह तो बलरामपुर अस्पताल में हैं । लेकिन उनका वह बाबू कहता है कि मैं मंत्री बोल रहा हूं । इससे अनुचित बात और क्या हो सकती है । इन मंत्री जी का नाम श्री नगीना सिंह है । इस तरह से सरकार चलेगी तो मान्यवर मैं समझता हूं कि. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

हो गया. . . (व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय त्रिपाठी जी ने हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है । श्रीमन्, अभी जो उनको शिकायत थी कि माननीय सदस्य को किसी चपरासी ने यह कह दिया निश्चयपूर्वक उसने गुस्ताखी की । लेकिन उनको पहले मंत्री जी से कह देना चाहिये था । यदि वे कुछ न करते तो माननीय सदन में कहते । इस तरह की बात सदन में नहीं कहनी चाहिये थी ।

श्री रामबिलास पांडेय—

श्रीमन्, बाबू की क्या हैसियत है जो इस तरह से जवाब दे ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मंत्री संतरी हो गये हैं और संतरी मंत्री हो गये हैं. . . (व्यवधान)

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, विरोधी दल के लोग जो आते हैं उनका हम ज्यादा ध्यान रखते हैं । पहले उनकी बात सुनते हैं बाद में अपने लोगों की बात सुनते हैं । भूलकर भी मालूम पड़ जाता है कि विरोधी दल के लोग आ गये हैं तो फौरन बुला लेते हैं । फिर भी शिकायत करते हैं । कभी भी किसी से आज तक इन्कार नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी शिकायत नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

बहुत से मंत्री नहीं करते हैं । त्रिपाठी जी ने शराफत की हद कर दी । गुसलखाने की बात कही गई । अगर इसी तरह की बात हुई तो जनता इनको बमपुलिस में खड़ा कर देगी ।

श्री हबीब अहमद—

अध्यक्ष महोदय, अभी जो त्रिपाठी जी ने बात कही वह सही है । लेकिन वह हमारी तरफ से आनी चाहिये थी जो मन्त्रि-मण्डल में नहीं बैठते हैं । हमने चार मंत्रि-मंडल देखे हैं । यह शिकायत हमेशा रही है । श्रीमन्, खाने का समय मुकर्रर कर दिया जाय और गुसलखाने का समय निश्चित हो जाना चाहिये कि सुबह ८ से ९ बजे तक मंत्री लोग बाथरूम में रहेंगे । इस तरह से समय मुकर्रर कर दिया जाय । उस समय छूट होनी चाहिये ।

वैसे तो हमें शिकायत यह सब से है, जो भी मंत्रिमडल में रह चुके हैं ।

बंगला देशवासियों की सहायतार्थ मन्त्रियों तथा सदस्यों आदि द्वारा अपने वेतनों से की जाने वाली कटौतियों के सम्बन्ध में विभिन्न घोषणाएं

श्री अध्यक्ष—

बंगला देश के लिये कन्ट्रीब्यूशन देने के बारे में कल कुछ तय हुआ था । उस संबंध में मैं अपने लिये कहना चाहता हूं कि जो मत्रियों ने अपने लिये तय किया है १० फीसदी और डिप्टी स्पीकर साहब ने ५ फीसदी, डिप्टी मिनिस्टरों की भांति देना तय किया है । माननीय नेता विरोधी दल ने और दलों के नेताओं से मिलकर उसके बारे में तय किया है, वह उसके बारे में बतायेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल की प्रतीक्षा कर रहा था कि वे आकर कुछ घोषणा करेंगे । कल उन्होंने सदन के समस्त दलों के नेताओं से बातचीत की थी ।

सत्ता कांग्रेस के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी के अलावा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य नेताओं ने मिलकर विरोधी दल के नेता के यहां सर्वसम्मति से यह तय किया है कि वे अपने वेतन में से डिप्टी मिनिस्टरों की भांति ५ फीसदी प्रति माह प्रदान किया करेंगे । यह बंगाल के शरणार्थियों को दिसम्बर तक दिया जायगा । उसमें आपसे अपील की गयी है कि आप तनख्वाह में से वह रुपया काट कर सेंट्रल रिलीफ कमेटी के पास हर माह भेज दिया करें ।

श्री अध्यक्ष---

किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जो विरोधी दलों के नेताओं ने तय किया है उसको तो आप सेंट्रल रिलीफ कमेटी के पास भेज दिया करें । ऐसा हम लोगों ने चीन के आक्रमण के समय भी किया था, जनता ने भी सोना और चांदी दिया था, रुपया दिया था, १९६५ की वार में भी सभी लोगों ने त्याग किया था । इसके अतिरिक्त विरोधी दल के नेता जो भी कुर्बानी करने के लिये तय करेंगे हम उसको करने के लिये तैयार हैं, बंगाल देश की मान्यता के लिये, उसको स्वतंत्रता दिलाने के संग्राम के लिये । यह सारी बात तो ठीक है लेकिन विरोधी दल के सदस्यों को इस बात की बड़ी बेचैनी है कि इस सदन ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया । सरकार को सदन के विचारों का आदर तो करना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सबसे पूंछ लिया । मेरा ख्याल है इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

५ फीसदी हमको जो देना है उसको आप यहां से काट लिया करेंगे अथवा हमको भेजना है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैं सम्मानित नेता विरोधी दलों का आभारी हूं कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत करके यह निर्णय किया कि सभी पक्ष के नेता बैठें और यह तय करें कि सदन के माननीय सदस्यों को क्या देना है । सबने बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वेतन से ५ प्रतिशत की कटौती दिसम्बर, १९७१ तक की जाय । मैं भी उसका समर्थन करता हूं । इसके अतिरिक्त मैं यह भी सूचना दे देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव को यह लिख रहे हैं कि वे सभी विभागों के अध्यक्षों और विभागों को लिखें कि सभी छोटे और बड़े आफीसर्स और कर्मचारी भी इस वायुमण्डल में जो कटौती की आवाज आ रही है उसमें स्वतः अपना अंशदान स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष---

कटौती किस महीने से शुरू होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सितम्बर से ही शुरू होगी ।

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

इस प्रस्ताव में इतना और जोड़ दें कि जैसे कि मंत्रिमडल ने अपने लिये तय किया है इतना ही परसेंटेज नेता विरोधी दल की भी सैलरी में से कटेगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मैं अपनी सैलरी से १० प्रतिशत कटौती की घोषणा करता हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जैसा कि कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि वेतन का ५ प्रतिशत देंगे तो वेतन तो ३०० रुपये हैं और १५० रुपये एलाउन्स है ।

विविध विषय

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन यह है कि ग्राम सेवक लोग इकट्ठा होकर भूख हड़ताल कर रहे हैं । तो माननीय गन्ना मंत्री जी इस मामले को सुलझाने की कृपा करें और उनकी मांगों पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

आज ही तो उसकी ग्रांट है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह तो हमने बड़ी लगन से किया लेकिन मान्यता के बारे में कृपया जल्दी कराइये । एक पहलू तो करा लिया और दूसरा पहलू लंगड़ा रहा है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जिस वक्त किसी विभाग के बारे में हमें कोई शिकायत पैदा होती है तो हम क्वेश्चन दे देते हैं, नियम ५१ में देते हैं, नियम ५२ में दे देते हैं लेकिन अगर किसी को आपकी ज्ञात से शिकायत पैदा हो जाय तो कहां उसको पेश करें ?

श्री अध्यक्ष—

हम को लिखें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

उन्होंने लिखा है कि वह आपको कई बार दे चुके हैं । आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो पर्चा बांटने, एजेंडा बांटने और लिफाफा बांटने का काम करते हैं वह ५-५, ७-७ साल से काम कर रहे हैं । उन्होंने खासतौर से आपके बारे में कहा है कि आपने उनकी सीनियारिटी का ख्याल न करके नये आदमियों को रख लिया है जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी है . . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे कमरे में ही हो सकता है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न । कल जब उपाध्यक्ष जी आसन पर बैठे थे उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । उपाध्यक्ष जी ने ५ बजकर ४ मिनट पर मार्शल के माध्यम से मुझे सदन से बाहर करा दिया। बिला सदन के नेता के प्रस्ताव किये । उन्होंने अनाधिकार चेष्टा करके मेरे अधिकार का हनन किया । मैं उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव करता हूं । आप उसे स्वीकार करें और उस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेजें । लेकिन सवाल यह है कि जो अधिष्ठाता हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों अगर कोई सदस्य कोई अनियमितता करता है तो उसको हटाने का उनको अधिकार है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

अगर सदन के नेता की ओर से कोई प्रस्ताव हुआ होता तो मार्शल के माध्यम से मुझे निकालने की चेष्टा करते लेकिन उन्होंन वैसे ही मार्शल को मेरे पास भेजा ।

श्री अध्यक्ष—

उनको अधिकार है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, परसों यहां मेडिकल कालेज के ऐडमीशन के सवाल को लेकर एक सूचना आपके पास दी गई थी । उस पर उस दिन माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहा था कि मैं उनसे कक्ष में मिल कर कुछ चीजों के बारे में बात कर लूं । वह बात भी कर ली और उस वक्त वह सन्तुष्ट भी हो गये थ । हमने उनसे कहा था कि यह प्रश्न मामूली नहीं है और न केवल नियम ५१ के तहत यह केवल उठाने से यह मामला तय हो सकता है । यह चर्चा का मामला है । अगर आप इस पर चर्चा नहीं एलाऊ करते हैं तो इंसाफ नहीं हो सकता है । बहुत सी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं । केवल सवाल करने से मामला दुरुस्त नहीं होगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं,। शायद आज भी कुछ माननीय सदस्यों ने आपसे निवेदन किया है कि इस सवाल को सदन में बहस के रूप में आने दिया जाय । तो इस पर अगर आपका निर्णय हो जाय तो बहुत अच्छा है ।

एक दूसरे विषय की सूचना मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत आपके पास लिखकर भेज दिया है तो उस पर भी आप विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

वह किस बारे में है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

४ मार्च, १९७१ को यहां हमारे प्रदेश के उस वक्त के मुख्य मंत्री व माननीय सी०बी० गुप्त जब अलीगढ़ गये थे तो उन पर गोली चलाई गई थी . . . . .।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास वह आ चुका है । मैंने उसको मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है कि वह शीघ्र ही उस विषय में मेरे पास तथ्य की जानकारी करके भेजें । मैंने अखबार में नहीं पढ़ा । फैक्ट्स के बारे में सूचना मांगी है । अगर सूचना आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो ३०, ३१ को आपको मौका दे दूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सूचना आज तक झूठी नहीं हुई है । मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है उसमें आप कोई गलत जानकारी बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने फैक्ट्स की जानकारी करने के लिये उनके पास भेजा है ताकि मालूम हो जाय कि क्या बात है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने छानबीन करने के बाद ही यह मामला आपके पास भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आपको ३०,३१ अगस्त को मौका दिया जायगा । यह मैं पहले कह चुका हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपके सचिवालय से एक पत्र मेरे पास आया है । कल भी इस विषय का एक पत्र आया था । सहकारी फेडरेशन के हिसाब की अनियमितता के बारे में हम लोगों ने एक सूचना आपके पास भेजी थी जो नियम ५२ में थी । उसको अन्यथा करके हम लोगों के पास भेजा है और यह लिखा गया है कि उसको नियम ४९ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । आज यह सूचना हमें श्रीमन् मिली है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में इसके लिये दो-ढाई घंटा समय दे दिया जायेगा . . . . (व्यवधान) ।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं कई बार खड़ा हुआ हूं . . . . (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । अब सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियमावली, १९४८ में किये गये संशोधनों तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के संबंध में प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं . . . . (सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग जरा शांति रखें । मंत्रियों से भी मैं कहता हूं कि आप लोग जरा शांत होकर सुनिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, या तो आप हाउस को बन्द कर दीजिये या यह हल्ला बन्द कराइये । ये सरकारी पक्ष के लोग इतना हल्ला करते हैं कि हम लोग कोई बात सुन नहीं पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं । आप लोग कृपया शांत हो जायं ।

---

† छापा नहीं गया ।

*श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गयी कुछ मुख्य सिफारिशों के विषय में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौथा संशोधन) नियमावली, १९७० पर विचार करते समय समिति ने यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० का नियम ४० देखा जिसमें आर० टी० ए० का कोरम कम से कम चार रखा गया है । इस कथित रूल के अनुसार कोरम के लिये सदस्यों की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है । ये हैं चेयरमैन, सचिव और उनके अलावा दो गैर-सरकारी सदस्य । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४४(२) में आर० टी० ए० का गठन किया गया है, जिसके अनुसार उसमें चेयरमन क अतिरिक्त दो से अन्यून सदस्य होंगे, जो चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी । श्रीमन्, ऐसी अवस्था में हो सकता है कि आर० टी० ए० की मीटिंग में केवल तीन ही सदस्य बैठें। एक चेयरमैन हो और कोई भी गैरसरकारी सदस्य न हो । ऐसी अवस्था में श्रीमन्, रूल के अनुसार आर० टी० ए० की बठक में कोरम का होना अव्यावहारिक हो सकता है । गत एक वर्ष से वस्तु-स्थिति इस प्रकार है कि सचिव, अब आर० टी० ए० के सदस्य नहीं रहे हैं और न कोई गैर-सरकारी सदस्य है । उस परिस्थिति में आर० टी० ए० की बैठक में कोरम का होना अव्यावहारिक हो गया है । आर० टी० ए० में दो गैर-सरकारी सदस्य का रखना अनिवार्य नहीं है । अतः यदि किसी समय आर० टी० ए० में गैर-सरकारी सदस्य न रखे जायं, जैसा कि इस समय है,तो कोरम व्यावहारिक रूप से संभव ही न होगा । समिति की राय है कि इतनी छोटी अथारिटी के लिये कोरम की आवश्यकता ही नहीं है । आर० टी० ए० की कई ऐसी बैठकें हुई जिनमें सभी सदस्य उपस्थित नहीं हुए और इस तरह से उन बठकों की सब कार्यवाहियां संदिग्ध सी हो गयी हैं ।

परिवहन विभाग का कर्त्तव्य है कि वह इस संबंध में सतर्कता बरतता । निश्चित रूप से परिवहन विभाग ने इसमें उदासीनता बरती है । इसीलिये हम सदन के आदेशानुसार कोरम संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन कर देना चाहते हैं । बैठक गठित करने के लिये सब सदस्यों की उपस्थिति अनिवाय होनी चाहिये । यदि कोरम निश्चित करना ही हो तो कोरम की संख्या तीन से कम ही होनी चाहिये तभी व्यावहारिक हो सकेगा । आर०टी०ए० के पर्सनल में परिवर्तन हो जाने के पश्चात् परिवहन विभाग ने कोरम संबंधी नियमों में परिवर्तन नहीं किया । इसके कारण उक्त एक वर्ष से अधिक समय में आर० टी० ए० का कोरम बनाना ही अव्यवहारिक रहा और इस अवधि में आर० टी० ए० की कार्यवाही की वैधता संदिग्ध हो गयी । समिति को यह भी दुख है कि इस संबंध में नियमों में संशोधन करने हेतु ३ अक्टूबर, १९७० को आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं किन्तु संशोधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया । ऐसे महत्वपूर्ण मामले में बिलम्ब करना परिवहन विभाग की उदासीनता का परिचायक है ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह वित्त (बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०८७१/१०—९०० (१२)-६७, दिनांक ४ फरवरी, १९७१ से सम्बन्धित है। शासन ने दिनांक २४ जनवरी, १९७० को यह निर्णय लिया था कि देशी शराब पर आबकारी ड्यूटी बढ़ा दी जाय तथा बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाय । आबकारी विभाग, गोपन विभाग तथा वित्त (बिक्री-कर) विभाग में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं हुआ जिसके अभाव में यह विज्ञप्ति दिनांक २ मई, १९७० को जारी की गयी। वह विज्ञप्ति अप्रैल के पूर्व ही जारी हो जानी चाहिये थी। स्पष्ट रूप से इस विज्ञप्ति में यह भी लिखा गया था कि २ मई से ही बिक्री-कर मुक्त किया जायगा और ४ फरवरी सन् ७१ को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह]

वित्त विभाग को यह मालूम हुआ कि यह मुक्ति-बिक्री-कर की १ अप्रैल सन् ७० से होना चाहिये थी। इसलिये उन्होंने दूसरी विज्ञप्ति जारी की और उसके अनुसार २ मई, १९७० की उपर्युक्त विज्ञप्ति को अनुवर्ती प्रभाव देकर दिनांक १ अप्रैल, ७० से लागू किया गया जो कि वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार निषिद्ध था। इससे स्पष्ट रूप से बिक्री-कर विभाग की उदासीनता जाहिर होती है और यह भी जाहिर होता है कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में कोआर्डिनेशन नहीं है। यदि दिनांक २ मई, ७० को विज्ञप्ति में कोई तिथि नियत नहीं की जाती तो वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार १ अप्रैल, ७० से ही लागू होती किन्तु वित्त विभाग ने इस विधिक स्थिति की ओर भी ध्यान नहीं दिया। समिति ने यह आशा प्रकट की है कि शासन ऐसे आदेश निकालेगा कि भविष्य में शासन के विभिन्न विभाग कोआर्डिनेशन से कार्य करेंगे और कोई विभाग विज्ञप्ति निकालने में विलम्ब नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ में यह प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में श्री देवराज सिंह, निवासी फरीदपुर, जिला बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं।

इलाहाबाद जिला परिषद् की बी० टी० सी० के अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस वक्तव्य की प्रतियां तो हमें दिला दें।

शिक्षा उप मंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद जिला परिषद् में बी० टी० सी० अभ्यर्थियों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई जन-शिकायत प्राप्त नहीं हुई। चुनाव की चयन लिस्ट को अन्तिम रूप देते समय कुछ गलतियां सामने आयी थीं जिनका सुधार कर दिया गया और सुधार करने के बाद ही सूची मण्डलीय अधिकारी को अनुमोदनार्थ भेजी गई थी।

त्रुटियां जो सामने आयी थीं, वे निम्नवत् हैं :—

(१) कुछ ऐसे अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुये थे जिनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये थे।

(२) कुछ ऐसे अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुये जिनकी आयु प्रमाणित नहीं थी।

(३) चुनाव सूची बनाते समय कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सूची से छूट गये थे जिनका नाम मुख्य सूची में आना चाहिये था।

उक्त त्रुटियां सूची को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले ही सामने आ गई थीं और अन्तिम सूची बनाते समय उनका सुधार कर दिया गया।

श्रीमन्, इस वक्तव्य के साथ ही मैं एक बात कहना आवश्यक समझता हूं कि यह जो सूचना दी गई है वह अभी पूर्ण नहीं है, सूचना अभी तक इलाहाबाद से आई नहीं है और यह सूचना केवल टेलीफोन से ही मिली है। अतः मैं माननीय मेम्बरान से प्रार्थना करूंगा कि जो और भी वहां पर त्रुटियां उनकी जानकारी में हों वे बता दें हम उसकी पूरी इन्क्वायरी करा के सदन को सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो आपको किसी अन्य दिन वक्तव्य देना होगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

यह जो अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हुआ है इसकी सूचना नियम ५१ में हमने दी थी लेकिन आपने इसको केवल वक्तव्य के लिये मान लिया। इस चयन में सबके लिये एक आधार नहीं अपनाया गया। इसमें बहुत अनियमिततायें हुई हैं लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से उन अनियमितताओं के विषय में कोई उत्तर नहीं आया है। उनको छानबीन कर उत्तर देना चाहिये था कि ४८ प्रतिशत से अधिक वालों को क्यों नहीं लिया गया और ४५ प्रतिशत अंकों वाले लोग कैसे ले लिये गये···

श्री अध्यक्ष—

आप त्रुटियों के बारे में···

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, हमनें नियम ५१ की अपनी सूचना में बहुत कुछ दिये हैं लेकिन उन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया गया। जो शैक्षिक योग्यता अधिक रखने वाले अभ्यर्थी थे उनको नहीं लिया गया लेकिन मन्त्रियों के कहने पर और सिफारिशों के आधार पर कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को ले लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

अब यह १४ सितम्बर को और सूचना दे देंगे।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

तब तक तो बहुत देर हो जायगी और पढ़ाई भी सब जगह शुरू हो जायगी। आप यह वक्तव्य ३१ को ही करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

हम ३१ अगस्त को उठेंगे और यह उस दिन तक नहीं आ सकेगा। त्रुटियों की कोई सूची हो तो आपके पास उसे आप दे दें तो वांछित सूचना जल्दी आ सकती है। नहीं तो १४ तारीख तक पूरा जवाब आ जाना चाहिए, यह मैंने निश्चय किया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, ८ दिन हो गये हैं लेकिन अभी भी पूरा जवाब नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए मैंने १४ तारीख रख दी है। उस वक्त ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास सूचना नहीं आयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र और आयु प्रमाणित नहीं थी, साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, उनका साक्षात्कार हुआ या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

सब सूचना ये सदन को दे देंगे।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, यह प्रश्न मेरा है पर मंत्री जी के वक्तव्य की कोई प्रति मुझे प्राप्त नहीं हुयी है, कृपया इसे दिलाने का कष्ट करें?

श्री अध्यक्ष—

ये दे देंगे।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द शर्मा)—

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों तथा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक छात्र संघ की ओर से शासन को मांग प्रस्तुत की गयी है।

छात्रों की प्रमुख मांगों में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के लिए भवन निर्माण की मांग है। यह संस्था दिनांक १ मार्च, १९६८ से ही सरकारी नियंत्रण में ली गयी है। इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है। नगर महापालिका, लखनऊ तथा स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। भूमि मिल जाने के बाद ही भवन निर्माण का प्रश्न उठेगा।

छात्रों की यह मांग भी है कि जी० एच० एम० एस० डिग्री कोर्स में प्रवेश पुनः चालू किया जाय। यह कोर्स लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुआ था और प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या कुछ वर्षों से नगण्य सी थी, अतः १९६६–६७ के सत्र से प्रवेश बन्द कर देना पड़ा। इस स्कीम में केवल दो ही विद्यार्थी इस समय हैं। इसी बीच १९६५ में भारत सरकार द्वारा डिग्री कोर्स संबंधी एक स्कीम परिचालित की गयी है जिसका उद्देश्य देश के समस्त प्रान्तों में होम्योपैथिक शिक्षा में एकरूपता लाना है। स्थिति यह रही है कि किन्हीं प्रदेशों में दो वर्ष, किन्हीं में तीन वर्ष और कहीं चार वर्ष की अवधि के डिप्लोमा कोर्स चलते रहे हैं। इससे पारस्परिक मान्यता (रेसीप्रोकल रिकग्नीशन) में भी कठिनाई होती थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नयी स्कीम चलायी। इसमें इस बात की व्यवस्था है कि ४–वर्षीय डप्लोमा कोर्स पास करने के बाद ही छात्र २–वर्षीय डिग्री कोर्स में प्रविष्ट हो सकते हैं अर्थात् उनकी व्यवस्थानुसार डिग्री कोर्स ६ वर्ष की अवधि का है जब कि जी० एच० एम० एस० डिग्री कोर्स ५ वर्षों की अवधि का है। प्रदेश में ४ साल का डिप्लोमा कोर्स ही लागू है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की स्कीम को हमारी सरकार ने इस अन्तर के साथ सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल के बजाय हाई स्कूल (साइन्स) हो। भारत सरकार की स्कीम को अन्ततः लागू करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

छात्रों ने यह मांग की है कि होम्योपैथी के लिए निदेशालय पृथक हो। प्रकटतः इस मांग का छात्रों से सीधा सम्बन्ध भी नहीं ह। प्रदेश में होम्योपैथी का अभी इतना विकास नहीं हुआ कि एक पृथक निदेशालय अपेक्षित हो। यह प्रस्ताव फिलहाल अपरिपक्व है फिर भी होम्योपैथी के लिए एक विशेष अधिकारी (होम्योपैथी) के पद के सृजन पर सरकार विचार करेगी।

छात्रों की यह भी मांग है कि व्यावहारिक अनुभव के लिए "हाउस-जाब" की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों का तात्पर्य यदि "इन्टर्नशिप" से है (जैसा कि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में है) तो उसका निर्णय होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा ही लिया जा सकता है और तद्नुसार बोर्ड को निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन करना होगा।

होम्योपैथिक चिकित्सकों के वेतन-स्तर में सुधार की मांग भी रखी गयी है। शासन द्वारा वेतन आयोग गठित किया जा चुका है। वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण सम्बन्धी सभी मामले आयोग के सम्मुख यथासमय प्रस्तुत होने हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह डिग्री कोर्स की बात है और जो डिप्लोमा कोर्स इस समय चालू है तो जिस समय आपने उल्लेख किया कि दो विद्यार्थी इस समय हैं, ये केवल चालीस की स्ट्रैन्थ पर दो आदमी हैं। आज की स्ट्रैन्थ ४५०-५०० है। क्या आप विचार करेंगे कि डिग्री कोर्स पुनः चालू कर दिया जाय और जैसे कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है वैसी ही यह भी जारी रखी जाय ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के जवाब में बताया गया है सरकार डिग्री कार्स चालू करने के हर पहलू पर विचार कर रही है। हमारे यहां कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक डिग्री कोर्स अभी चालू है। उसे बन्द नहीं किया गया है और जब तक हम एक निर्णय जो केन्द्रीय सरकार का है और भारत सरकार ने एक पैटर्न बनाया है उस पर फाइनल निर्णय नहीं ले लेते हैं तो अभी जो डिग्री कोर्स चल रहा है उसको बन्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित अभी इन्होंने कहा कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के लिये लखनऊ नगरमहापालिका तथा स्वायत्त शासन विभाग से भूमि प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इससे पहले कितनी बार लिखित कार्यवाही की गई और क्या उत्तर आया ? उसमें अड़चनें क्या थीं जमीन न प्राप्त होने के बारे में ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

अभी तक मांग यह थी कि चालीस एकड़ तक जमीन होनी चाहिये थी। हमने कोशिश करके यह निर्णय लिया कि दस एकड़ की जमीन से भी काम चलाया जा सकता हो तो इस पर विचार किया जाय और ऐसी जमीन ढूंढ़ी जाय। अभी पिछले सप्ताह हमारे राज्य मंत्री जी देखने के लिये स्वयं भी गये भूमि को और दस एकड़ की जमीन प्राप्त हो जायेगी। अब हमें आशा है और इसी सिलसिले में बात पक्की हो रही है। एल० एस० जी० डिपार्टमेंट को भी लिखा है और मैं इतना आश्वासन देना चाहती हूं कि अब सरकार की तरफ से इसको पूरी तत्परता से लेने का विचार है क्योंकि हम स्वयं चाहते हैं कि भवन का निर्माण हो तभी ठीक से होम्योपैथी की पढ़ाई सुचारु रूप से चालू हो सकेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सरकार की वर्तमान तत्परता को देखते हुये क्या मंत्री जी कुछ बता सकेंगी कि किस वक्त तक इमारत बन जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

भूमि उपलब्ध होते ही यह इमारत का काम आरम्भ हो जायेगा क्योंकि हमने इसके लिए जो.....

श्री अध्यक्ष—

वे पूछते हैं कब बन जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

आरम्भ करने की बात कही जा सकती है। तैयार कब हो जायेगी इसके लिये नहीं बताया जा सकता। हां, जैसे ही जमीन की लिखा-पढ़ी हो जायेगी हम आशा करते हैं कि दो-तीन महीने के अन्दर इमारत बन जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो कल बातचीत आपकी विद्यार्थियों से हुई थी उसके अन्दर एक ही केवल डिग्री कोर्स का प्रश्न था। आज माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं कह पा रहीं थीं कि चालू रक्खेंगे। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि डिग्री कोर्स चालू रक्खेंगे। क्या इस आश्वासन के आधार पर उन विद्यार्थियों को जो अनशन पर हैं इस विषय से परिचित करा देंगे और कोशिश करेंगे कि आन्दोलन समाप्त हो ?

श्री अध्यक्ष—

ये काम आपको सौंप देंगे। आप शरबत पिला दीजियेगा और खत्म हो जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को यह पता है कि होम्योपैथिक बोर्ड के बारे में कितनी अनियमिततायें हैं। नम्बर देने के बारे में बराबर शिकायतें मिला करती हैं। क्या इसको दुरुस्त करने के लिए अच्छा नहीं होगा कि बोर्ड को भंग करें और स्वास्थ्य और चिकित्सा निदेशक की स्थिति का उप-निदेशक नियुक्त कर दें ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

शासन को समय-समय पर होम्योपैथिक बोर्ड के संबंध में शिकायतें मिलती रहीं हैं और इसी-लिये उसे रिकांस्टीट्यूट करने पर भी विचार कर रहें हैं और साथ ही साथ एक डिप्टी डायरेक्टर रैन्क के स्पेशल आफीसर की नियुक्ति पर भी विचार कर रहे हैं जो पूरी तौर से इस काम को देखे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, छात्रों की शिकायत यह है कि ५० एकड़ का बहाना है, जबकि मेडिकल कालेज २५ एकड़ में है और आयुर्वेदिक कालेज १० एकड़ में है, तो क्या मंत्री जी निश्चित घोषणा करेंगी कि दस एकड़ काफी है और उसके बाद उसकी व्यवस्था करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, यह तो व्यवस्था कर दी, माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

लेकिन इसमें यह लिखा है·····

श्री अध्यक्ष--

अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दस एकड़ से काम कर लेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने तो अलग से एक विशेष अधिकारी का निर्णय ले लिया है लेकिन वित्त विभाग में वह मामला अभी रुका हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार के काम बिना वित्त विभाग में गये तो होते नहीं, यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं ।

श्री राम सागर--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि छात्रों की यह मांग रही है कि होम्योपैथिक का निदेशालय अलग हो ? उन्होंने एक विशेष अधिकारी की बात कही है । होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक के साथ सम्बद्ध की जाती है तो एलोपैथी वाले होम्योपैथिक के विकास में बाधा डालते हैं । इसलिये यह मांग रही है कि होम्योपैथी को आयुर्वेद से सम्बद्ध कर दिया जाय । इस मांग को देखते हुये क्या मंत्री जी यह करेंगी कि जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाय वह आयुर्वेदिक निदेशालय के अन्तर्गत हो ?

डाक्डर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ठीक से व्यवस्था हो सके और इसकी पढ़ाई वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो । इसलिये हमारा विचार यह है कि जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हम बनाने जा रहे हैं उसमें होम्योपैथिक की भी एक फैकल्टी हो और इस तरह से इसको भी अच्छा बनाया जा सके । जहां तक वर्तमान समय में मेडिकल डायरेक्टोरेट से हटाकर आयुर्वेद डायरेक्टोरेट के साथ संबद्ध करने की बात है, हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की ठीक व्यवस्था हो सकती है और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी ठीक से काम कर सके ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन् मार्च, ७१ में यह फैसला लिया गया था कि समस्त सरकारी कर्मचारियों, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को ८ या १० रु० प्रति मास अन्तरिम सहायता मिलेगी, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि क्या वह सहायता होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी मिल रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं इसका कोई संबंध इससे नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह छात्रों की मांग में है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वेतन और ग्रेड की बात तो वेतन आयोग के सामने विचाराधीन है । जहां तक ८-१० रुपये की बात कही गयी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनशन तुड़वाने की कोशिश करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

सहानुभूति की बात तो उन्होंने कही । अनशन तुड़वाने का काम तो आपका है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उन लड़कों को काफी तकलीफ हो रही है । माननीय सदस्य जाकर शरबत पिलायें ।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो हड़ताल चल रही है और जो उनकी मांगे है, उनमें से कौन सी मांग ऐसी है जिसको मंत्री जी ने सरकार की तरफ से स्वीकार किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमने तो स्पष्ट तरीके से बता दिया कि हम उनकी मांगों को अपनी लिमिटेशन्स के अनुसार स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मतलब यह है कि सब रामायण समाप्त हो जाने के बाद "राम की सीता कौन थी" यह प्रश्न आया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इनके हाथों से शर्बत मीठा रहेगा ।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिऊ नत्थी "क" आगे पृष्ठ १०८ से ११० पर)

१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन, अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)†

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

श्री श्याम सूरत उपाध्याय बोलेंगे—पहले इनको बोलने दीजिये ।

श्री गंगा प्रसाद—

ये तो मंत्री हैं, इनको तो मौका मिलेगा ही, सदस्यों को भी मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं—इन्टरवीन कर रहे हैं । मैं आपको १५ मिनट देता हूं ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर.....

*कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

श्री भाभी यादव ने अपनी पब्लिक स्पीच में यह कहा था कि यह समाजवादी बजट नहीं है । इस संबंध में मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि पता नहीं किस आधार पर माननीय भाभी यादव ने यह कह दिया कि यह समाजवादी बजट नहीं है, बल्कि पूंजीवादी बजट है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां जो बजट पेश किया गया है वह महान् क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा समाजवादी बजट है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जी हां, यह क्रान्तिकारी बजट है ?

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बजट में यह प्राविधान किया गया है कि १ एकड़ से कम के काश्तकारों की चीजों के मूल्य में आधी छूट दी जायेगी और इसके लिये १ करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है । पहले भी सरकारें रही हैं, परन्तु अभी तक इस तरह का बजट पेश नहीं किया गया है कि जिसके

---

† २६ अगस्त, १९७१ की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जरिये १ एकड़ से कम काश्तकारों को बीज और खाद के खरीदने में इस तरह की राहत दी गई हो जैसी कि इस सरकार ने दी है।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इनके आने पर बीज नष्ट हो गया और बाढ़ आ गई।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, फतेहपुर, रायबरेली, बदायूं तथा प्रतापगढ़ जिलें में लघु कृषक विकास योजनायें चल रही हैं। इन जिलों में १ हेक्टेयर से ३ हेक्टेयर के काश्तकारों की संख्या ५०,००० के करीब है। उनको १ १/२ करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है। इन जिलों में सिंचाई, पशुपालन, अल्प सिंचाई, की योजनाओं तथा कुटीर धन्धों को चलाने के लिये योजनायें चलायी गई हैं। इन योजनाओं से इनको राहत मिलेगी। इस समाजवादी सरकार ने इन ४ जिलों के अलावा ५ जिलों की स्कीम्स केन्द्रीय सरकार को भेजी है ताकि वहां पर भी लघु कृषक योजनायें चालू हो सकें। वहां पर, भारत सरकार की संस्तुति हो जाने के बाद, कार्य किया जायगा। उन जिलों को मैं पहले ही बता चुका हूं। वे हैं : गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा बलिया। ये पांचों पूर्वी जिले हैं। जो गरीब जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, उन जिलों में लघु कृषक विकास योजना चलाने की योजना इस सरकार के विचाराधीन है, जब केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिल जायगी तो यह लागू की जावेगी। इसके अलावा सदन जानता होगा कि प्रदेश में मारजिनल फार्मर्स हैं लैंडलेस लेबरर्स हैं उनकी तरक्की के लिये एक योजना चलाई गई है। यह योजना मथुरा और बलिया में लागू की गई है। इन दो जिलों में जो १ हेक्टेयर से कम के काश्तकार हैं उनको १ करोड़ रुपये की राहत दी जावेगी। एक करोड़ रुपया उन पर विभिन्न मदों में खर्च किया जावेगा जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो सके।

इसके अलावा, इस बजट में प्राविधान किया गया है कि बड़े काश्तकार जो हैं औजार ट्रैक्टर वगैरह खरीद सकते हैं लेकिन छोटे काश्तकार ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं। उनको किराये पर यह औजार उपलब्ध कराने की योजना इस सरकार ने चलाई है कि विभिन्न केन्द्र प्रदेश में खोले जाएं जहां पर ट्रैक्टर, थ्रेशर्स और अन्य यंत्र किराये पर उपलब्ध हो सकें। इस तरह से १४ जिलों में इसको लागू कर रहे हैं। यह स्कीम इन जिलों के २२ ब्लाक्स में होगी। इसके साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि तकावी ऋण जो ३५ लाख रुपया रक्खा गया था, उसको अब ७० लाख रुपया करने पर सरकार विचार कर रही है। यह भी गरीब किसानों को राहत मिलने वाली है। मान्यवर, पौष्टिक आहार योजना चल रही है, इसके अन्तर्गत···

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

यह योजना छोटे काश्तकारों के लिये होगी या सभी के लिये होगी और इस पर गत वर्ष तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मुझे १५ मिनट का समय मिला है, अगर स्पष्टीकरण करने लगूंगा तो समय इसी में समाप्त हो जावेगा।

पौष्टिक आहार योजना में इस प्रदेश के अन्दर १०४ विकास खण्ड लिये गये हैं, जिनमें २० विकास खण्डों में कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण दिया जावेगा और दो माह के छोटे-छोटे मुर्गी के बच्चे दिये जायेंगे और इस योजना में जो क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है वह यह है कि हरिजनों को प्रोत्साहन देने के लिये यह प्राविधान किया गया है कि आधे मूल्य पर उनको यह दिये जायेंगे। आधा लक्ष्य उनके लिये सुरक्षित है। यही नहीं इस कुक्कुट पालन योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिये कुक्कुट के लिये जो आवास गृह बनाये जायेंगे उनमें ३५ प्रतिशत छूट

रहेगी। जो यह योजना है इसमें समाजवादी कदम है या नहीं इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। भाभी यादव जी ने कैसे कहा कि यह पूंजीवादी बजट है। सारा प्रदेश जानता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और वहां गरीबों की तादाद ज्यादा है। उनके विकास के लिये मौजूदा सरकार ने दो निगम बनाये हैं, बुन्देलखण्ड विकास निगम और पूर्वी प्रदेश विकास निगम। मान्यवर, क्या यह एक पूंजीवादी सरकार कर सकती है या समाजवादी सरकार कर सकती है, इसका फैसला तो यह सदन करेगा या मान्यवर आप करेंगे। इसके साथ-साथ आपने देखा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्रीय बजट में ५५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये। उस योजना के अन्तर्गत प्रायः सभी जिले लिये गये हैं और प्रत्येक जिले को साढ़े १२ लाख रुपया दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत जो गरीब हरिजन और भूमिहीन लोग हैं उन्हें काम मिलेगा।

मान्यवर, ड्राई फार्मिंग योजना भी लागू की गई है। बुन्देलखण्ड का ललितपुर और आगरा व गाजीपुर जिला ड्राई फार्मिंग के अन्तर्गत लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ५० प्रतिशत सब्सीडी दी जायेगी इर्रीगेशन में, ३३ प्रतिशत कैटिल खरीदने में और ३३ प्रतिशत स्वायल कंजर्वेशन के काम में इसके साथ ही साथ ५० प्रतिशत सब्सिडी सीड और फर्टीलाइजर पर योजना के प्रथम वर्ष में मिलेगी। यह योजना भी गरीब और पिछड़े वर्ग के लिये है। मान्यवर, आप जानते हैं कि स्वायल कन्जर्वेशन का काम इस प्रदेश में बहुत दिनों से चल रहा है। भूमि संरक्षण के काम से सारा का सारा फायदा गरीबों को मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि ४० हजार व्यक्ति प्रति दिन इस भूमि संरक्षण के काम में लगे हुए हैं और हरिजन वर्ग के लोगों को इससे काम मिल रहा है। मान्यवर, क्या यह समाजवदी बजट नहीं है और यह समाजवादी कार्यक्रम नहीं है जिसके जरिये ४० हजार व्यक्तियों को प्रति दिन रोजगार मिल रहा हो।

इसके अलावा एक क्रान्तिकारी कार्य और किया है। रूरल वर्क्स प्रोग्राम इन क्रोनीकली ड्राट एरियाज यानी जहां पर गंभीर रूप से सूखा पड़ा करता है वहां के लिये भी योजना चला रहे हैं। प्रदेश के कई जिले इस स्कीम में लिये गये हैं। वाराणसी का चकिया इलाका, मिर्जापुर, बांदा, इलाहाबाद का शंकरगढ़ और सिरसा का इलाका लिया गया है। हमीरपुर और जालौन के दो जिले और इसमें जोड़े गये हैं क्योंकि ये भी ड्राट एफेक्टेड एरियाज हैं। यहां पर मुख्यतः जो काम होगा वह इसलिये कि यहां की पदावार बढ़े। यहां बन्धी बनाई जायेंगी और ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि बरसात के पानी को सूखे की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे बीज वहां पर बोये जायेंगे जिससे कि वहां के किसान को राहत हो और उसकी आर्थिक उन्नति हो सके।

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि शीप का कारोबार पिछड़ी जाति के लोग करते हैं जिनको हम गड़रिया कहते हैं। इन लोगों के द्वारा ही भेड़ पालन का कारोबार होता है। इस कार्य को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में इस वर्ष शीप डेवलपमेन्ट की योजना चालू की जा रही है। बनारस, मिर्जापुर, और इलाहाबाद व पहाड़ी इलाके के लिये यह योजना है। इस स्कीम के अन्तर्गत भेड़ों की नस्लें सुधारने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। जब भेड़ों की नस्ल सुधरेगी तो उससे ऊन ज्यादा पैदा होगी और जब ऊन ज्यादा पैदा होगी तो उससे ऊन की तमाम सब्सीडियरी इन्डस्ट्रीज कायम हो सकेंगी जिससे गरीब आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। तो यह भी समाजवाद की दिशा में एक कदम होगा।

इस वर्ष पशुपालन के लिये भी हम २३ नये पशु चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं तथा ९५ पशुपालन केन्द्र भी खोले जायेंगे। सदन में एक प्रश्न यह उठाया गया था पहले कि वैटरिनरी

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

ग्रेजुएट बेकार हैं। ऐसे १०५ अन इम्प्लायड लोगों को १७५ रु० माहवार का इन्टर्नशिप दिया जायगा।

मत्स्य विभाग भी कृषि विभाग से ही संबंधित है। इसके विकास की ओर भी हमने कदम उठाये हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि सन् १९६८-६९ में १,१६,२३० क्वींटल मछली का प्रदेश से निर्यात हुआ। १९७०-७१ में १,५७,७०७ क्वींटल का निर्यात हुआ। १९७०-७१ में यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इससे जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है १९६८-६९ में २८.७७ लाख रुपये की आय हुई १९६९-७० में ३१.३२ लाख रुपये की आय हुई और १९७०-७१ में ३२.५९ लाख की आय हुई। १९७१-७२ में करीब ४५ लाख का टार्गेट रखा गया है। जो हमारे जलाशय हैं उनके विकास का कार्यक्रम भी चलाया गया है। इस तरह से आप देखें कि इस विभाग द्वारा कई समाजवादी कार्यक्रम चलाये गये हैं। मछुये लोग तो छोटी जाति के होते हैं। इस विभाग के विकास द्वारा उनको काम मिलेगा।

कृषि उत्पादन के साथ-साथ तिलहन और फलों के उत्पादन की ओर भी हमने ध्यान दिया है। फलों का उत्पादन लगभग ५०-६० लाख टन का है। जो हमने नये उद्यान लगाये फलों के, पहाड़ों पर इसके कारण अगले वर्ष ५ हजार टन पैदावार अधिक होने की आशा है और धीरे-धीरे यह पैदावार और अधिक बढ़ती जायेगी।

तिलहन के क्षेत्र में भी, मूंगफली की योजना हमने एक बनाई है जो १५ पूर्वी जिलों के लिये होगी। यह योजना भारत सरकार को भेजी गयी है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद १५ जिलों में मूंगफली की जो योजना हमने बनायी है वह चालू की जायेगी। पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदान के २० जिलों में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई गई है, जो इसी वर्ष से चालू की जा रही है। सूरजमुखी की खेती के लिये भी ३ जिलों में योजना बनाई गई है, जो इसी वर्ष से शुरू की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे कृषि बजट को जो महान समाजवादी बजट है, पास करने की कृपा करें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने कृषि विभाग पर विचार करने के लिये अवसर दिया है।

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी ने जो अपना सुझाव दिया है कि समाजवादी सरकार ऐसा इंतजाम कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार की स्थापना किस दिन से हुई है। समाजवादी नारे का प्रयोग यह वोट मांगने में तो कर सकते हैं, लेकिन इस हाउस में नहीं कर सकते हैं। यह समाजवाद देखना चाहते हैं तो बलरामपुर अस्पताल में जाकर देख लें जहां.....

श्री अध्यक्ष—

आप इनको बोलने दीजिये, अव्यवस्था न पैदा कीजिये।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह तो श्रीमन्, जनसंघ पार्टी के हैं, इनको समाजवाद से क्या मतलब ?

श्री सुखपाल पांडेय—

हमारे कृषि मंत्री जी कृषि के विशेषज्ञ हैं और उनको जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में २०० करोड़ रुपये का नुक्सान रबी की फसल में हुआ है।

मैं जानता हूं कि वह बात उन्होंने कृषि विशेषज्ञ होने की वजह से नहीं कही है, बल्कि सरकार के आंकड़ों पर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत कम है। उससे कई गुना ज्यादा रबी की फसल में उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। मैं कृषि मंत्री के द्वारा एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीज रिसर्च सेंटर है, उसी तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एक कृषि सेक्शन खोला जाये, जिससे कि वहां के लोगों के लिए बीज की व्यवस्था हो सके। मदन मोहन मालवीय कृषि इंजीनियरिंग कालेज १०० एकड़ जमीन किसानों की एक्वायर किये बेमतलब बैठा है, उससे यह जमीन विश्वविद्यालय को दिलाई जाये, जिससे बीज रिसर्च सेंटर के द्वारा उसका उपयोग हो सके। आप ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करें, जिससे प्रदेश का कुछ उत्थान हो।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्ती जिला एक ऐसा पिछड़ा जिला है, जिसमें उधर तो फसल बरबाद हुई और इधर बाढ़ ने मारा चौपट कर दिया। करीब १० करोड़ की क्षति उस जिले में हुई है और हजारों एकड़ जमीन कटकर घाघरा की गोद में चली गई है। आज कृषि विभाग की ओर से दो-तीन छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन पर कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ होगा यह सोचने की बात है। १, नम्बर २, नम्बर ३ इस प्रकार से कई पुस्तकें हैं, कृषि मंत्री जी ने उसमें कटान का जिक्र किया है। यदि कृषि मंत्री जी जमीन की रक्षा करना और खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वहां के लोगों को राहत देना चाहते हैं तो बस्ती जिले में घाघरा नदी का जो कटान है, लकड़मंडी से विक्रम जोत और उधर खलीलाबाद तक, उसके लिये एक स्थानीय योजना कृषि विभाग के द्वारा अपनाई जानी चाहिये, जिससे हजारों लाखों लोगों और पशुओं के जान की रक्षा हो सके। लेकिन इसके लिये सरकार के पास अभी तक कोई योजना नहीं है, केवल आंकड़े प्रस्तुत करके, उसके शब्दजाल में लोगों को फंसाने की चेष्टा की गई है। इसलिये मेरा कृषि मंत्री से सुझाव है कि वह एक ऐसी योजना बाढ़ नियंत्रण और घाघरा नदी के लिये बनायें जिससे बाढ़ और घाघरा नदी से पीड़ित लोगों को राहत मिल सके।

माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान गन्ना के विषय में दिलाना चाहता हूं। उधर प्रदेश के ४१ हजार गांवों में गन्ना किसान बसे हुये हैं जिन की संख्या २२ लाख से अधिक है। उनके लिये योजनायें हैं, उनके विकास के लिये कार्य किया जा रहा है। उनके गन्ने की तौल करवा कर मिलों को दिलवा देते हैं उसके बाद उनको गन्ने का मूल्य दिलाने के लिये कोई उपाय नहीं है। करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है और उसके वसूल करने के लिये सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। अगर किसान के पास एक पैसा बकाया हो तो उनको जेल में बन्द करके उनसे पैसा वसूल किया जाता है। कृषि मंत्री जी की इस पर भी दृष्टि होनी चाहिये। माननीय कृषि मंत्री और उनके मित्रों के सहयोग से एक पाताल गंगा धरती पर उतर आयी थी। मैं गन्ना समिति के नलकूपों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक भूतपूर्व केंद्रीय सरकार के मंत्री ने इस योजना को चलाया जिसमें २५ लाख रुपये का घाटा है। आज किसानों के ऊपर यह कर्जा लदा हुआ है। आज किसान तड़प रहा है लेकिन कोई उसका पुरसां हाल नहीं है। आज दिवाला होने की नौबत है। जो केंद्रीय सरकार से कर्जा लिया गया वह राजनीतिक परिवारों के पोषण में पैसा खर्च किया गया। वहां पर ट्यूबवेल लगाये गये। वह चल नहीं रहे हैं, बन्द हैं। गन्ना समिति ने इस संबंध में एक कमेटी जांच करने के लिये बिठाई यूनियन फेडरेशन उत्तर प्रदेश में उस ने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। माननीय मंत्री गन्ना मंत्री के अन्तर्गत वह विभाग

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

है, मैं चाहूंगा कि उसको देखें और वहां के किसानों को राहत दिलायें । माननीय कृषि मंत्री कृषि विशेषज्ञ होंगे, बहुत दिनों से इस विभाग में विराजमान हैं लेकिन उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में मैं बराबर मिलता रहा, लिख कर देता रहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार है ।

मैं अपने जिले की तरफ कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक बफर गोडाउन बस्ती में है जिसमें केवल एक साल में चार लाख रुपया रेलवे का क्लेम है । वह इस लिये कि वहां के सीड स्टोर इंचार्ज और इन्सपेक्टर रेलवे वालों से मिल कर कृषि विभाग के पैसे को खा गये । इसमें रेलवे वालों ने केवल दो लाख रुपया स्वीकार किया है । दो लाख रुपया आज भी गायब है । हमारा ख्याल है कि उनके विभाग को इसकी जानकारी हो गयी होगी क्योंकि मैंने इसके पहले कृषि मंत्री जी को लिख कर दिया था । आपसे एक बात और बताना चाहता हूं । वहां से लोडिंग अनलोडिंग दिखाया गया है, स्टेशन से सामान उठा कर दिखाया गया है गोडाउन में गया और गोडाउन से साइट पर गया दिखाया गया है । साइट पर तो गया लेकिन गोदाम में नहीं गया । उसका भी शार्टेज दिखाया गया, इसलिये ५-७ लाख रुपया है । हमारे अधिकारी बड़े अच्छे अधिकारी थे । जब उनका ट्रांसफर हुआ तो मैंने कहा कि उनका प्रोमोशन होना चाहिये । ऐसे आदमियों का प्रमोशन होना चाहिये डाक्टर साहब ने कहा कि मैं रोक नहीं रहा हूं । मैंने उनसे कहा कि प्रोमोशन के लिये कहिये । जो सबसे बड़ा बेईमान अफसर हो उसका प्रोमोशन होना चाहिये ।

डिप्टी डायरेक्टर, गोरखपुर तथा फैजाबाद में एस० एन० सिंह तथा महेंद्र सिंह थे । दोनों समधी हैं । उनके लड़के बस्ती जिले में थे । जिस ईमानदारी से दूसरे अफसरों ने काम किया तो डिप्टी डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप ऐसा न कीजिये, क्योंकि उतने लायक नहीं हैं । एक लाख से कम मामला मैं मंत्री के सामने नहीं लाता हूं । कृषि विभाग ऊंचा विभाग है । मेरे जिले में ७१ हजार रुपये का मामला था । मैं कृषि मंत्री जी को ले गया था और उनको सारे तथ्य वहां मिले होंगे । पूर्वी जिलों में कोई काम न हुआ तो बस्ती में फल अनुसंधान केंद्र का और आज वह चौपट हो रहा है । उस अधिकारी को माननीय कृषि मंत्री जी ने पोस्ट कर दिया जो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी अस्वीकृत हो गया । गोंडा सीड स्टोर के संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया कि २,०४,४६२ रु० १९ पैसे का गबन है । इसके साथ १५ सीड स्टोर्स और हैं जिनमें गबन हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सीड स्टोर्स में जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर ध्यान दें तथा उसे समाप्त करें ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मैं कृषि मंत्री जी के अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इलाहाबाद जिला जो बिलकुल पिछड़ा हुआ है उसके साथ कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग बड़ी ज्यादती कर रहा है । इलाहाबाद में अमरूद की अच्छी खेती होती है लेकिन राज्य सरकार का जो फल विभाग बना हुआ है वह इस खेती के साथ क्या कर रहा है । अमरूद की खेती को उन्नतिशील बनाने के लिये वहां कोई भी अनुसंधान केंद्र नहीं खोला जा रहा है । अनुसंधान केंद्र वह पहाड़ पर खोलते हैं । जो साधनविहीन है और जहां सारा का सारा फल सड़ जाता है वहां अनुसंधान केंद्र नहीं खोला जाता है । मैदानी इलाके में, जहां पर अगर उत्पादन अच्छा हो तो आसानी से उसे हर जगह पहुंचाया जा सके ।

मान्यवर, इलाहाबाद एक ऐसा स्थान है जहां की चीजें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य शहरों को सप्लाई की जाती हैं । वहां के अमरूद की क्वालिटी सेब के समान होती

है । यदि सेव के अन्दर इस अमरूद को रख दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कृषि और फल विभाग के अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक यहां के डाइरेक्टर और यहां तक कि मंत्री महोदय भी उस अमरूद को सेव के अन्दर से नहीं निकाल सकते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

खिलाया आपने किसी को .....

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मान्यवर, खिलाया है । किन्तु वहां के अमरूद की खेती की पैदाइश को उन्नतिशील बनाने के लिये वहां पर कोई अनुसंधान केंद्र नहीं खोला जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके आज हाउस में हमारे इलाहाबाद के लिये यह आश्वासन दें कि वहां पर अमरूद के लिये अनुसंधान केंद्र खोला जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद में कृषि विभाग की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । वहां पर ट्यूबवेल नहीं लगा । गंगा और यमुना से पानी लिया गया है और इसके बीच ही नहरें आ रही हैं किन्तु इलाहाबाद को पानी नहीं दिया जाता है अन्य सूबों में इन नहरों का पानी जाता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अपने अधिकारों को और ज्यादा लें और राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को लिखें कि जिन स्थानों से कृषि के लिये उन्नतिशील बीज बोने की योजना बनाई हुई है और एक अच्छे किस्म की खेती देने की योजना बनाई हुई है उन स्थानों पर नलकूप लगाने की व्यवस्था अपने माध्यम से सरकार करे ।

मान्यवर, इलाहाबाद में पपीते की खेती बहुत होती है । शहतूत और फालसा भी वहां पर बहुत होता है । फालसा एक ऐसा फल है जो कि हृदय रोगियों के बहुत काम में आता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि सरकारी अधिकारी, मिनिस्टर और नेता लोग ज्यादातर हृदय रोग से पीड़ित होते हैं अतः वे कृपा करके इन फलों की उन्नति के बारे में विचार करें ताकि दिल के रोगियों को भी इससे राहत मिल सके । मान्यवर, अंग्रेजों के टाइम में इलाहाबाद में एक चीनी की मिल थी । जिस परिवार ने वहां पर चीनी की मिल खोली थी वह आजादी की लड़ाई लड़ रहा था । अंग्रेजों ने रुष्ट होकर सारी उसकी चीनी मिल को छीन लिया और उसे बन्द करवा दिया । इलाहाबाद में द्वाबा में ईख और गुड़ बेशुमार मात्रा में पैदा होता है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इलाहाबाद में एक शुगर मिल खोलने का प्रबन्ध करे ताकि इन चीजों पर जो महंगाई हो गई है उसको रोका जा सके और इनकी कीमत सस्ती हो सके । सरकार ने कह दिया कि मुर्गीपालन वाले हरिजनों को कुछ प्रतिशत छूट दी जायेगी और जिस प्रकार से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से हरिजनों को अनुदान दे दिया जाता है उसी तरह से छूट दी जायेगी । विचार मान्यवर, यह छूट ठाकुरों, पंडितों और गांव के जमींदारों तथा किसी अहलकार को ी है । मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुर्गी पालन का कार्य उत्तर प्रदेश में विचार ो जातियां मुसलमान और खटिक करते हैं जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है और साधन विहीन, राजनीति में पिछड़े लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी सहूलियतें उनको दें और इसके ऊपर पुनः विचार करें ।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने सुअरों के बालों को कृषि विभाग के अन्तर्गत रखा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा सुअरों के बाल में

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

बड़ा भेदभाव होता है । यह सुअर का बाल यहां से इंगलैन्ड और अमेरिका को भेजा जाता है और उससे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा अपने देश को प्राप्त होती है । लेकिन उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान यहां नहीं किया जा रहा है । इसका कार्य करने वालों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है । उस पर बिक्रीकर और अधिक लगा दिया जाता है और सेक्रेटरी साहब भी इससे अनभिज्ञ है । सुअर का मांस पैक करके विदेशों को भेज दिया जाता है लुक छिप कर उसको खा भी लिया जाता है लेकिन उसके बाल को कोई बड़ी जाति का छूना भी पसंद नहीं करता है । फिर भी सूअर के बड़े-बड़े फार्मों को कौन खोल रहा है । यू० पी० के एक बहुत बड़े राजा ने सूअर का एक बहुत बड़ा फार्म खोला है । सूअर का काम करने वालों को ५०० रुपया अनुदान भी कभी दिया जाता है और राजा महाराजाओं को पंडित जी को इस विभाग से सूअर को पालने के लिये रुपया काफी दिया जाता है । यह आपका बहुत बड़ा समाजवाद है । इसके बारे में माननीय मंत्री जी को बहुत कड़ाई के साथ आदेश देने चाहिये कि उसकी सहायता केवल सूअर का काम करने वालों को ही दी जाय और राजा महाराजाओं को उसके लिये अनुदान न दिया जाय । ताकि गरीब हरिजनों की सच्चे रूप में सहायता की जा सके । उनको ऊपर उठाया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

(श्री रामकुमार का नाम पुकारे जाने पर) अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल से कटौती का प्रस्ताव मूव करने के बाद जनसंघ का कोई सदस्य नहीं बोला । आज आपको इधर से शुरू करना चाहिये था लेकिन उधर से आपने शुरू कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

जनसंघ का अभी कोई सदस्य नहीं बोला । आगे समय दे देंगे ।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इस ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । श्रीमन्, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । खेती की तरक्की के लिये मुख्य रूप से आवश्यकता है खाद की, बीज की, और पानी की । इन तीन चीजों की व्यवस्था अगर कोई सरकार कर दे तो खेती का विकास होगा और उस काम को करने वालों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और उस देश या प्रदेश की समृद्धि भी बढ़ेगी । किन्तु श्रीमन्, जब हम इस दृष्टि से देखते है कि क्या खाद, पानी, और बीज का उचित प्रबन्ध सरकार की तरफ से हैं, तो हमें निराशा होती है ।

(इस समय १ बज कर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

खाद के प्रश्न को अगर आप लें तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में खाद की कीमतें बढ़ रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि खेती के काम में आने वाली उन चीजों में जिनसे खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है इस खाद की बढ़ती हुई कीमतों के कारण गरीब आदमी तो उसको प्रयोग में ला नहीं पायेगा । उत्तरोत्तर खाद की कीमतों के बढ़ने का परिणाम यह होगा कि गरीब किसान उस खाद का उपयोग नहीं कर सकेगा । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप उसकी कीमत को नियंत्रित करें, उसकी सीमा बांध दें कि खाद की कीमतें इससे अधिक न बढ़ने पावें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक बीज की बात है, पंतनगर में उसके लिये आपने रिसर्च खोल रखी है और रबी की फसल के बीजों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसमें हमको सफलता मिली है। लेकिन खरीफ के बीजों के बारे में मंत्री जी स्वयं विचार करें कि उसमें हम कहां तक सफल हो पाये हैं। मैं कह सकता हूं कि खरीफ के बीजों से हमें अधिक लाभ नहीं हो पाया है। उनसे उत्पादन की वृद्धि नहीं हुई है और कीमतें भी उनकी अधिक हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

जरा यह बता दें कि खरीफ के कौन-कौन से बीजों में हम अफसल रहे हैं।

श्री राम कुमार दीक्षित—

खरीफ में मक्का, ज्वार, बाजरा, आपके लिये सब असफल बीज हैं। इनमें कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी आम किसानों की यह धारणा है। मैं भी एक किसान हूं और उस हैसियत से कहता हूं कि आप संकर मक्का का बीज देते हैं। वह इतनी देर में तैयार होता है कि जिससे दूसरी फसल किसान को नहीं मिल पाती है। संकर मक्का की पदावार से आगे की फसल जो किसान को मिलने वाली होती है उसकी क्षति होती है।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

धान के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री राम कुमार दीक्षित—

समय कम है इसलिये विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह दावे के साथ कहता हूं कि आपके खरीफ के बीज हरित क्रान्ति के लिये उपयोगी नहीं हुये हैं। इसलिये आपका ध्यान इस ओर जाय जिससे खरीफ और रबी के बीज उपयोगी सिद्ध हों।

इसी प्रकार बीजों के क्रय करने के लिये एक एजेन्सी बना ली। सीड फाउन्डेशन के नाम पर कुछ बीज आपको दे देते हैं। कुछ बड़े-बड़े फार्म वालों से सस्ते दाम पर बीज खरीद लेते हैं और उन्हें मंहगे दामों पर किसानों को देते हैं। छोटे किसान भी अच्छा बीज तैयार कर सकते हैं। उनको वे सारी सुविधायें दें जो आप बड़े फार्म वालों को देते हैं। मुझे ऐसे फार्म्स का पता है जहां आपके इंस्पेक्टर रहते हैं और उन्हें आप फर्टिलाइजर देते हैं और उनके यहां बीज तयार कराते हैं। वह बीज महंगा खरीद कर उन बड़े फार्म वाले पूंजी पतियों को धनवान बनाते हैं और बाद उसी बीज को महंगे दाम पर किसान को देकर उसका गला काटते हैं। यह अव्यवहारिक है। छोटे किसानों को उत्तम बीज तैयार करने के लिये वह सारी सुविधायें आपको देनी चाहिये जो आप बड़े फार्म वालों को देते हैं।

इसके साथ ही एक और बात कहना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध मेरे जिले से खास तौर से है। हमारा जिला आलू प्रधान जिला है और आलू के सम्बन्ध में जो रिसर्च अब तक हुई है और जो किस्में निकली हैं उनको देखते हुये एक बात आप से कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पैदावार आलू की जरूर बढ़ी लेकिन उसके रुकने की शक्ति घट गयी है। अगर वह कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया तो सड़ने लगता है और कोल्ड स्टोरेज से निकालने के २-४ दिन के अन्दर वह नहीं बिका तो सड़ने लगता है। इसीलिये आपके विभाग के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि आलू के सम्बन्ध में जो उनकी रिसर्च है वह अभी पूरी नहीं हुई है। वह इस प्रकार के बीज का अनुसधान करें कि जिसको किसान

[श्री राम कुमार दीक्षित]

अगर १०–१५ दिन की देरी से बेचना चाहे तो बेच सके। कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर अगर १०–५ दिन बाद बेचना चाहे तो वह सड़े न। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सी---१४० एक आलू है। पैदावार अच्छी है। लेकिन यदि उसको १५ दिन भी किसात पैदा होने के बाद अपने घर में रख लें तो सारा सड़ जायगा। कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद अगर उसको सूरत या कलकत्ता बिकने के लिये लदवा दिया तो रास्ते में ही सड़ जायगा। इसलिये इस पर आपका फिर से अनुसंधान होना चाहिये।

साथ ही साथ आलू में जो बीमारियां लगती हैं उनकी रोकथाम के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। यदा-कदा आप कह देते हैं कि इस प्रकार का घोल छिड़कवा दो लेकिन आप का संरक्षण विभाग इस पर तवज्जह नहीं देता कि जो बीमारियां आलू में लगती हैं उनकी रोकथाम हो सके। इससे किसान को बड़ा आर्थिक धक्का लगता है क्योंकि आलू एक कैश क्राप है और इससे किसान को सीधे पैसा मिलता है। इसलिये चाहे आलू हो, चाहे रबी हो या खरीफ हों उनमें जो बीमारियां लगती हैं उनसे संरक्षण का पूरा पूरा प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके अलावा हमारे जिले में सन ५९–६० में ८–९ लाख रुपये का खाद आपके विभाग के कुछ भ्रष्ट और बेईमान कर्मचारियों ने किसानों को बांटा था। और कैसे बांटा था? किसी के हाथ का अंगूठा, किसी के पैर का अगूंठा, किसी के फर्जी दस्तखत, इस तरह से ८–९ लाख रुपये का खाद बांटा और एक–एक किसान के जिम्मे ४०–४० हजार रुपये का खाद दिखलाया। अशर्फी लाल एक किसान है जिसके ऊपर ४० हजार रुपये का खाद का बकाया है। इस प्रकार से आपके विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों ने ८–९ लाख रुपये का घपला किया। सन १९५९ से १९६२ तक वह बात शान्त रही। ६२ के बाद आपका विभाग डंडा लेकर निकला और तब यह वसूली की समस्या पैदा हुई। हम लोगों ने इसका विरोध किया। यह बिल्लौर तहसील का मामला है जो वहां पर सीड स्टोर था। हम लोगों ने इसका विरोध किया। सरकार ने इसको स्टे कर दिया। एक इन्सपेक्टर यहां से तय हुआ और उसने छानबीन की। उस इन्सपेक्टर ने छानबीन करके जो रिपोर्ट दी अगर माननीय मंत्री जी उसको मंगाकर पढ़ने की कृपा करें तो उनको पता हो जायगा कि कितनी गड़बड़ है। उसके बाद क्या हुआ। फिर ५, ६ वर्ष तक स्टे रहने के बाद पिछले वर्ष से उसकी वसूली शुरू कर दी गई है। वे बेचारे किसान जिन्होंने खाद का एक बोरा भी नहीं लिया, एक दाना भी नहीं लिया उन पर भी आपका मूलधन और उस मूलधन का पैनाल्टी ब्याज जोड़कर वसूल किया जा रहा है। जो इसमें असमर्थ हैं, जो कहते हैं कि हमने नहीं लिया तो वे किस प्रकार अदा करें। हम लोगों ने एक मांग की कि इसकी जांच कराई जाय और जांच कराकर आप देखें कि जिन लोगों के फर्जी अंगूठे लगवा लिये गये हैं, या जो जो आदमी जीवित नहीं हैं और उनके नाम खाद के दाम लिखे गये हैं और उनसे खाद के दाम को वसूल किया जा रहा है।

इसके साथ-साथ एक बात हम लोगों ने यह भी कही कि अगर जबरन ही वसूल करना चाहते हैं तो कम से कम इस पीरियड का पैनाल्टी इन्टरेस्ट तो इनसे न लिया जाय, उसको तो माफ किया जाय। इस तरफ आपका विभाग तवज्जह नहीं दे रहा है। यह ८, ९ लाख रुपये का मामला है और हजारों किसान इससे तबाह और पीड़ित हो रहे हैं। जिसने एक पैसे का भी फरटीलाइजर नहीं लिया है उससे भी जबरन वसूली हो रही है। इस वसूली को रोका जाय। अगर ५, ६ साल बाद आपने उसकी वसूली की आज्ञा प्रसारित की है और उसको रोक नहीं सकते हैं तो उसको वसूल करने के लिये जो पैनाल्टी इन्टरेस्ट उस पीरियड का ले रहे हैं उसको माफ किया जाय यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के आदेश से यह वसूली हो रही है। आप उस पैनाल्टी इन्टरेस्ट के लेने के अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिये उस पैनाल्टी इन्टरेस्ट को रोकने को आदेश जारी करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि यंत्रों के विषय में इस समय हमारे जिले और सारे प्रदेश में क्या हो रहा है इस पर भी आप कृपया ध्यान दें। हमारे जिले में कुछ विकास अधिकारी कृषि यन्त्रों की बिक्री का काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इसके लिये हमको स्पेशल तकावी दी गई है। कृषि यन्त्र जो इस विभाग के पास १०, १२ साल पहले रद्दी किस्म के पड़े हुये थे और बेकार पड़े हुये थे, अनुपयोगी सिद्ध हो गये थे उन पर पालिश करके जबरन किसानों को तकावी के बहाने देने का प्रयास आपका विभाग कर रहा है। हमारे बिल्लौर ब्लाक में २ लाख तकावी दी गई है केवल कृषि यन्त्रों को बेचने के लिये। ये कृषि यंत्र बिलकुल बेकार हैं जिनको पालिश करके जबरन किसानों को तकावी के रूप में दिया जा रहा है। आप इस बात को देखें कि इस प्रकार से यह कृषि यंत्र क्यों किसानों को दिये जा रहे हैं? इसको रोकें। यदि आपके विभाग के अधिकारियों की गलती से वे बेकार हो गये हैं तो उसकी सजा विभाग के अधिकारियों को ही मिलनी चाहिये। प्रदेश के किसानों के ऊपर इस बोझे को क्यों आप लादते हैं। आपका विकास अधिकारी कहता है कि मुझे तो आज्ञा है कि शीघ्र से शीघ्र इन कृषि यन्त्रों को तकावी के रूप में मैं बेच दूं नहीं तो सरकार के सामने समस्या पैदा हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बात को अविलम्ब रोकने के आदेश जारी करने की कृपा करें जिससे इस प्रकार से कृषि यन्त्रों को बेचने की चेष्टा न हो सके और विकास अधिकारी कहीं पर इस प्रकार से उनको बेचने का काम न करें। आज विकास अधिकारी उससे अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात खतम कर दूंगा। हमारे राज्य मन्त्री जी ने कहा कि यह महान् क्रान्तिकारी बजट है। तो मैं भी उस महान क्रान्तिकारी बजट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आपका बजट चाहे क्रान्तिकारी हो या प्रतिक्रियावादी हो लेकिन एक बात का ख्याल कीजिये कि किसान की जरूरत की चीजें उसको सस्ते दामों पर दिलवाइये। खेती के औजार, पावर क्रशर दिलवाइये। क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि बिना पावर क्रेशर के मड़ाई का होना मुश्किल हो गया है। आज पावर क्रशर में मुश्किल से ५०० रुपये का लोहा लगता है। और १००–५० रुपये मजदूरी लगती होगी लेकिन उसी पावर क्रशर की कीमत आपने १८००–१९०० रुपये तय कर रखी है। आप अपने डिपार्टमेंट को कहें कि वह इस बात को देखे कि कितनी उसकी लागत है और कितना उस पर मुनाफा मिलना चाहिये और फिर उसकी कीमत तय करे। आज होता यह है कि व्यापारी लोग डिपार्टमेंट वालों से मिल कर ज्यादा कीमत तय करा लेते हैं और किसानों को मजबूर होकर उसका ज्यादा दाम देना पड़ता है। व्यापारी लोग कहते हैं कि यह तो ऐप्रूव्ड मशीन है और इसका एक निश्चित दाम है, ऐसी हालत में किसान उसकी ज्यादा कीमत देने को मजबूर होते हैं। इसलिये आप किसानों को सस्ते दामों पर कृषि यंत्र दिलवायें तो निश्चित रूप से हरित क्रान्ति प्रभावित होगी और प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हमारा प्रदेश समृद्धिशाली होगा। इन शब्दों के साथ में इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि अनुदान के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह ऐसा अनुदान है जिससे हमारे प्रदेश की ८ करोड़ ८३ लाख जनता प्रभावित होती है। उनके भोजन व खाने-पीने का पूरा प्रबन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा प्रसाद]

कृषि से ही होता है"। यह ऐसा अनुदान है जिसको पास करने में हमें बड़ा हर्ष होता है। साथ ही साथ आज कृषि ने जो प्रगति की है वह एक महान प्रगति है जो आज हरित क्रान्ति के नाम से कही जाती है। अगर १५ अप्रैल से यहां बारिश न होती तो इस साल किसानों को घर में अन्न रखने के लिये कोई दूसरा स्थान बनाना पड़ता। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, इस हाउस में सबसे बड़ी डिग्री वाले हैं जो अमेरिका से लेकर आये हैं। उन्होंने तो इस विभाग को अपने ही विचारों के अनुसार, अपने ही ज्ञान के अनुसार बनाने की कोशिश की है जिससे हर गरीब के खेत में ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो सके। मेरा कहना है कि जिस तरीके से आप ने कृषि में, गेहूं में हरित क्रान्ति की है, उसी तरीके से कुछ और चीजों में भी हरित क्रान्ति करनी चाहिये।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र तरबगंज में इस साल मक्का की फसल बिलकुल बर्बाद हो गयी है। एक दाना भी मक्का का नहीं हो पाया है। धान की फसल भी बर्बाद हो गयी। गेहूं अपने रास्ते चला गया और मक्का पानी बरसने की वजह से चला गया। धान बोया तो गया था लेकिन बाढ़ की वजह से वह भी चला गया। जो बचा था उसमें कीड़े लग गये, उसमें झुलसा रोग लग गया। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने हवाईजहाज से दवाओं का छिड़काव भी कराया है लेकिन छोटे काश्तकार आज भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी फसलों पर भी वे हवाई जहाज से दवाओं का छिड़काव जरूर करावें। केन्द्रीय सरकार आधा पैसा देने के लिये तैयार है और प्रान्तीय सरकार आधा पैसा दे। अब शायद केन्द्रीय सरकार ६० प्रतिशत मदद देने को तैयार है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अपने विभाग से कह कर बची हुई फसलों पर दवाओं का छिड़काव जल्दी से जल्दी करा दें वरना देर होने से सारी फसलें बर्बाद हो जायेंगी और उन दवाओं के छिड़काव से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें।

दूसरी चीज हमारे राज्य मंत्री जी ने कही कि हम गाय-भैंस की तरक्की के लिये भी पैसे देंगे। श्रीमन्, जिस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐलान किया था कि रिक्शे वालों को रिक्शा देंगे उसी तरह से माननीय मंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम गाय-भैंस के लिये आधा पैसा देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ५०० रु० में २५० रुपया देंगे या १,००० रुपये में ५०० रुपये देंगे, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

वह कुक्कट पालन में आधी छूट है।

श्री गंगा प्रसाद—

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह खेतिहर मजदूरों के लिये, छोटे किसानों के लिये दूध का प्रबन्ध करें और उनको गाय भैंस दिलवा दें अथवा उन के लिये उन्हें अनुदान दे दें तो वह अपने पैर पर खड़े होकर जो आपका समाजवाद का नारा है उसके अनुरूप वह भी कुछ लाभ उठा सकेंगे और रोजी पा सकेंगे। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे देहात में कुक्कुट पालन से तो अभी बड़ी नफरत है, उनको तो गांव में दूसरी जाति के लोग पालते हैं और हमारे यहां के लोग उनको पालना पसन्द नहीं करते। कुछ प्रगतिशील लोग ही पालते हैं। अगर आपका समाजवाद का नारा है तो आप इन गरीब किसानों के साथ हमदर्दी कीजिये और उनको १,००० रुपया भैंस खरीदने के लिये दीजिये। उसमें से ५०० रुपया सहायता के रूप में और ५०० रुपया उससे बाद में किस्तों में वसूल कर लीजिये। अगर ऐसा करेंगे तभी

आपका समाजवाद का नारा चरितार्थ होगा और हरिजन और छोटे किसान महात्मा गांधी के और इन्दिरा जी के समाजवाद का सुख उठा सकेंगे। जो ऐलान किये गये थे उनकी पूर्ति आप इस तरह से कर सकते हैं। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िये और अगर आप इंदिरा जी के समाजवाद को देश में पनपाना चाहते हैं और इस प्रदेश को एक समाजवादी स्टेट बनाना चाहते हैं तो आप पहला काम यही कीजिये कि हर किसान को एक एक भैंस दिला दीजिये ताकि वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा और वह यह है कि यह ऐलान किया गया है कि खेतिहर मजदूरों के लिये १२ १/२ लाख रुपया दिया जायगा। इस के लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन वह काम कब शुरू होगा और वह पैसा रिलीफ के तौर पर, सहायता के तौर पर या बाद कामों के लिये किस तरह से दिया जायगा यह स्पष्ट नहीं हुआ। यह खेती पर बन्धों पर, सड़कों पर या कहां-कहां किस तरह से खर्च किया जायगा यह मंत्री जी बतायें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

माननीय पांडेय जी के इलाके में एक सांड़ और एक भैंसा भेज दिया गया है।

श्री गंगा प्रसाद—

मंत्री जी हमारी बात जरा ध्यान से सुनें। हमारा क्षेत्र आज बाढ़ से बहुत अधिक पीड़ित है और वहां पर सरयू, राप्ती और घाघरा आदि नदियों से बहुत हानि हुई है और इन की बाढ़ से सारा क्षेत्र त्रस्त है, सारी फसल उन की मारी गई है केवल एक गन्ना बचा है। कम से कम मंत्री जी किसानों को उस गन्ने का मूल्य तो दिलाने की कृपा करें और मिलों पर जो उनका पिछला बकाया है वह भी दिलाने की व्यवस्था वह करें।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहूंगा कि समाज में सारा हरिजन तबका बहुत त्रस्त रहा है और आज वह तड़प रहा है, उनमें जो थोड़े से लोग पढ़-लिख गये हैं वह भी रोजी-रोटी के लिये परेशान रहते हैं। इसलिये जो नारा समाजवाद का आप लगाते हैं और जो हमारे हरिजन मंत्री हैं उनसे तो बहुत आशा है, वह भगवान की दया से हरिजन मंत्री हैं, और आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं क्योंकि आप उनकी बगल में बैठते हैं तो आप ऐलान कीजिये कि यह जो १८ प्रतिशत से बढ़ा कर हरिजनों का ४५ प्रतिशत का रिजर्वेशन हो गया है उसकी पूर्ति अपने इस विभाग से करायेंगे। अगर आप के रहते हुये हरिजनों का इस विभाग में यह प्रतिशत पूरा न हुआ तो इतिहास में आप के ऊपर यह कलंक रह जायगा। इसलिये इस रिजर्वेशन की पूर्ति आप कराने की कृपा करें।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि ट्रैक्टर के वितरण के लिए एक कमेटी बना दें और उसमें १५–१६ सदस्यों को रख दें जो प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के हों ताकि हर भाग के लिए न्याय हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। आज कृषि पर चर्चा चल रही है जो हमारे प्रदेश का मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धूम प्रसाद]

साधन है। कृषि, जिस पर हमारा देश और प्रदेश निर्भर है, के लिए पानी, खाद और बीज और इनके बाद साधन की जरूरत है लेकिन खाद के दाम बहुत बढ़ गये हैं। पहले यूरिया के दाम ३५–३६ रुपये थे, कैलशियम के १६–१८ रुपये, नाइट्रेट के २४–२५ रुपये सिंट्री के २५ रुपये और जिसे खाद के दाम ३९ रुपये थे, उन सबके दाम आज ड्योढ़े हो गये हैं। पानी के दाम पहले १५ और १८ रुपये पैसे प्रति यूनिट थे लेकिन आज वे भी ६०–७५ पैसे हो गये हैं। तो किस तरह से आज हमारा किसान खेती कर सकेगा। अगर वह नलकूप लगाता है तो निजी नलकूपों पर जो बिल पहले महीने १०० रुपये का आता है तो अगले महीने में वह २०० का आयेगा। और अगर वह तारीख तक बिल का पेमेंट नहीं होता है तो उस धनराशि को जोड़ कर फिर अगले बिल में लगा दिया जाता है। तो किसान आज तबाह हो रहा है, वह अपना नलकूप छोड़कर भाग जाता है और खेती करना भी भूल जाता है। जो किसानों की रबी की फसल थी, उसका तो गल्ला ही सड़ ही गया, खरीफ की फसल सारी फसल नष्ट हो गयी और मुझे आशा है कि रबी की बुवाई भी आगे चली जायगी। तो इन ३ तोड़ में किसान कैसे जीएगा। आज आपके किसान जो २५–२५ मील अपने सिरों पर खाद लाद-लाद कर लाते हैं, और पंतनगर और नैनीताल से मक्के के बीज लाते हैं और अपने खेतों को बो कर तैयार करते हैं, उनकी फसल तैयार होने पर प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो गयी। तो जिस तरह से हर चीज का बीमा होता है, उसी तरह से किसानों की फसल का भी बीमा होना चाहिए। आप किसी ग्राम सेवक या बी० डी० ओ० से जांच करा लें कि किसानों की जो खेती नष्ट हुयी है, उसके क्या आंकड़े हैं। किसान रात-दिन मेहनत करता है उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिये जब कि मोटर वाले ज्यादा दाम लेकर मोटर बेचते हैं और अगर पुनः नष्ट होता है तो छूट भी दे देते हैं, उसी प्रकार से आप किसानों को भी खेती पर छूट दें। और दूसरा सुझाव माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(लाल बत्ती होने पर)

आज हरिजनों के बारे में कहा जाता है कि इनको छूट दी जाय। १८ प्रतिशत की हर विभाग में योजना बनाई गई और वह चल रही है। लेकिन खाद में, यन्त्रों में और नलकूप के देने में हरिजनों को उठाने की बात देखें तो उसमें हम पाते हैं कि समाजवाद का जो नारा चल रहा है वह खोखला है। १८ प्रतिशत की छूट सबमें देनी चाहिये।

श्रीमन्, अब मैं फैजाबाद जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे यहां इतनी बाढ़ आई है कि वहां पर सड़कें कटी हुई हैं, पानी छप्पर तक आ गया है, किसानों के घर बह गये हैं। जानवर मर गये हैं। लेकिन बाढ़ में फैजाबाद जिले का कहीं नाम नहीं आता है। घुसैला, पनाही, कोयला और कंजी आदि तमाम झीलें हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई हैं। उनके पानी को निकालने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये जिससे गांवों में से पानी निकल जाय और झीलों के किनारे जो धान बोया जाता है उसकी व्यवस्था हो जाय।

अब मैं मेड़ बन्दी के बाबत कुछ कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो मेड़ बन्दी हो रही है इससे नुकसान है। यह जो ढालू जमीन पर की जा रही है इसमें चार-चार फीट जमीन ले ली जाती है। जब कि तीन-तीन सौ और चार-चार सौ बीघा एक किसान से वसूल की जा रही है। अगर तीन सौ और चार सौ रुपये की उसी किसान को छूट दे दी जाय और कहा जाय कि खेती की पैदावार करने के लिये इसे इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा हो। मेड़बन्दी से फायदा नहीं है। एक तो वह जो चीज बोता है, ज्वार, कोदों, अरहर वगैरह यह तो ढालू जमीन पर हो जाती है। उसमें आधे खेत में पानी होता है और आधे खेत में पानी नहीं होता। या तो ऊंची वाली मिट्टी को नीची किया जाय तभी काम हो

सकता है। जमीन को बराबर नहीं किया जा सकता। मेड़ बन्दी को खत्म किया जाना चाहिये या उसको दूसरा रूप देना चाहिये। किसान अगर चार सौ रुपये नहीं देता है तो उसके बैल बेचे जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने कृषि बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं इस बजट के अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं डाक्टर साहब जो कृषि मंत्री हैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा क्योंकि आप बीस साल से लगातार मंत्री रहे हैं और खास तौर से इस अवधि में आपने कृषि विभाग को ही सम्हाला है। इसमें दो राय नहीं हैं कि आपने कृषि का उत्थान किया है। लेकिन गरीबों का उत्थान आपके द्वारा नहीं हुआ है। इसलिये नहीं हुआ है क्योंकि जो ट्रैक्टर दिया हुआ होगा, या जो यन्त्र दिया हुआ होगा, जितने साधन दिये हुए होंगे वे सब फार्म वालों को दिये हुये होंगे। माननीय सदस्य बहुत से है फार्म वाले ये सारे के सारे साधन उन फार्म वालों को मिले। मुझे ब्लाक प्रमुख रहने का मौका मिला। मैं मानता हूं आपने साधन दिये।

हरित क्रान्ति आई। गल्ले की इस तरह पैदावार हुई जिस तरह से रूस और अमेरिका में पैदा किया जाता है और जिस तरह से वे मवेशियों को खिलाते हैं उसी तरह से यहां हुआ है। आप गौर कीजिये। क्या आप किसानों की हड्डी को पीसना चाहते हैं। खेती के लिये तीन चीजों की अत्यन्त जरूरत होती है। खाद की, पानी की और बीज की। बीज कितना महंगा है। खाद ६५ रुपये बोरी है। मैं पूछना चाहता हूं जब चौधरी साहब की सरकार थी उन्होंने क्या किया। किसान पर भार डाल दिया। नलकूप की सिंचाई के पहले तीन रुपये बीघे देने पड़ते थे जब संविद की सरकार आई तो २२ रुपये बीघा हो गया है। इसी तरह से लिफ्ट इरीगेशन का २० रुपये है। इसी तरह से नहर का लगान देना पड़ता है। मेजा में आपकी हुकूमत में रहते हुए प्रदर्शन किया था। किसान का पानी का रेट बढ़ा दिया था। आपको इस तरफ तवज्जह करनी पड़ेगी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हू कि आपने यह जो दाम बढ़ा दिये लेकिन गल्ले का भाव कम किया। किसान जो गल्ले की पैदावार कर रहा है हम बताना चाहते हैं कि पारसाल का संकर बाजरा मक्सिकन गेहूं रक्खा हुआ है। १२ रुपये किलो लेकर बीत हैं बेचा कितने में जाता है तीन किलो चार किलो में।

संविद की सरकार आने के पहले १६ रु०, १८ रु० थी, वह बढ़ा दी गयी। इंदिरा जी समाजवाद चाहती है। इसलिए इंदिरा जी ने बैंक का नेशनोलाइजेशन किया और अर्बन सीलिंग भी इसीलिये कर रही हैं। अगर आप लोग इंदिरा के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, गरीबों को राहत देना चाहते हैं तो खाद, पानी और बिजली की दर कम कीजिये। आज लोहे, सीमेन्ट और कपड़े का भाव क्या है? बैल भी आज दो हजार रुपये का मिलता है। कैसे किसान खेती करेगा? ट्रैक्टर आप बड़े लोगों को देंगे जो बड़े फार्म वाले हैं। गिरधारी लाल जी नहीं हैं, उनका भी फार्म है। इन लोगों को आपने ट्रैक्टर दिए। तो इन चीजों को देखें। बहुत लोगों ने कहा कि हरिजनों को दीजिए। हरिजनों में किसी के पास पांच बिस्वा खेत हैं, किसी के पास दस बिस्वा है। गवाइन ताल से नाला निकाला जाय। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया माननीय तिरमल सिंह ।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री राजित राम पांडेय—

हंडिया तहसील बड़ी पीड़ित हुई है बाढ़ से ....

श्री तिरमल सिंह—

मान्यवर, अब मेरा समय ले रहे हैं, इसका खयाल आप रक्खे । मान्यवर, मैं कल से बराबर देख रहा हूं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि थोड़े से इलाके का ही यह सदन है क्योंकि अब तक जो बातें कहीं गयीं वह लिमीटेड एरिया की ही कही गयीं, पूरे प्रदश की नहीं कहीं गयीं । पश्चिमी इलाके का जिक्र शायद ही किसी भाषण में आया हो, हालांकि वहां भी ऐसे जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां सिंचाई के साधन नहीं है और वहां भी बहुत गरीब लोग रहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अकेले कृषि मंत्री जी क्या करें । कृषि मंत्री के पास बिजली और सिंचाई विभाग भी होना चाहिये या फिर इन विभागों का आपस में तालमेल होना चाहिये, तब कुछ हो सकता है । आज किसान खेत की पैदावार बढ़ाना चाहता है लेकिन सरकार बढ़ाने नहीं देना चाहती । जो बिजली किसान को दी जाती है उसमें बड़ा भेदभाव है । उद्योगपतियों को कम दर पर और किसान को ज्यादा दर पर दी जाती है । उद्योगपति को अधिक से अधिक पांच पैसे पर बिजली की पैदावार से कम रेट पर—और किसान को १७ पैसे पर और घर में जलाने के लिये ३८ पैसे प्रति यूनिट पर दी जाती है ।

सरकार के दो लड़के हैं—एक खेत वाला और दूसरा उद्योग वाला । खेत वाले को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है, जिनकी आमदनी ७०० रु० के करीब है, जबकि रूरल एरिया वाले किसानों की आमदनी केवल १९३ रु० ही है कर्ज पर भी किसानों से अधिक ब्याज लिया जाता है । साढ़े छः रु० सैकड़ा पर तकावी दी गयी, ९ रु० पर कोआपरेटिव से दिलाया गया और २५ रु० पर बीज मिलता है । और अब तो बीज १० किलो तक दिया जाता है । दुनिया के देशों में सवाई पर बीज कहीं नहीं मिलता है । यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती है कि हम खेती को बढ़ाना चाहते हैं । सरकार के पास अपने जो साधन हैं । जो बिजली सरकार पैदा करे, उसका समान बंटवारा होना चाहिये । खेती पर अधिक आबादी निर्भर करती है । ८५ प्रतिशत जनसंख्या का नाम लिया जाता है । आप इस ८५ प्रतिशत जनसंख्या को प्रोत्साहन नहीं देते हैं । जब उस जनसंख्या की क्रयशक्ति की कैपेसिटी नहीं होगी, क्रय शक्ति नहीं होगी, तब उद्योग के बने माल को खरीदेगा कौन ? खेती को प्रायरिटी मिलनी चाहिए और खेती को उद्योग के मुकाबिले में बिजली कम दाम पर मिलनी चाहिए । अगर उद्योग से ज्यादा दाम पर पावर सरकार खेती को दिलाती है तो यह सरकार धन्यवाद की पात्र है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले २४ सालों में कोई भी योजना इस दृष्टि से नहीं चलायी गयी । १५ अगस्त, १९४७ को देश स्वतंत्र घोषित हुआ था । अंग्रेजों के जमाने में मिनिमम गारन्टी नहीं थी । स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात आपने मिनिमम गारन्टी भी लगा दी और लाइन गारन्टी का भी बन्धन लगा दिया । रूरल एरियाज में उद्योगों की बात कही जाती है । न तो रूरल एरियाज में उद्योगों की ही और न सिंचाई के साधनों की ही कोई बढ़ोत्री हो रही है । क्योंकि गांव वालों को बिजली अधिक दर पर दी जाती है । गन्ना का रुपया जो मिलों पर बाकी है वह भी सरकार किसानों को नहीं दिला पाती है । क्या यही समाजवाद है ?....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, २ मिनट मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वक्त नहीं है ।

श्री तिरमल सिंह—

श्रीमन् मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मजबूर हूं , आप समाप्त करें ।

श्री तिरमल सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक आप किसान को संरक्षण नहीं देंगे और जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि किसान का माल उचित दाम पर बिकता है, तब तक समाजवाद आने वाला नहीं है। किसान का माल सड़ जाता है और उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। अगर इसी तरह से समाजवाद आयेगा तो बड़ी अच्छी बात है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कुल १/३ आबपाशी कर पायी है और २/३ आबपाशी करनी बाकी है। आप सिंचाई के लिए बिजली देते हैं। पहले सरकारी नलकूप से २४,००० गैलन पानी मिलता था परन्तु किसानों को अब तो १२,००० गैलन ही रह गया है। किसान को दबाया जा रहा है। मान्यवर, मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सिया राम (जिला एटा)—

मान्यवर, मुझे भी ५ मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

५ मिनट तिवारी जी के लिये हैं—मन्त्री जी को जवाब भी देना है।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मुझे २ मिनट चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप मांग स्वीकार नहीं कराना चाहते हैं ?

श्री राम लाल राही—

मेरे यहां फसल····

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से ठीक नहीं है। आपका तो नाम भी नहीं दिया गया है।

श्री राम लाल रही—

मेरा नाम तीसरे नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके सचेतक को चेतावनी देता हूं कि वे ३–१४ लिस्ट्स क्यों देते हैं। यह धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिये। किसी लिस्ट में कुछ नाम रखते हैं और किसी में कुछ। यह ठीक नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

कटौती का प्रस्ताव रखने वालों को और समय दे दें क्योंकि ये बीच में व्यवधान करते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कि इस अनुदान के संबंध में बहस में भाग लिया, चाहे वे इधर बठने वाले हों या उधर बैठने वाले हो, सबने कृषि विभाग की भरसक और व्यापक रूप से आलोचना की है। कटौती के प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ थोड़े-से और सुझाव मन्त्रीजी को देना चाहता हूं। मंत्री जी ने कल पक्षपातपूर्ण कार्य किया है, जो एग्रो डेवलपमेन्ट के फल थे वह अपने दल को ही खिलाये जबकि सरकारी माल था तो अब आश्वासन दें कि इस तरफ के लोगों को भी देंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी भी उसमें शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में वहां के डिप्टी डायरेक्टर ने जो गड़बड़ियां की हैं उसके लिये मैंने मंत्रीजी को लिखकर दे दिया है। इसी तरह से प्रतापगढ़ जिले में दो तालाब हैं जिन पर लोग गलत रूप से कब्जा किये हैं। इससे सरकार का नुकसान हो रहा है। मेरा सुझाव है कि जो गल्ला किसान पैदा करता है उसका काटते समय रेट कम होता है और बाद बढ़ जाता है तो भंडार गृह खोले जायं और उनमें इस गल्ले को रखा जाय। किसान को उसके लिये कुछ पेशगी मिल जावे और जब मूल्य ठीक हो उसको बेच दिया जाय। दूसरी बात स्वायल टेस्टिंग और फसलों के रोटेशन के सम्बन्ध में है। इसके बारे में किसानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिये ताकि किसान दो फसलों के बजाय तीन फसलें पैदा कर सके। गेहूं और मक्का के बीच कोई फसल तैयार कर ले। पशुपालन विभाग में डाक्टरों की संख्या कम है और स्टाक मैन बहुत पैसा लेता है। यदि कोई जानवर वहां ले जाया जाता है तो ठीक से उपचार नहीं होता है। आलू के विषय में काफी सज्जनों ने कहा है। यह ज्यादा दिन रह नहीं सकता है और कोल्ड स्टोरेज वाले बहुत पैसा लेते हैं इसके कोई कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे ज्यादा पैसा न ले सकें। इसके लिये रिसर्च कराने की भी आवश्यकता है कि आलू ज्यादा दिनों तक रह सके। फार्म पर आलू का बीज महंगा मिलता है यह सस्ता मिलना चाहिये।

श्री बन्शीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

सरकारी पक्ष के लोग लड़ाई कर रहे हैं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

इन को भ्रम हो गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जहां पर कीड़ा लग गया है वहां इस्प्र हवाई जहाज से कराना चाहिये और लोगों को डबल और ट्रिबिल क्राप्स को पैदा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये मैंने कल एक सुझाव दिया था कि ट्रैक्टर्स के बहुत दाम हैं, कम दाम के ट्रैक्टर्स मंगाना चाहिये और एम० एल० एज० को जो किसान हैं उनका कोटा निर्धारित करके उनको दिया जाय। दो सुझाव और हैं। उन पर मंत्री जी ध्यान देंगे। आपने मण्डी समितियां बना दी हैं, उसमें नामिनेटेड सदस्य रखें हैं और वह भी अपने दल के ही रखे हैं। मण्डी समितियों के कारण दूध में कमी आई है क्योंकि पहले आदमी गाय के लिये अंश निकालता था। अब ऐसा नहीं होता है। तो इसको रखा जाय ताकि गो-संवर्धन हो सके।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अभी चुनाव नहीं किये गये हैं, सभी सदस्य बी० के० डी० के हैं।

श्री हरिनाथ तवारी—

जो कुछ भी हो। एक सुझाव यह है कि इस बात की भी रिसर्च करायी जाय कि जब पानी अधिक बरस जाये तो उसको भी बीज बर्दाश्त कर सकें। ऐसे बीजों की रिसर्च की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

इसके पहले कि मंत्री जी उत्तर दें, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपके विभाग के एक पशु डाक्टर अमर बहादुर सिंह ने जिला प्रतापगढ़ में लक्ष्मणपुर ब्लाक के हरिजन बी० डी० ओ० को मारा। वाकया २० जुलाई ७१ का है। इसी तरह सुना जाता है कि सुल्तानपुर में भी बी०डी०ओ० और चपरासी को मारा गया है। इतने दिन हो गये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे बड़ा आतंक फैला हुआ है। इस सम्बन्ध में भी मंत्री जी कुछ जवाब दें।

*कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। साथ ही मैं पंडित हरिनाथ तिवारी का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को रक्खा और हाउस के सामने बहुमूल्य सुझाव दिये। उनके सुझाव रचनात्मक हैं और बहुत से सुझाव ऐसे हैं जिन्हें आगे चल कर हम एग्जामिन करेंगे। कुछ सुझाव ऐसे हैं जो मानने योग्य नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो विरोध पैदा करते हैं। अभी अपने भाषण में माननीय सुखपाल पांडेय ने बस्ती की बातों को उठाया। बस्ती में एम्बैंजिलमेंट जरूर हुआ है और बस्ती, गोंडा और सीतापुर के केसेज को लेकर ही मने कल यहां घोषणा की थी कि इंवैस्टीगेशन सैल एग्रीकल्चर विभाग में बनाया जा रहा है। यह उस वक्त का केस है जब से माननीय सुखपाल पांडेय दूसरे ग्रुप में रह रहे हैं और अब भी हैं। अभी पांच छः दिन हुए उन्होंने बस्ती में वर्तमान स्टेशन इंचार्ज के बारे में एक शिकायत लिख कर दी थी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जितनी भी कंप्लेन्ट्स आयी हैं वे विजीलेंस और सी० आई० डी० को दे दी गयी हैं। साथ ही पांडेय जी ने बभनान यूनियन के बारे में बतलाया। एक दिन उन्होंने प्रश्न भी किया था कि उस यूनियन में गड़बड़ है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यू० पी० केन फेडरेशन ने एक जांच कमेटी बनायी थी जिसके केन कमिश्नर अध्यक्ष हैं। उस कमेटी के मेम्बर माननीय सुखपाल पांडेय भी थे। जो रिपोर्ट उस कमेटी ने दी वह उनकी जानकारी में है। २५ लाख रुपया कहना असंगत है बल्कि साढ़े १६ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट गवनमेंट के थ्रू केन यूनियन, बभनान को लोन के रूप में दिया था और उससे तमाम सामान परचेज किया। मैं यह भी बतला दूं कि दो लाख रुपये के करीब केन डिपार्टमेंट ने वसूली भी कर लिया है, बाकी रुपये के रियालाइजेशन के लिये जिलाधीश, बस्ती को लिखा गया है। यह भी लिखा गया है कि ट्यूबवल्स को बेच कर रुपया रियालाइज किया जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने एक केस १९५९–६० का बताया। १०–१२ साल के बाद वह केस उठाया गया, और भी केसेज इस तरह के उठाये गये। इस केस में भी उचित कार्यवाही की जा रही है। यह मामला बहुत पुराना हो गया है। इसमें संबंधित आफिसर को दंडित भी किया जायेगा और मैं इसको सी० आई० डी० को भी भेजूंगा कि क्यों इसमें इतने दिन लग गये। फिर भी काश्तकारों से रुपया वसूल किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सीताराम]

माननीय तिवारी जी ने पैदावार के बारे में कहा कि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। मैं उनको और इस सदन को आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय यह बतलाना चाहता हूं कि गल्ले के मामले में यह प्रदेश आत्म निर्भर हो गया है। गेहूं, चावल, मक्का आदि में यह प्रदेश आत्मनिर्भर है। मैं कल यह बतला चुका हूं कि १९७०-७१ में साढ़े १९ लाख मट्रिक टन गल्ला पैदा हुआ। इसके अलावा एफ० सी० आर० को लास्ट इयर डेढ़ लाख मैट्रिक टन गल्ला खरीदने में इस प्रदेश में दिक्कत पैदा हुई थी, जब कि इस वर्ष बावजूद इतनी वर्षा और तबाही के, उसने अब तक करीब साढ़े १ या ११ लाख मैट्रिक टन गल्ला खरीद लिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां तना गल्ला पैदा हुआ है। अगर पदावार न होती तो वह इतना गल्ला कैसे खरीद पाता। (व्यवधान)।

माननीय तिवारी जी ने एक कृषि अधिकारी, सीतापुर के बारे में कहा। उनकी शिकायत सत्य है। उस मामले को भी मैंने सी० आई० डी० और विजिलेन्स को दे दिया है। (व्यवधान) हां ठीक है, आडिट रिपोर्ट में भी होगा, और भी जगह होगा। इसी कारण तो मैंने उसको भेज दिया है।

भूमि संरक्षण के बारे में तिवारी जी ने जो अपनी राय दी है, उस पर कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा गया कि आफिशियल बिल्डिंग्स ज्यादा बनती जा रही हैं, जहां तक हो कम बननी चाहिए। लेकिन ज्यों-ज्यों डिपार्टमेंट बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, अधिकारियों के लिए बिल्डिंग्स होना जरूरी है। शिवराज सिंह ने एक बात यह कही कि उत्पादन वृद्धि के लिए बढ़ावा कम दिया गया है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पांच भागों में विभक्त है। ऊपर का पहाड़ी इलाका, फिर मध्य का, फिर पश्चिम का, फिर रुबालियल और फिर ईस्टर्न पार्ट। जब हम इन बातों को देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते है कि पैदा-वार बढ़ाने के लिये जिस तरह की भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं, उसमें उन्हें काफी सन्तोष करना चाहिये। फर्टलाईजर कन्ट्रोल आर्डर लागू कर दिया गया है। सीड को रेगूलेट भी किया गया है। यह कहना कि उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया गया है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट की कोई प्राइस पालिसी नहीं रही है। यह बात भी सही नहीं है। यदि यह बात होती तो जो ४०, ४५, ५० रुपये प्रति क्वींटल जो गेहूं बिकता वह इसकी वजह से ७६ रुपये प्रति क्वीटल किसानों का गेहूं न बिक पाता। इससे ६०-७० करोड़ रुपया किसानों को ज्यादा मिला है। प्राइस सपोर्ट न होता तो इतना रुपया काश्तकारों को न मिलता।

शिवराज सिंह जी ने यह भी कहा है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो चीजें हैं, जो इन्पुट्स हैं--खाद, बीज आदि उनकी कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। यह तो ठीक है, क्योंकि खाद और बीज इत्यादि का दाम बढ़ गया है, लेबर का चार्ज भी बढ़ गया है, इन्ट्रैस्ट आफ कैपिटल भी बढ़ गया है। तो यह बात ठीक है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। यों तो उनके ७-८ प्वाइन्ट्स हैं, जिनका मैं जबाब दे सकता हूं, लेकिन अब समय कम है। खास कर एग्रो फ्रूट वैजीटेबल बाहर भेजने की कोई स्कीम नहीं है, यह बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि इसको इस साल से काफी प्रोत्साहित किया गया है और भविष्य में भी किया जायगा। इसको प्राथमिकता दी जायगी, उन्होंने यह भी कहा लैण्ड यूज पालिसी सरकार ने निर्धारित नहीं की है।

लैंड यूज पालिसी का मतलब है जसा इजिप्ट और अमेरिका में है। लैंड यूस कैपेबिलिटी और लैंड यूज पालिसी दो टेक्निकल शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंड यूज पालिसी जैसे अमेरिका में १९३५-३६ में इनफ्लेशन हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि किसी स्पेसिफिक क्राप का पैदावार कम करो और गवर्नमेंट ने न बोने पर उनको प्रीमियम दिया। लेकिन इजिप्ट में गवर्नमेंट ने वहां के काश्तकारों को बोने पर दिया, कोई क्राप लिया और कहा कि इसकी पैदावार

बढ़ाओ। इस तरह से वहां की गवर्नमेंट ने किसानों को प्रोत्साहित किया। उनका यह कहना है कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में अमेरिका या इजिप्ट की लैंड यूज पालिसी फालो अप नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहां छोटे-छोटे काश्तकार हैं। होर्डिंग कैपिसिटी कम है, क्रापिंग पैटर्न दूसरा है। इस लिये लैंड यूज पालिसी, अमेरिका और इजिप्ट के पैटर्न पर अपने देश या प्रदेश में चालू नहीं कर सकते।

हमारे बुलन्दशहर के नेता साहब ने एक सांख्यायिक डायरी से एक आंकड़ा पेश किया। वह पढ़े-लिखे विद्वान हैं। स्टैटिस्टिक्स का जान लेना एक चीज है, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन बहुत डिफीकल्ट होता है। अब तक स्टैटिस्टिक्स का एक दो साल का कोर्स न पढ़ा हो तब तक बड़ा मुश्किल होता है उसका इंटरप्रिटेशन करना (व्यवधान) सुनिये। किताब मैं ले आया हूं। उन्होंने हाउस के सामने गलत इंटरप्रिटेशन किया। ठीक नहीं है, असत्य है, आप सुनें। उसका इंटरप्रिटेशन है—१०० जो मानें टार्गेट और इंडस्ट्री, ऐग्रीकल्चर और अदर कामर्शल चीजें हैं, जैसे ट्रांस्पोर्ट, कम्युनिकेशन है, इसमें फायदा क्या हुआ उस इयर में, उस हर चीज को बाट अलग-अलग। १९६०–६१ में ऐग्रीकल्चर था ६०.९ पर, इंडस्ट्री थी १०.२ पर। १९६९–७० में ऐग्रीकल्चर आ गया ५६.५ पर लेकिन इंडस्ट्री आ गयी है ११.७ पर और कामर्स आ गया है १३.९ पर, उस वक्त कामर्स था १२.३ पर। तो इंटरचजेबिल रिलेशन जब निकालेंगे, तो अनालिसिस आफ वेरिएस सिगनीफिकेंट है यानी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हायर है प्रासपेरिटी बढ़ी है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने यह नहीं कहा कि नहीं बढ़ी। मैंने कहा कि बनिस्बत दूसरी चीजों के कम बढ़ी।

डाक्टर सीताराम—

आपने यह कहा कि कृषि उत्पादन कम हुआ है। आप कार्यवाही देख लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

वन विभाग का बजट भी आने वाला है और उस पर भी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

डाक्टर सीताराम—

अच्छी बात है। यह जो कटमोशन मूव किया गया है सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय तो इससे कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटमोशन वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,००,८२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१९,६७,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६ कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,९२,८४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—वन

*वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य पाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२—वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,९०,९२,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी सदस्य जानते हैं कि वन हमारे प्रदेश में कितना महत्व रखते हैं। इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसका विवरण सदस्यों को पुस्तिकाओं के रूप दे दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि वन के अन्तर्गत जितनी जमीन होनी चाहिये फारेस्ट पालिसी के हिसाब से वह ३३ प्रतिशत है लेकिन हमारे प्रदेश में वह १६ प्रतिशत ही उपलब्ध है। लिहाजा हमारे पास जो खाली जमीन पड़ी हुई है उसको हम खेती के लिये नहीं देते। हमारे प्रदेश में जो भूमिहीन है उनके लिये हमने एक पद्धति बनाई है। इस पद्धति में जितने हमारे प्रदेश में भूमिहीने हैं उनको जमीन दे दी जाती है और वह भी जो जमीन अच्छी होती है उसको सिर्फ तीन साल के लिये टांगिया फार्मिग के लिये देते हैं जो ऊसर और खराब जमीन होती है उसकी अवधि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस तरह से भूमिहीनों की समस्या को हल करने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं।

इसके अतिरिक्त प्लान्टेशन का कार्य भी हमारे प्रदेश में जोरों से चल रहा है। छोटे-छोटे और बड़े-बड़े उद्योगों के लिये हम लोग अब तक २२,६८० हेक्टियर जमीन पर वृक्षारोपण इस प्रदेश में कर चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट इत्यादि के पेड़ भी हम लोग लगाते हैं। जल्दी उगने वाले पेड़ों का वृक्षारोपण भी हमारे प्रदेश में हो रहा है। जंगल के पास जो गांव हैं वहां के ग्रामीणों को भी हम लोग काफी सुविधा देते हैं। मैं आप को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि अब तक एक करोड़ रुपये की लागत की लकड़ी हम लोग ग्रामीणों को दिये हैं। रियायती दाम पर उन लोगों को वन विभाग लकड़ी देता है। इन सभी बातों के अतिरिक्त जैसे कि आज सुबह भी प्रश्नों के दौरान जंगली जानवरों के लिये शिकार करने के बारे में चर्चा हुई इसके लिये शीघ्र ही हम लोग एक विधेयक ला रहे हैं जिससे हम जंगल में जानवरों का शिकार करने पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारा जो नियम है उसमें केवल रिजर्ब्ड फारेस्ट पर ही हमारे कायदे कानून लागू होते हैं किन्तु उस विधेयक के आने से रिजर्ब्ड फारेस्ट के बाहर भी जो शिकार की जाती हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लग जायेगा। अतः इस प्रकार का बिल शीघ्र ही सदन में आने वाला है। इसके अलावा भी और बहुत से हमारे माननीय सदस्य जो सुझाव कुछ देंगे और उन को सुनने के बाद जो कुछ होगा कहूंगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार की विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, आज जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मुझे आशा थी कि वे इस बजट में कुछ ऐसी घोषणा करते जिसमें हम लोगों को बोलने की जरूरत न होती किन्तु मुझे निराशा ही नहीं अपितु बड़ा दुख भी हुआ कि मंत्री जी की ओर से कोई नीति परिवर्तन की बात इस बजट में नहीं रखी गई है। इसके अलावा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण ३३ पेज का छापा और मुझे आशा थी कि हमारे वित्त मंत्री जी जो हैं वे जंगलों से घिरे गांव में पैदा हुये हैं, जंगल वालों ने उनको वोट देकर उन्हें चुना है किन्तु कहीं भी इस बजट भाषण में वन के बाबत कुछ नहीं कहा गया है, एक अक्षर भी नहीं लिखा गया है..

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, वे जंगल में पैदा नहीं हुये थे, वे गांव में पैदा हुये थे।

श्री इन्द्रमणि—

तो मान्यवर, पेज ६ पर अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अपने उल्लेखनीय प्रस्ताव में २१ सूत्री कार्यक्रम लिखा है किन्तु इस २१ सूत्रीय कार्यक्रम में कहीं भी वन के बाबत उन्होंने जिक्र नहीं किया है इसलिये उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार वनों के बाबत कितनी

[श्री इन्द्रमणि]

दिलचस्पी रखती है और कितने काम इस क्षेत्र में करना चाहती है । एक बात और आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । मान्यवर, यहां पर अक्सर यह कहा जाता है और मंत्री लोग कहते हैं कि जब इस अनुदान में मांग की राशि को एक रुपया कर दिया जाय तो कैसे उस क्षेत्र में प्रगति हो सकती है किन्तु मेरा तो सांकेतिक प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण मांग की राशि को घटाकर उसमें परिवर्तन किया जाय । मैं यह नहीं चाहता हूं कि बजट की राशि में कमी की जाय । मेरा कटौती का जो प्रस्ताव है वह सम्पूर्ण वन की नीति में परिवर्तन करने हेतु है।

श्रीमन्, एक बात समझ में नहीं आती है और मैंने बहुत समझने की कोशिश भी की है। इस विधान सभा में एक तरफ तो कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और उसमें हम अपने विचार सदन के सामने रखते है । उसके बाद मंत्री जी उत्तर देते हैं । फिर उसको कार्य रूप में परिणत होना चाहिये जैसा कि मंत्री जी कहते हैं मैं दूर न जाकर १९७० में जब मंत्री यही मंत्री जी थे और माननीय नेगी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था उसका थोड़ा सा अंश पढ़ देना चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा था कि "देश के बड़े-बड़े मालदार लोग वहां की दौलत को लूट रहे हैं ।" आज क्या है ? पूरा जंगलात विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । बड़े-बड़े मालदार लोग जंगल में जाते हैं जंगलात के अफसरों से मिल कर अपना काम बनवा लेते है उनसे मिल कर खूब भ्रष्टाचार होता है । पश्चिमी जर्मनी में जो समाजवादी देश नहीं है पूंजीवादी देश हैं, वहां पर ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया गया है । वहां यह सिस्टम है कि जो जंगलात का इंचार्ज होता है उसका ट्रांसफर नहीं होता हैं । वह जंगल में ही रहता है । उसके नीचे बहुत से फारेस्ट गार्ड्स होते है । वहां का सिस्टम बड़ा अच्छा है । इस तरह से माननीय नेगी जी ने कहा था ।

इसके बाद माननीय इन्द्रलाल जी आज भी शासक दल में है । उन्होंने वन विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में कहा था । उन्होंने क्या कहा था, आप देखिये । मैं समझता हूं कि या तो वन विभाग को इसकी सफाई देनी चाहिये या फिर विभाग को ही छोड़ देना चाहिये। उन्होंने कहा था कि "अभी पिछले दिनों देहरादून में एक कांफ्रेंस में मंत्रिमंडल के स्तर पर यह घोषणा की गई थी कि आग लगने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग का करोड़ों रुपयों का नुक्सान हुआ है । लेकिन यह आग कोई आकर नहीं लगाई । मैं यह चुनौती के साथ कहता हूं कि जंगलों में जो आज आग लग रही है और लगी यह स्थानीय कर्मचारियों के नाजायज कामों को छिपाने के लिये उनके द्वारा लगाई जाती है । इससे श्रीमन्, स्पष्ट हो गया कि जो वन की रक्षा के लिये आपके कर्मचारी और अधिकारी हैं वे अपनी गल्तियों को छिपाने के लिये जंगल में आग लगा देते हैं । आगे हम देखते है कि हमारे एक सदस्य ने कहा था दो बातों पर उन्होंने जोर दिया था । एक तो यह कि मिर्जापुर में बहुत बड़ी संख्या में तेंदू की पत्तियां होती हैं और वह झांसी में भी पाई जाती हैं । अप्रैल और मई में ठेकेदार उसको नीलाम द्वारा खरीदते हैं । उस समय माननीय बंशीधर मिश्रा इसके मंत्री थे । उनके सामने इस समस्या को रखा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि इस समस्या का हल किया जाय ।

दूसरी बात उन्होंने बांस के जंगल के बारे में कही । मिर्जापुर से बांस बिहार ले जाया जा रहा है । उसमें लूट मची हुई है । उसका इन्तजाम होना चाहिये इनके दल के माननीय शिवानन्द नौटियाल जी ने सरकार का ध्यान दिलाया था और आज एसेम्बली में भी उसके बारे में प्रश्न हुआ था । उन्होंने कहा कि लीसा की लूट मची हुई है । स्टार पेपर मिल के बाबत उन्होंने कहा था कि २० नये पैसे क्यूबिक फीट के हिसाब से उसको लकड़ी दे दी गई जब कि वही लकड़ी ९ रुपये के हिसाब से बाजार में बेची गई । मैं कहना चाहता था कि माननीय सुरेंद्र विक्रम सिंह आदि सब लोगों ने कहा और अन्त में माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा । मैं दो अल्फाज में कह दूं ।

श्रीमन्, उन्होंने कहा था––"अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्य के सुझावों पर हम अच्छी तरह से विचार करेंगे और जिनको हम कार्यान्वित कर सकेंगे, उन को कार्यान्वित करेंगे। इस समय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं।"

उपाध्यक्ष जी, आप देखें इन सब सुझावों में कौन सा ऐसा सुझाव है जो गलत हो। इसकी कसौटी आप को देखनी पड़ेगी। अगर इन सदस्यों के कोई सुझाव गलत होते तो आप उन को न मानते। वन मन्त्री जी स्वयं यहां बैठे हैं, वे भी इस बात को मानेंगे कि सुझाव तो ठीक ही है। वह यही कहेंगे कि वह बिलकुल ठीक हैं। फिर माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इन सुझावों पर अमल क्यों नहीं हुआ हमारे इन कटौती के प्रस्ताव के रखने का और हमारे बोलने का मतलब ही क्या है? क्या उन को केवल वही महानता दी जाती है जो सड़कों पर भाषण को दी जाती है। सन् १९५२ से लेकर आज तक जो भी कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं फारेस्ट की डिमान्ड के ऊपर उन सब में एक प्रकार की बातें ही कही गयी हैं। लेकिन वन विभाग की नीति उसी प्रकार की रही। मैं श्रीमान् से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो अवस्था है उसमें इन कटौती के प्रस्तावों का मूल्य क्या है? हमारी यह एक बड़ी भारी समस्या है। जितने भी कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं और उसके सिलसिले में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर मेरी समझ से सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके अलावा एक बात और देखने को मिली कि जब तक माननीय सदस्य केवल एम० एल० ए० रहते हैं तो वही शब्द बोलते हैं जो हम यहां बैठ कर बोलते हैं लेकिन जब वही मिनिस्टर हो जाते हैं तो उनकी भाषा ही बदल जाती है। दोनों भाषाओं में बड़ा भारी कन्ट्रास्ट हो जाता है। चाहे तो किशन सिंह रहे हों, चाहे गुलाब सिंह हों, वही बात भंडारी जी के साथ भी है। उनको तो अभी मौका ही मिला है। देखिये आप क्या करामात दिखाते हैं। कुमाऊं वन रोपण समिति बनाई गई थी, उस पर सरकार का हजारों रुपया खर्च हुआ था। भंडारीजी, जो राज्य मंत्री इस समय हैं वे उस समिति में थे। अब पता नहीं वे क्या बोलेंगे। लेकिन यह सत्य है कि जब इधर बैठते हैं या खाली एम० एल० ए० होते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं और जब मिनिस्टर हो जाते हैं तब दूसरी भाषा बोलते हैं। मेरे बाद जब इधर से ओझा जी बोलेंगे तो यही कहेंगे और दूसरे भी जो माननीय सदस्य कहेंगे वे भी यही बात कहेंगे ·····

श्री उपाध्यक्ष––

उनको पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ बोलना पड़ता है जबकि आप पर वह बात अधिक लागू नहीं होती। क्योंकि आपका कार्य तो केवल इतना है –"विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना"।

श्री इन्द्रमणि––

माननीय सदस्य कोई बात कहें और उसका प्रभाव सरकार पर न हो, यह तो एक बात है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी बड़ा भरी दुःख तो तब होता है जबकि मंत्री जी इस सदन में किसी बात की घोषणा करते हैं और वह नहीं होती। जो इस समय हमारे वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने ६९–७० के अनुदानों के समय जो उत्तर दिया था उसमें से केवल एक स्टेन्जा पढ़ देना चाहता हूं ––

"माननीय सदस्य रानीखेत ने एक प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया है कि किसानों को रुपया नहीं मिल पाया है तो उसके लिये कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य देव प्रयाग ने वन पंचायतों के सम्बन्ध में कहा। इस सम्बन्ध में एक कानून बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही एक विधेयक इस वर्ष के अन्त तक इस सदन के सम्मुख आ सकेगा, जिसमें न सिर्फ कुमायूं, टिहरी,–गढ़वाल बल्कि सभी वनों के लिये प्राविधान होगा। इस प्रकार जो वन पंचायतें हैं उनके लिये अधिनियम बना रहे हैं।"

[श्री इन्द्रमणि]

अनुदान के उत्तर में यह घोषणा इस सदन में हुई लेकिन अभी तक उस कानून का कहीं पता भी नहीं है। जो घोषणा हो चुकी उसका भी कहीं पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की जो आश्वासन समिति है इसमें उसकी कुछ दुर्बलता मालूम पड़ती है।

श्री इन्द्रमणि—

यह हमारे साथ ही खिलवाड़ नहीं है, यह सारी जनता के साथ खिलवाड़ है। यह तो जनता से संबंधित बातें हैं, व्यक्तिगत अपने लिये कोई बात नहीं कहता। जनता से संबंधित बातों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना कोई उचित नहीं है।

जहां तक जंगलों की बात है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वन होने चाहिये। आज मानव ने जितना जंगलों का विनाश किया है उतना ही आप देखिये, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। यह सब आदमियों के गलती के कारण है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति १९५२ में बनी थी जिसमें यह तय किया गया था कि कम से कम साढ़े ३७ प्रतिशत भू भाग पर जंगल होने चाहिये। इसमें से ३० प्रतिशत मैदानी हिस्सों में और ७० प्रतिशत पहाड़ी हस्सों में होने चाहिये। हमारे यहां क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है इसमें बहुत सुन्दर दिया है। "इस राज्य में वन का कुल क्षेत्रफल ४७९३८ वर्ग किलोमीटर है जिसमें से ३९३१८ वर्ग किलोमीटर वन विभाग के नियंत्रण में है और शेष ८,६२० वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र सिविल और अन्य प्राधिकारियों के नियंत्रण में है। इस देश के राज्यों में वन क्षेत्र की दृष्टि से इस राज्य का स्थान छठा है। इसी क्रम में प्रथम पांच राज्य मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश है। भारत के २८.४ प्रतिशत, आसाम के ५३.७ प्रतिशत, उडीसा के ४२.३ प्रतिशत, मध्यप्रदेश के ३१.० प्रतिशत, के १८.३ प्रतिशत, बिहार के १८.१ प्रतिशत और नागालैंड के १६.१ प्रतिशत की तुलना में इस राज्य में वन का क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का १६.३ प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति यह निर्धारित करती है कि सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की प्रोन्नति के लिये ३३ प्रतिशत भूमि में—पर्वतीय सम्भाग में ६० प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में २० प्रतिशत—समुचित स्थलों पर और सुप्रबन्धित वनों को लगा कर उसका विकास किया जाय। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन क्षेत्र का प्रतिशत ५४.८ (२७.९१८ वर्ग किलोमीटर) और मैदानी इलाके में ८.४ (२०,०२० वर्ग किलोमीटर) आता है।" हमारे उत्तर प्रदेश और पर्वतीय जिलों में थोड़े बहुत जंगल हैं। गंगा का मैदान वन विहीन है, लोगों ने काट दिया है। इस प्रकार करीब ३० जिले ऐसे हैं जिसमें जंगल हैं ही नहीं तथा शेष मैदानी १५ जिलों में भी नाम मात्र के लिए जंगल है।

इससे यह निश्चित है कि हमारे यहां जंगल कम हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप जंगलों का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आबादी का भार आजकल दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। अब प्रश्न हम सब के सामने एक है कि जो वर्तमान जंगल है, जैसा कि फारेस्ट मंत्री जी ने कहा है, इनकी रक्षा कर सकते हैं या नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से किसी भी हालत में इन जंगलों की रक्षा नहीं हो सकती। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलूं हम को इस बात को देखना होगा कि जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें किन-किन चीजों को मद्देनजर रखा है ताकि हम देखें कि उससे जंगल घट सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या उतने ही रह सकते हैं। मैं डिटेल में न जा कर केवल इतना ही कहूंगा कि इनकी राजस्व प्राप्ति २२,६२,४८,००० रुपये है और व्यय ८,५२,७५,००० रुपये है। अगर १९६४— का देखें तो आमदनी ११,६२,००,००० रुपये कुल थी और व्यय ५२६.०३ करोड़ रुपये था। मतलब यह है कि हमारी वन से आमदनी बढ़ी है और वन विभाग इसमें बड़ा हर्ष कर सकता है लेकिन अगर देश के अन्य प्रान्तों के साथ तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं। यह यदि ऐसा समझे कि

हमने इतनी ज्यादा आमदनी बढ़ाई है तो यह बात नहीं है। यह बात जरूर है कि आमदनी बढ़ी लेकिन उस आमदनी के बढ़ने के कुछ और कारण हैं। लकड़ी के भाव बढ़ गये हैं। इनकी कार्य क्षमता से इतनी कोई आमदनी नहीं बढ़ी है।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि यहां पर केराला में वनों से पर स्क्वायर मील आमदनी २,६२० रुपया है। मैसूर में वनों से पर स्क्वायर मील आमदनी १,७९५ रुपया है। हिमाचल प्रदेश में वनों से प्रति वर्ग मील १,७४३ रुपया है। निकोबार में वह १,६१२ रुपया है। गुजरात में वनों से प्रति वर्ग मील १,३८३ रुपया है। वैस्ट बंगाल में वनों से १,२९६ रुपया है। उत्तर प्रदेश में वह पर स्क्वायर मील आमदनी १,०६९ रुपया है। यह अपने प्रदेश की बात है। यह इकानामिकल सर्वे की किताब है जिससे मैं यह बता रहा हूं। यह आंकड़े सब लोगों ने मिल कर तैयार किये हैं। अगर सारे हिन्दुस्तान को फारेस्ट प्रति वर्ग मील आमदनी को देखा जाय तो यह उत्तर प्रदेश सातवें नम्बर पर आता है आमदनी के लिहाज से। अगर दुनिया के साथ इसका मुकाबला किया जाय तो दुनिया में इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। पच्छिम जर्मनी में इतने ही जंगल हैं और उतनी ही आबादी है जितनी उत्तर प्रदेश में है लेकिन यदि पच्छिम जर्मनी को देखा जाय तो वहां पर ४० गुना कामर्शियल लकड़ी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पैदा होती है यदि सुरक्षित वनों को देखा जाय।

"Even if the comparison was confined to only the well managed reserved forests worked for timber and other produce in U. P. the yield of West German forests would amount to 8 times that of U.P. forests."

तो जर्मनी में जंगलों से आठ गुना ज्यादा आमदनी है। इस बात से यह निश्चित बात साफ हो जाती है कि जैसा काम विभाग को करना चाहिये था वह वैसा नहीं हुआ।

अब देखने की बात यह है कि कैसे आमदनी बढ़े। आज प्रश्न यह है कि आप स्टार मिल को जंगलात से चाहे जिस भाव पर लकड़ी दे दें उससे आमदनी बढ़ नहीं सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिये यहां पर बार-बार यह कहा गया है और मन्त्री जी से निवेदन भी किया गया है कि वनों की सुरक्षा तभी हो सकती है और वह केवल एक वजह से ही आप सुरक्षा कर सकते हैं कि आप अपनी नीति निश्चित करें। निश्चित करने से मेरा आशय यह है कि दूसरी नीति अपनायें। आप इस नीति में कोई परिवर्तन करें। वह यह है कि जो लोग जंगलात के पास रहते हैं और जो लोग जंगलों की सुरक्षा करते हैं उन लोगों के साथ मिलकर काम करें तभी जंगल बच सकते हैं। वन नीति को यदि आप निश्चित करना चाहते हैं तो उनके साथ सहयोग करना आवश्यक है। बिना जनता के सहयोग के यह सम्भव नहीं हो सकता है और न वन सम्पदा की आमदनी बढ़ सकती है। जनता की शुभ भावना के विषय में राष्ट्रीय वन नीति का यह पैरा मैं पढ़ना चाहता हूं "कि यद्यपि वनों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध, वन विधान, शिक्षा तथा अनुसन्धान पर आश्रित है तो भी उनका दृढ़ आधार समीप रहने वाली जनता की कल्याण तथा शुभ भावनाएं ही हैं। जनता की हार्दिक सहायता तथा सहयोग के बिना किसी भी वन नीति की सफलता की रत्ती मात्र भी आशा नहीं की जा सकती है चाहे वह कितनी भी सावधान पूर्वक निर्मित हो और जनता के कल्याण की भावना भी रखती है। यह मान लेना ही काफी नहीं है कि जनता को रियायती दर पर या राजशुल्क से मुक्त वन उपज को खरीदने का अधिकार है, आवश्यकता इस बात की है कि जनता को वनों की उपयोगिता में साक्षात् दिलचस्पी लेने के लिये प्रेरित किया जाय। बिचौलिये अपने लाभ के लिये वनों एवं स्थानीय मजदूरों से अनुचित लाभ उठाया करते हैं। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल वन मजदूरों की सहकारी समितियां बना देने से लाभ होगा। स्थानीय जनता का एक बार यह जान लेना कि वन उनकी आजीविका के साधन हैं, वन नीति की सफलता की दिशा में एक बड़ा भारी कदम होगा।"

[श्री इन्द्रमणि]

तो श्रीमन्, यह जो राष्ट्र के निर्माता हैं उन्होंने इस नीति को बनाया। अगर यह जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं कहता हूं कि सन् १९५२ से असेम्बली की प्रोसीडिंग्स आप देख लें, उसमें जनता के सब प्रतिनिधियों ने कहा है कि वन सहकारी समिति होनी चाहिये। फिर यह समझ में नहीं आता है कि क्यों इन ठेकेदारों द्वारा इन वनों को लुटाया जा रहा है। जंगल जो २० करोड़ में दिया गया उसमें से १६ करोड़ ठेकेदारों द्वारा प्राप्त है। जब हमारी वन नीति में कहा गया है कि वन सहकारी समिति बनेगी तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं सहकारी समितियां बना दी जायं।

एक बात मुझे और कहनी है। पहले यह होता था कि लकड़ी का कटान-चिरान जब वहां होता था तो वहां के लोग थोड़ा काम पाते थे लेकिन अब यह प्रथा वहां खत्म कर दी गयी है। अब वहां कटान-चिरान नहीं होता है। अब तो सारे पेड़ के पेड़ काट कर देहरादून और हरिद्वार लाते हैं और इसकी चिन्ता उनको कोई नहीं है कि वहां के लोगों की रोजी कैसे चल सकेगी। अभी थोड़े दिन पहले मैं उत्तर काशी के ऊपर हरसिल गया था। वहां हरसिल में देवदार के पेड़ के पेड़ काट कर तथा उनका कटान-चिरान वहां न हो कर, बड़े-बड़े साबुत पेड़ के पेड़ लागिंग करके लाये जाते हैं। इस तरह से वहां के लोगों को कटान-चिरान से जो रोजी मिलती थी वह भी उनसे छीन ली है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया है कि सरकार की वन नीति क्या है। लेकिन इनकी अपनी नीति है कि ये इन सहकारी समितियों को पनपने ही नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ एक और बात है कि अगर सहकारी समितियां नहीं हैं तो अपने आप काम कर लीजिये। जहां जहां भी जंगल हैं, चाहे उत्तर काशी हो, चाहे टेहरी गढ़वाल हो, चाहे चमोली हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे कोई और जिला हो, आज वहां के लोग दूर-दूर तक नौकरी के लिये जाते हैं।

मेरा निवेदन है कि अगर और कुछ न हो तो आपको वहां के लोगों को काम तो देना ही चाहिये। श्रीमन्, ये काम कितना दे रहे हैं, इसकी बाबत मैं आप को बतलाऊं कि जहां पर सब से ज्यादा जंगल हैं वहां के कितने लोगों को आपने काम दिया है उसकी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर काशी में तो लोगों को कोई काम ही नहीं दे पाये हैं। यह किताब है "मध्य हिमालय विकास की समस्यायें"। इससे मैं कुछ रेफरेंस इसलिये दे रहा हूं कि जिससे मालूम हो सके कि कितना काम इन्होंने दिया है, इससे स्पष्ट हो जायगा। दिल्ली में सारे पर्वतीय प्रदेशों का एक सम्मेलन हुआ था उसी की यहां रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है:—

वन-उद्योग और रोजगार—पहाड़ों में जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना के अलावा कोई चारा नहीं है। कृषि और पशुपालन जो यहां के दो मुख्य व्यवसाय हैं, के विस्तार का अर्थ होगा—वनों की तबाही और उसके पश्चात् सर्वनाश। खेती और पशुओं की नस्ल में सुधार के लिये जो पर्याप्त गुंजाइश है, परन्तु ये पूरे समय का रोजगार नहीं दे पाते। पहाड़ों में कच्चे माल के स्रोत बन हैं। अब तक वनों से प्राप्त कच्चा माल मैदानों में स्थित बड़े कारखानों में जाता है। चीड़ के पेड़ों से निकाला गया लीसा मुख्यतः कलेक्टरगंज की सरकारी फैक्टरी में जाता है। रानीखेत की औषधि निर्माणशाला व लीसे से विरोजा निकालने के २-३ छोटे यूनिटों के अलावा अब तक इस क्षेत्र में कोई वनोद्योग नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक कारखानों से रोजगार पाने वाले की संख्या प्रति हजार इस प्रकार है—अल्मोड़ा—पिथौरागढ़ जिले में प्रति हजार रोजगार पाने ०.९ गढ़वाल—चमोली में ०.४, नैनीताल जिले में १.१ और टिहरी—उत्तरकाशी में ०.२ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है इन आंकड़ों से कि ये आज तक वहां के लोगों को रोजगार नहीं दे पाये हैं। फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं जबकि आप की वन नीति कहती है कि आस पास के समीपवर्ती लोगों को काम दें।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)––

कृपया किताब का नाम बता दें जिससे आप पढ़ रहे थे और इसका कौन सा पन्ना था ?

श्री इन्द्रमणि––

यह मैं हिमालय के विकास की समस्या के पृष्ठ १४ से पढ़ रहा था ।

अगर हम विचार करें और गौर से देखें तो इस विभाग की नीति ऐसी रही कि बन के आसपास के रहने वाले लोगों के लिये कोई कार्य नहीं किया गया। उनको जो बनों के पास रहते हैं विभाग को काम देना चाहिये ताकि वह लोग इन वनों की ठीक से रक्षा कर सकते । दूसरी बात अभी मुझे राय साहब ने याद दिलाई कि हम सब लोगों को जो वन के पास के रहनें वाले हैं यह जंगली कहते हैं क्योंकि हम लोग इन के जंगलों की रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं और वहां को यातायात की सुविधा नहीं हैं। हमारे यहां पी० डब्लू० डी० पर्वतीय और मिर्जापुर के इलाके में क्यों सड़क बनायेगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहीं पर पी0 डब्यू0 डी0 वाले सड़क बनायेंगे । सड़क न होने से हम आधुनिक जगत की प्रगति से वंचित रह जाते हैं जिससे हमें जंगली कहा जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप को पहाड़ी कहा जाता है जंगली नहीं कहा जाता है ।

श्री इन्द्रमणि––

जो वन के आदमी हैं. . .

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

बडौनी जी तो दाढ़ी बढ़ाये हैं उनको वह जंगली कहते हैं और मंत्री जी तो क्लीन शेव्ड हैं:

श्री इन्द्रमणि––

इनका सबसे बड़ा कर्त्तव्य यही था कि वह वनक्षेत्र में सड़कें बना देते लेकिन वह काम नहीं किया गया । अगर इतना ही काम कर दिया जाता है जंगल के रहने वालों को जंगली कोई न कहता और ऐसी बुद्धि उनकी न होती । हम चूंकि जंगलों की रक्षा करते हैं इसी बास्ते अधिकांश लोग वहां के लोगों को जंगली कहते हैं । वहां की यातायात का आज क्या हाल है यह भी मैं बताता चाहता हूं । वन विभाग में २० लाख रुपये का का सड़कों का बजट है वहां का और २३० मील मोटर की सड़क वहां बनेगी। इतने कम रुपये में इतनी सड़क बनाना मुश्किल है अगर वह यह बना भी देते है कि इतने से समस्या हल नहीं होगी । जो पर्वतीय इलाके का ब्रेक-आप उसके विषय में बता दूं कि पूर्व वृत में ५७ किलोमीटर पश्चिम वृत में १२ किलोमीटर, केंद्र वृत्त में ८८ किलोमीटर, शिवालिका वृत्त में ९२ किलोमीटर, दक्षिण वृत्त में ५ किलोमीटर, कुमायूं वृत्त में १३ किलोमीटर, टिहरी वृत्त में किलोमीटर इस तरह से यह है ।

यह प्लान किस आधार पर इन्होंने बनाया, हम दूसरी किताब को देखते हैं, यह हमारे पास एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है और आखिर हमें इस सूबे को प्लान करना है तो जो तथ्य हैं उनको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते। हमारे यहां जो सबसे बड़ा नुकसान वन विभाग को होता है वह लीसे के व्यवसाय का है। हमारे भंडारी जी तो सब जगह घूम आये हैं उनको मालूम होना चाहिये कि घनसाली से ऋषिकेश ९० मील, ढुवान का १ रुपया लगता है जब कि उससे ऊपर ९० मील का २० रुपया लगता है। वहां पर अगर सड़क हो जाती तो उस से वहां के लोगों को काफी लाभ हो सकता था और वन विभाग का राजस्व भी बढ़ जाता।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

आप कृपया यह सुझाव दें कि कहां-कहां उस क्षेत्र में सड़कें बनना चाहिए ताकि वहां की वन सम्पदा का एक्सप्लायटेशन किया जा सके ।

श्री इन्द्रमणि––

मैंने इस विषय में पहले ही साफ कर दिया है। हम सुझाव क्या दें और आप क्या विचार करेंगे। मैं कह रहा था कि श्रीमन्––"Techno--Economic Survey Of Uttar Pradesh page 10 पर लिखा है कि :––

"That the Himalayan region contains good forests, their exploitation is greatly hampered by the lack of sufficient roads"

[श्री इन्द्रमणि]

तो यह स्पष्ट है कि वहां पर सड़कें नहीं हैं। लेकिन आप कितनी सड़कें बढ़ा रहे हैं केवल ७ किलोमीटर। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों के साथ तथा स्वयं बनों के साथ वन विभाग कैसा व्यवहार कर रहा है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हर जगह जहां पर आपके जंगल हैं, वहां पर जीपेबिल सड़क बना दें तो आज जो यह १२ करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ जंगलों से होता है और वह बढ़कर १४ करोड़ या ३० करोड़ रुपया हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी क्षेत्र हो जहां पर वन हों, वहां पर आप सड़कें अवश्य बना दें।

आपने जो प्रगति विवरण पुस्तिका वितरित की है, उसको मैंने समझने की कोशिश की। इसमें प्रकृति के परिरक्षण के सम्बन्ध में आपने प्रदेश के वन्य जन्तुओं की रक्षा के लिए कहा है लेकिन आज माननीय सुरेन्द्र विक्रम के प्रश्न के बारे में जो कहा उससे स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से आप जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं।

जहां तक कार्य आयोजनाओं का बनाना और पुनरीक्षण का सम्बन्ध है जो वर्किंग प्लान होता है, उसके २ हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कि आप वनों में उपज को कैसे ले जायेंगे और कैसे सड़क बनायेंगे, वृक्ष आरोपण कैसे करेंगे। जंगलों से वन की उपज तो ठीक जाती है लेकिन जब सड़कों और वृक्षारोपण की बात आती है तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है। तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि वर्किंग प्लान सही रूप से नहीं चलेगा यानी जो सड़क बनाने का काम है या वृक्षारोपण का काम है वह सही रूप से नहीं चलेगा। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जंगल ही काट दिये जायेंगे और अगर आपकी सरकार हमेशा ही बनी रही तो हमेशा के लिए ये जंगल समाप्त हो जायेंगे।

इसके अलावा लीसा उद्योग की बात है। इन्होंने हमारे पर्वतीय जिलों को भी इस वर्ष लीसा दिया है। हमारे पेड़ों से वन विभाग लीसा लेता है और फिर कमिश्नर को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सहकारी संघ को देते हैं। टिहरी के तथा पौड़ी के सहकारी संघों को लीसा नहीं दिया जाता है। कोटद्वार में एक बहुत पुरानी संस्था है। गत वर्ष उसको ३,७३१ क्विंटल लीसा दिया गया था लेकिन इस वर्ष केवल १,४०० क्विंटल ही लीसा मिला। आप जो सहकारी समितियों को लीसा नहीं देते हैं, यह गलत बात है। हम जो वनों की रक्षा करते हैं, जो आस-पास में रहते हैं तो इन्हें आपको लीसा दे देना चाहिए। दूसरी बात श्रीमन्, वन सहकारी समितियों के निर्माण की बाबत मैं कह चुका हूं। अगर उनका निर्माण आप नहीं करेंगे तो निश्चित है कि भविष्य में आप वनों को सुरक्षित नहीं पायेंगे। चौथा जो सुझाव है, जिसके लिये आप कह रहे थे वह यह है कि आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है जिसकी सालाना योजना बनती है उसमें मुख्य मंत्री जी से लड़ कर वन के लिये रुपया मांगिये। मैं समझता हूं कि हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि केबिनेट में जब कटौती की बात आती है, जिस साल भी, तो कटौती किस के नाम पर जायेगी, वन विभाग के नाम पर।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

वन सहकारी समितियों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उनके गठन का कार्य सरकार का नहीं बल्कि जनता का है।

श्री इन्द्रमणि—

श्रीमन्, उसके लिये सरकार को एक कमेटी बना देनी चाहिये और गुजरात पैटर्न पर जैसे उसमें वन मंत्री, वित्त मंत्री और सहकारी मंत्री हों और मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष हों, और यह मौजूदा कोआपरेटिव चलायेंगे वे तो फेल होंगी ही उनको तो आपके कर्मचारी देखना नहीं चाहते हैं। आपको तो नीति में परिवर्तन करके कोआपरेटिव चलानी चाहिये तब कोआपरेटिव चलेगी। उसके लिये एक समिति बना देनी चाहिये। आपने अभी कल सुना होगा कि देहरादून बिल्कुल खतरे में है, ऋषीकेश खतरे में है। उसका एक ही कारण

है कि वन विभाग वालों ने चूने का पत्थर उद्योग विभाग को दे दिया और उसका इस तरह से शोषण होता है कि अगर आप मंसूरी गये हों तो सारा पहाड़ उन्होंने काट-काट कर खत्म कर दिया है। देहरादून जो सुन्दर शहर है वह खतरे में आ गया है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो खनिज पदार्थ है चूने के पत्थर वाला जिला, यह वन विभाग के अन्दर आना चाहिये ताकि वन विभाग देखे कि इससे कितना नुक्सान और कितना फायदा है। मेरा एक सुझाव और है। लोगों के हक और हकूक का है। हमारे राज्य मंत्री जी तमाम घूमे थे।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तरकाशी के सीमांत जिले का धराली, मुखमा गांव है वहां के लोगों ने कहा कि देवदार हमें रियायती कीमत पर मिलना चाहिये। मैंने आकर जिलाधीश और डी० एम० ओ० से रियायती दर पर देने के लिये कहा। शायद उस समय के वन मंत्री को भी पत्र लिखा। उत्तर क्या आया है कि इनको देवदार रियायती दर पर नहीं मिल सकता है। वह देहरादून जा सकता है। वह उनके मकान के बगल से कटकर देहरादून जा सकता है परन्तु उनको रियायती दर पर नहीं मिल सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

श्रीमन्, आदेश जारी किये गये हैं।

श्री इन्द्रमणि—

अगर वे गांव वाले कहेंगे कि आदेश आ गये तो सुन्दर बात है। आप बधाई के पात्र होंगे। मैंने पहले भी स्वीकार किया कि टिहरी-गढ़वाल आज से बीस साल पहले उत्तर प्रदेश में विलीन कर दिया गया है। टिहरी के लिये अलग नियम हैं कुमाऊं के लिये अलग नियम हैं, पौढ़ी-गढ़वाल के लिये अलग नियम हैं। टिहरी में वन पंचायत नहीं हैं। वहां के स्वयं जंगलों का हाल बहुत ही खराब है।

(लाल बत्ती होने पर)

तो मेरा निवेदन यह है कि वहां के लोगों के बारह लाख रुपये सरकार के पास पड़े हैं। इस लिये वहां पर फारेस्ट पंचायत बनाई जाय। एक और निवेदन है श्रीमन्, वह यह है कि वन विभाग में जहां पर बड़े लोग हैं वहां पर सब जमीन दे देते हैं। खनिज के लिये जमीन दे देते हैं लेकिन गांव वालों को बगीचा लगाने के लिये जमीन नहीं देते हैं। वन विभाग का फल पट्टी के लिये तथा खाली टुकड़े पेड़ लगाने के लिये दे देना चाहिये। समझ में नहीं आता कि पेड़ ही तो लोग लगाते हैं। इसी तरह से मिर्जापुर की बात है। तेंदू का जो पत्ता है उसका मसला तय नहीं हुआ। तमाम बांस डालमिया वाले बिहार ले जा रहे हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में, लखीमपुर-खीरी में और पहाड़ में जमीन के तमाम झगड़े हैं। जो लोगों की अपनी जमीन है उस पर भी वन विभाग को ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, सन १९६९ में एक कुमायूं वन समिति बनी थी और ६४ में दुबारा आदेश हुआ था बनाने का। विकल जी जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया था। लेकिन सन् ६७ से न मालूम वह समिति कहां चली गयी। पन्त जी भी उसके मेम्बर रह चुके हैं। अब उसका कुछ पता नहीं।

श्रीमन्, फल पट्टी के लिए जमीन देने की बात है। बहुत सुन्दर बात है। लेकिन उसकी नीलामी होगी। उससे पहाड़ का गरीब आदमी उसको नहीं ले पायेगा। उस जमीन को बाहर वाले लोग रुपया देकर ले लेंगे अतः इतना ढीला नहीं होना चाहिये तो आप अगर इस वन नीति में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं तो भले ही कोई कंजरवेटर हो, कोई मिनिस्टर हो, लेकिन ५० साल बाद न जंगल रहेंगे, न कंजरवेटर रहेंगे और न मिनिस्टर रहेंगे। फिर क्या होगा ? फिर बाढ़ की भीषणता दिन पर दिन बढ़ेगी। गत वर्ष

[श्री इन्द्रमणि]

चमोली जिले में हेलंग गांव में वन विभाग वालों ने किस तरह से जंगलों को काटा और किस तरह से अलकनन्दा में बाढ़ आयी, यह बात मैं यहां बता चुका हूं। वह राज्य मंत्री जी की कांस्टीटुएंसी में ही पड़ता है। अगर आप वन विभाग को केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे तो यह जीवित नहीं रहेगा।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन विभाग के अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैंने माननीय बड़ोनी जी का भाषण सुना। ऐसा मालूम पड़ता है कि सेक्रेटेरिएट में जितनी पुस्तकें वन विभाग के बारे में हैं उन सब की फिगर्स उन्होंने देने की कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन नीति के बारे में परिवर्तन करने जा रही है। आपको शायद यह मुगालता है कि जब से कांग्रेस सरकार है, वन विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पुस्तिका यहां वितरित की गयी है उससे मालूम पड़ता है कि २४ साल के अन्दर वनों पर जो खर्चा किया जाता है वह बढ़ाया गया है और वनों से आमदनी भी छः गुनी बढ़ गयी है। सन् ७१—७२ में इस प्रदेश की वनों से आमदनी २० करोड़ से ज्यादा की है, जबकि केवल ८ करोड़ इस पर खर्च होता है। तो इस प्रकार १२ करोड़ रुपया इस विभाग से हमें अपने विकास कार्यों के लिए प्राप्त होता है। प्रदेश के विकास में इस विभाग का बड़ा महत्व है। मंत्री जी ने जब से यह विभाग संभाला है वह बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वनों का निरीक्षण किया है और जो कानून है इस सिलसिले में उसमें परिवर्तन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किये हैं।

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिनहा पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, इस प्रदेश में वास्तव में वन बहुत कम हैं। १५.७ प्रतिशत हैं जब कि भारतवर्ष में २३ प्रतिशत है। और जैसी कि हमारी राष्ट्रीय नीति है वन कम से कम १/३ भूमि में अवश्य होने चाहिये ताकि बाढ़ की जो आशंका होती है वह दूर हो सके। भागीरथी और अलकनन्दा में बाढ़ आयी और वहां पर काफी नुकसान हुआ। वैसे ही पिठौरागढ़ में काली नदी में बाढ़ आने के कारण काफी नुकसान हुआ। जब पहाड़ों की नदियों में पानी अधिक आ जाता है तो मैदानों में भी बाढ़ आ जाती है और काफी खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमारे यहां डि-फोरेस्टेशन किया जाता है और पेड़ों का रेकलेस डेस्ट्रक्शन किया जाता है। इसको रोकने के लिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रदेश में एक परिषद् का गठन करें। वह परिषद् एक स्टेटूटरी बाडी की तरह से होनी चाहिये। उस परिषद् को पावर्स होनी चाहिये कि वह जहां चाहे यह देखे कि कहां पर रकलेस और बेरहमी से पेड़ों की बर्बादी हो रही है। पेड़ों की बर्बादी से बाढ़ की आशंका बढ़ रही है। वन नीति के सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

एक सुझाव मेरा यह है कि सन् १८७४ में हमारे यहां एक ऐक्ट पास हुआ था और उस ऐक्ट के तहत में सन् १९३० में कुमायूं में रूल्स बने थे। अनोखी बात यह है कि हमारे यहां रूल्स बिना ऐक्ट के बने हुए हैं। इतना ही नहीं उन रूल्स में खराबी भी हैं, बहुत-सी कमियां हैं तथा खामियां हैं। कुमायूं वाटर रूल्स में भी खामियां हैं। नार्दन कनाल और ड्रेनेज ऐक्ट के अधीन हम पनचक्की नहीं लगा सकते हैं। अनेक कठिनाइयां हैं। पानी भी नहीं ला सकते हैं। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि पहाड़ों में जंगलों के सिलसिले में जो कानून बने हैं उनको आप देखें और उचित व्यवस्था कायम करने की चेष्टा करें। सन् १८९३ में एक नोटिफिकेशन निकला था कि कुमायूं में जितनी जमीन बेनाप है वह जंगलात की है। मान्यवर, आप टेहरी में देखें वहां सांय वनों का इंतजाम करने के लिए कोई नियम नहीं हैं। माइन्स ऐण्ड मिनरल रूल्स के अन्दर पत्थर बालू ले जाने की व्यवस्था उचित नहीं है। उसके लिए सुविधाजनक कोई नियम नहीं हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना

चाहूंगा कि पहाड़ों की बेहतरी के लिए और जंगलात की रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण कराएं।

मान्यवर, सन् १९६२ में उत्तरकाशी में एक लोजिंग डिमांस्ट्रेशन यूनिट स्थापित हुयी थी। पहाड़ों में जो लकड़ी काटी जाती थी वह ६० प्रतिशत बर्बाद हो जाती थी और केवल ४० प्रतिशत की ही उपयोगिता रहती थी। रूस और अमेरिका में बड़े-बड़े उपकरणों द्वारा लकड़ी काटी जाती है। वहां पर लकड़ी की उपयोगिता ७० प्रतिशत रहती है। जो एक्सपेरीमेन्ट उत्तरकाशी में प्रारम्भ किया गया था उसको अब ९ साल हो गये हैं। वहां पर काफी फायदा हुआ है और ७३ प्रतिशत लकड़ी की उपयोगिता प्राप्त हुयी है। जैसी यूनिट उत्तरकाशी में स्थापित हुयी है वैसी ही यूनिट्स पहाड़ के सब जिलों में स्थापित होनी चाहिए ताकि वहां के लोग भी यह जान सकें कि कैसे पेड़ों का कटान होता है और कैसे ढलान होता है। मान्यवर, हम सुनते हैं कि उड़ीसा में एक टिम्बर कारपोरेशन बनाया गया है और ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया है। ठेकेदारी सिस्टम समाप्त होना चाहिए। जैसा कि इन्द्रमणि बड़ौनी जी ने कहा वहां पर इससे बड़ा ही भ्रष्टाचार है। जंगलात विभाग को ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जैसी टिम्बर कारपोरेशन उड़ीसा में है वैसी ही कारपोरेशन यहां पर भी स्थापित होनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा सुझाव यह है कि पेड़ों को बेरहमी से न काटा जाये। पहाड़ों में जमीन धंस जाती है। कोई काम तरतीब से नहीं होता है। कुछ मालूम नहीं रहता है कि कहां पर पेड़ लगेंगे और कहां पर अबादी होगी। जिस प्रकार से कि और प्रान्तों में हुआ है हमारे यहां भी लैण्ड यूज सर्वे होना चाहिए ताकि गांव वालों को मालूम हो जाये कि कहां पर उनके जानवर चरेंगे, कहां पर आबादी होगी और कहां पर पेड़ लगेंगे। अगर लैण्ड यूज सर्वे नहीं होता है तो पेड़ इसी प्रकार से रेकलेसली कटते रहेंगे तो बाढ़ आती रहेगी और गांव वालों का नुक्सान होता रहेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां १०० वर्ष से खत्ते के रूप में तराई भावर में लोग जानवर पालते रहे हैं लेकिन वहां पर बंगाली एवं पंजाबी शरणार्थी आ गये हैं और उनकी जमीन छीन ली गई है। यह उन लोगों का पुराना धंधा है और वहां पर यह लोग गाय भैंस पालते रहे हैं।

मैंने सुना है कि मंत्री जी अभी वहां दौरे पर भी गये थे और स्वयं देखा होगा। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि खत्ते वाले जो तराई भावर में जानवर पालते हैं और दूध सप्लाई करते हैं उनको वहां पर ५, ५ एकड़ जमीन दी जाय। अंत में मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि बड़ौनी जी ने कहा है कि वन सहकारी समिति बम्बई में चल रही है। उस को यहां पर भी चलाया जाय। पहाड़ी क्षेत्रों में इसको गठित किया जाय और बैंक से कर्जा दिलाया जाय और इसके लिये एक डी० एफ० ओ० इंतजाम करने को दिया जाय। बम्बई में वन समिति के कारण वहां के लोगों को फायदा पहुंचा है तो उसका इस प्रदेश में भी एक्सपेरीमेन्ट किया जाय ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से लोग भूमिहीन हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बहुत से लोगों ने जमीनें तराई में खाली नहीं की हैं। अगर ऐसी जमीन पर नाजायज कब्जा है तो उनसे खाली करा कर जितने गरीब हैं, हरिजन हैं, भूमिहीन हैं उन लोगों को दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने सुझाव दिये हैं उनको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में वनों का एक प्रमुख स्थान है। वनों से न केवल हमें

[श्री राम किंकर]

जलाने के लिये लकड़ी मिलती है बल्कि इमारती लकड़ी मिलती है और बहुत से उद्योग-धंधे इसपर आधारित हैं। मान्यवर, हमारे सूबे की आबादी को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम ज्यादा जंगल का क्षेत्रफल बढ़ा नहीं सकते हैं। इस समय ८ करोड़ ८३ लाख एकड़ हमारे प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसमें २ लाख ९४ हजार वर्ग किलोमीटर में जंगल हैं। इस प्रकार १६.५ का अनुपात है। पर्वतीय क्षेत्रफल को देखते हुये यह अनुपात ६० प्रतिशत होना चाहिये लेकिन हमारे यहां ५० प्रतिशत है। मैदान में यह २० प्रतिशत होना चाहिये लेकिन केवल ८ प्रतिशत है। मान्यवर, उत्तर में पहाड़ और जंगल हैं और बीच में गंगा, यमुना और घाघरा हैं। इसलिये आबादी को देखते हुये जंगल बढ़ाये नहीं जा सकते हैं। दक्षिण में बारिस कम होने के कारण ज्यादा पेड़ नहीं हैं। कीमती लकड़ी ज्यादा नहीं होती है। जंगल विभाग के पास ४०,२०० वर्ग किलोमीटर जंगल है और बाकी करीब ८,५०० वर्ग किलोमीटर जंगल अन्य विभागों के पास है।

नदी घाटी योजनाओं में काफी जंगल की जमींन चली जाती है चाहे वह रिहन्द डैम हो या और कोई डैम हो। इसमें जो बांध बनाया जाता है तो जंगल का बहुत सा हिस्सा पानी में आ जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि जंगल का क्षेत्रफल दिन-ब-दिन घटता जा रहा है। मकान बनाने के लिए लकड़ी और दूसरे अन्य कामों के लिये भी जंगल की लकड़ी का काफी नुकसान होता है। यह सही है कि जंगल का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन वैज्ञानिक ढंग से और आधुनिक तरीकों से लकड़ी का कटान-छटान कर लकड़ी की कीमत बढ़ायी जा सकती है और इस तरह से उससे काफी रुपया पैदा किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति की वजह से जहां रुपये की कीमत घटी है वहीं आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की वजह से लकड़ी की कीमत बढ़ी है। इसमें हमारे जंगल विभाग को भी श्रेय है लेकिन इतना अधिक नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे ५४ जिलों में २२ जिले ऐसे हैं जिनमें नैसर्गिक जंगल हैं। अब मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सन् ६६–६७ के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें वन विभाग को मिलीं और सड़क के किनारे शीशम के पेड़, फलदार वृक्ष और दूसरे अन्य प्रकार के पौधे लगाये गये। मेरा यह सुझाव कि सड़क के किनारे नीम के पेड़ कतई नहीं लगाये जाने चाहिये। नीम के पेड़ों को गांव के लोग नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए शीशम और यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जायं। शीशम के पेड़ दूरी पर नहीं लगाये जाने चाहिये जिससे कि लकड़ी सीधे निकले। किसान के खेत के किनारे यूकीलिप्टस के पेड़ लगाये जाने चाहिए। यूकीलिप्टस से कागज तैयार होगा और उससे किसानों के खेत को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सड़क के किनारे पेड़ों की दो-तीन लाइनें लगानी चाहिए। हरियाना में हमने देखा कि वहां यूकीलिप्टस के पेड़ दो-तीन पंक्तियों में लगाये गये हैं। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो फारेस्ट गार्ड और दूसरे अधीनस्थ कमचारी हैं, उनकी संख्या कम है। वह संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। एक फारेस्ट गार्ड को तीस-तीस, चालीस-चालीस मील तक देखना पड़ता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। हमारे पश्चिमी जिलों में नहरों के किनारे भी पेड़ लगे हुये हैं। उससे भी सरकार को आमदनी है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट का समय और है।

श्री राम किंकर—

जमींदारी उन्मूलन हुआ तो अनाप-शनाप जंगल विभाग को वन दिये गये। उसकी कोई परवाह नहीं की। लोगों के घर आबाद हैं और उनकी खेतीबाड़ी है। जैसे मिर्जापुर का वन क्षेत्र है। वहां आदिवासी हैं। हजारों, लाखों की संख्या में उनको बेदखल कर दिया गया है। वहां वन मंत्री और उप मंत्री स्वयं जायं और वहां के भूमिहीनों की समस्या को हल करें। जहां

तक पेड़ लगाने की बात है उसको भी देखना चाहिये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौके पर पेड़ नहीं लगे हैं और कागज पर ही दिखलाया जा रहा है। इसकी छानबीन करनी चाहिए और जो इसके दोषी पाये जायं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाये। हमने देखा है कि नियोजन विभाग ने खाद के गड्ढे बनवाये लेकिन वे कागज पर ही रह गये और मौके पर नहीं बने। इसी तरह से वन महोत्सव पर पेड़ लगाकर दिखा दिये जाते हैं जब कि मौके पर बाद में कुछ नहीं मिलता। इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक बात यह कहनी है कि झांसी में जंगल का नीलाम होता है जिसको डाकू या राजनैतिक पार्टी के आदमी लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वहां अच्छे दाम नहीं मिलते। अगर कोई ठेकेदार फंस भी जाता है तो वह बीच में ही छोड़ कर भाग जाता है। इसलिये जंगल विभाग के लोगों द्वारा ही जंगल की लकड़ी का नीलाम होना चाहिये····

(श्री शिवानन्द का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमन्, एक मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

जी नहीं, आपका समय समाप्त। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। आप कृपया बैठें।

(दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये तथा दर्शक दीर्घा में नारे लगाये गये)

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय इन्द्रमणि बड़ौनी जी का भी आभार मानता हूं जिन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

श्री अधिष्ठाता––

सदन में माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

श्री शिवानन्द नौटियाल––

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि प्रदेश की आर्थिक भित्ति और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये वनों का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय बड़ौनी जी अगर इस अनुदान में कटौती करने के बजाय उसमें बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते तो उत्तम था। सन् १९६४ से आज तक के आंकड़ों को अगर देखा जाय तो विदित होगा वन विभाग द्वारा राजस्व में बराबर वृद्धि रही है। इसी वर्ष अनुमानित रूप से १,२०९ लाख ७३ हजार राजस्व लाभ होने की आशा है। साथ ही यह भी देखा जाय कि १९४८–४९ में १९.३ प्रतिशत वन भूमि थी जो आज १६.५ प्रतिशत ही रह गयी है। पर्वतीय क्षेत्र में यह १९४८–४९ में ५५.५ प्रतिशत थी जो अब ५० प्रतिशत रह गयी है। मैदानी क्षेत्र में यदि हम देखें तो वन विभाग ने द्रुत गति से उन्नति की है और हमें आशा है कि वह इसी प्रकार उन्नति की ओर बढ़ता जायेगा। अगर हम भारतवर्ष में वन विभाग की प्रगति की ओर ध्यान दें तो हमें विदित होगा कि १९५९–६० में उत्तर प्रदेश से रेवेन्यू प्रति वर्ग किलोमीटर १,०६९ रुपये प्राप्त होता था जब कि भारतवर्ष का औसत रेवेन्यू ६८५ रुपये था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के वन विभाग का काफी ऊंचा स्थान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

मान्यवर, १९५२ में स्वर्गीय माननीय के० एम० मुंशी द्वारा एक नेशनल फारेस्ट पालिसी स्थापित की गयी थी। उसके द्वारा भी हमारा यह प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। किन्तु खेद है कि पर्वतीय क्षेत्र में इस दिशा में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई गयी। हमारा सुझाव है कि विभाग पर्वतीय क्षेत्र में यदि दिलचस्पी दिखाये तो निश्चय ही इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुधर सकती है। मान्यवर, वन मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में अभी-अभी एक बात का जिक्र किया, वह है भूमिहीनों की समस्या की व्यवस्था। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में १०.०५ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से है, जो कि एक विकट समस्या बन गई है। श्री बल्देव सिंह आर्य की अध्यक्षता में सन् १९५९ में एक कुमायूं वन्य तथ्य निरूपण समिति बनी थी, जिसने अपना प्रतिवेदन दिया था जो कि बहुत लाभप्रद था। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज तक उनकी सिफारिशों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हमारे राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी उसके सदस्य रहे हैं। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए प्रतिवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या-क्या उन लोगों को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उसकी सिफारिशों पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। मैं माननीय राज्य व उप-मंत्री से विनम्र निवेदन करूंगा कि उस प्रतिवेदन को जो इतनी निष्ठा से बनाया गया है, उसको अमल में लाया जाये और उसके द्वारा वहां की भयंकर समस्या का हल ढूंढ़ा जाए। उन्होंने बताया है और यह निर्णय कर लिया गया था कि कुमायूं के पहाड़ के फौजी रिटायर्ड लोगों को, शरणार्थियों को और पहाड़ के भूमिहीनों को १०-१० एकड़ भूमि तराई भावर क्षेत्र में दे दी जायगी।

आप आज वहां की तस्वीर को देखें, वह इतनी भयंकर हो गई है कि हमें यह कहते हुए भी आश्चर्य होता है कि जिनके लिए यह नियुक्ति की गई थी, उनमें से किसी के पास भी भूमि नहीं है। मैं अपने वन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जो अभी ६ जुलाई को वित्त मंत्री जी के साथ नैनीताल जिला के नयागांव गये थे जो कि गबरपुर-बाजपुर के रास्ते पर जिला रामपुर के पास में पड़ता है। वहां पर उन लोगों ने स्वयं अपनी आंख से देखा था कि पंजाबी लोगों ने ५ हजार ८ सौ एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इस जमीन के पट्टे हजारों लोगों के नाम से लिखा लिये गये हैं, इसे हजारों लोगों के जमीन के पट्टे के रूप में दिखा दिया गया है, जबकि मुश्किल से वहां पर २-३ आदमी रहते हैं। उन आदमियों ने झूठे-झूठे पट्टे लिखाकर सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको खाली कराने के लिए हाई कोर्ट से आदेश हो गये हैं और भूतपूर्व मंत्री जी ने भी आज्ञा कर दी थी, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। मैं समझता हूं वास्तव में जिनको जमीन की जरूरत है उनको जमीन नहीं मिली है, नहीं मिल पाती है और दूसरी जगह से आए हुए कुछ लोगों ने वहां पर जबरदस्ती नाजायज तौर से कब्जा कर रखा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि तराई भूमि में कई ऐसे फार्म्स हैं, जैसे—कपूर फार्म, मोहन नगर फार्म, रंजीत सिंह फार्म, राना दलजीत सिंह फार्म, रामराज फार्म, मोहरसिंह फार्म, और भगत सिंह फार्म। यह तमाम फार्म्स ऐसे हैं जिन फार्मों पर बाहर से आकर पंजाब के लोग काबिज हो गये हैं और इन लोगों ने झूठे पट्टे लिखा कर उन पर कब्जा कर रखा है। इसका उदाहरण यह है कि २३ दिसम्बर, ६९ को रंजीत फार्म पर अकाली दल की एक गुप्त मीटिंग हुई थी और उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है, उनको नियमतः कब्जा दे दिया जाये। एक तरफ यह धांधलेबाजी हो रही और दूसरी तरफ जिन गोरखा लोगों को ३-३ एकड़ जमीन दे दी गई है, वन विभाग के हाथियों ने उनको रौंद डाला है और उनको घर से बेघर कर दिया है। जिनके पास ४-५ सौ एकड़ जमीन है उनकी पंजाब में भी जमीन है। पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल का रंजीतसिंह फार्म है और उनके रिश्तेदार गुरनाम सिंह की जमीन पीलीभीत में है। पहाड़ के गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है और वे लोग उनकी

जमीन छीनते चले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय के द्वारा निवेदन करूंगा कि पहाड़ की जितनी भी समस्याए हैं भूमिहीनों की समस्या है, इसको तत्काल हल कर दिया जाय।

हमारे पहाड़ में जैसा कि आपके बजट में भी लिखा गया है, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव कर दिया है कि अग्नि से जंगलों की रक्षा करेंगे। अगर किसी जंगल में आग लग जाती है तो गांव के रहने वालों पर जुरमाना कर दिया जाता है। राज्य मंत्री श्री भंडारी जी से मैं चाहूंगा कि इसकी भी पुष्टि करें। जब हमारे ऊपर इस प्रकार के जुरमाने होते हैं तो हमको जंगलात से मिलने वाले हकहकूक भी मिलने चाहिए जिस प्रकार बलदेव सिंह के प्रतिवेदन में कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

अधिष्ठाता महोदय, आजादी मिले २४–२५ साल हो चुके हैं। पहाड़ की जनता लगातार गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रही है कि वहां की बेरोजगारी और भूमिहीनों की समस्या को देखते हुए वहां की वन सम्पदा पर आधारित उद्योग-धंधे खोले जायं। लेकिन, दुख की बात यह है कि आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न इस सरकार से भी कोई आशा है। महोदय, आबादी के बढ़ने से वहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भूमिहीनों की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जो भी वहां पर गोचर, पनघट थे लोगों ने खेतीबाड़ी के उपयोग में इस्तेमाल कर लिये हैं। अब नजर वन विभाग की भूमि की ओर लगी है। अगर सरकार इस समस्या की ओर जल्द ध्यान नहीं देती है तो थोड़े दिनों में वहां पर उन लोगों द्वारा जंगल का कानून अपनाया जायगा। यह निश्चित है कि वहां पर ऐसा होगा। सरकार इसको चेतावनी समझे। महोदय, हम चाहते हैं कि वनों का विकास, विस्तार और रक्षा हो। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर लोगों के हकहकूक हैं उनमें आज तक कोई वृद्धि क्यों नहीं हुई है, जब कि आबादी बढ़ने से उनकी भवनों की लकड़ी, ईधन और घास-पत्ती की मांग बढ़ गयी है, उन लोगों को परेशानियां पहले से अब ज्यादा पैदा हो गयी हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि क्या आप इस ग्रामीण जनता से यह आशा रखेंगे कि वे इन वनों को श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे और उनके अन्दर संरक्षण की भावना पैदा होगी? मैं तो यह कहूंगा कि यह बात झूंठी है।

हाल ही में मैंने अखबारों में एक लेख राज्य मंत्री जी का पढ़ा। लेख बहुत अच्छा था। वैसे वे साहित्यिक आदमी भी हैं। उसमें लिखा था कि पुराने जमाने के लोग पेड़-पौधों की पूजा करते थे। बात सही है। लेकिन साथ ही यह बात भी क्या सत्य नहीं है कि वहां वन विभाग की गलत नीतियों के कारण इन लोगों को कई कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं? अगर एक किसान और ग्रामीण आदमी को आसानी से भवन निर्माण के लिये पेड़ नहीं मिलता, लकड़ी नहीं मिलती, जाड़ों के दिनों में ठिठुरता रहे और वहां की जन-सम्पदा मैदानी इलाकों में बहा दी जाय तो वहां की जनता से यह अपेक्षा की जाय कि वे इन वनों का संरक्षण करेंगे। आज उन पेड़ों की जड़ भी उखाड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इन वनों के विकास के लिए विस्तार और रक्षा के लिए प्रचार करें। गांव-गांव में गोष्ठियां आयोजित करें और सिनेमा गांव वालों को दिखायें न कि शहरों और बाजारों में। इस कार्य के लिये मैं समझता हूं कि वन विभाग का प्रचार संगठन निष्क्रिय है उसे सक्रिय करें।

महोदय, मैंने अपने जिले की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है। १९५४ में ग्वालदम से देवाल तक मोटर मार्ग बना, दूसरा मार्ग देवाल से स्यालकोट और उसके आगे पिंडारी ग्लेशियर

[श्री शेर सिंह दानू]

तक बनाने की योजना है। और तीसरा मार्ग देवाल से थराली तक बनाया गया। वन विभाग क्वांटिटी पर विश्वास करता है न कि क्वालिटी पर। एक, दो किलो मीटर प्रतिवर्ष सड़क बनाने से जंगलों की रक्षा नहीं हो सकेगी और न उनकी प्रगति होगी। जो सड़कें बनी हैं क्या इन पर केवल कंजर्वेटर और मंत्री जी की जीप ही चलेगी? उन तक सीमित रखने से वनों की रक्षा नहीं हो सकेगी और न उनका विकास हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि जो भी सड़कें बनी हैं उनको चौड़ी और पक्की की जाय ताकि सवारी गाड़ियां भी चल सकें और लोगों को फायदा हो सके। मोटरीय यातायात की सुविधायें अगर लोगों को मिलेंगी तो वन सम्पदा भी बढ़ेगी। एक मार्ग पौड़ी-गढ़वाल में पौड़ी से खिरासू तक बना है। इस मार्ग पर सवारी गाड़ियां चलती हैं लेकिन बरसात में यह मार्ग बन्द हो जाता है। वहां की जनता के लिये इस मोटर मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है। वन विभाग के पास शायद टेक्निकल प्रशिक्षित लोग कम हैं। मेरा सुझाव यह है कि वन विभाग जब लाखों करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य कर रहा है तो उसके पास अपने इंजीनियर व ओवरसीयर होने चाहिये ताकि जो मोटर मार्ग तथा भवनों का निर्माण समुचित ढंग से हो सके ताकि आम जनता भी उससे फायदा उठा सके।

महोदय, आज हमारे जंगल बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। आज सरकार इस विभाग पर जो खर्चा करती है उस खर्चे को कम करने के लिये जंगलों को बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। लगता तो यह है कि यह विभाग वनों का संरक्षण करने के लिये है लेकिन असल में ऐसा नहीं है यह एक कार्माशियल डिपार्टमेंट बन गया है और आज इसका मुख्य काम जंगलों को बचाने का नहीं बल्कि काटने का हो गया है और अगर इस विभाग को 'जंगलों का हत्यारा' कहा जाय तो उचित ही होगा।

अन्त में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले में दो रेंज हैं---मोतीपुर तथा चकिया। वहां एक जंगल है कांडा और दूसरा सर्रा गांव के निकट है। इनका क्षेत्रफल है २१० एकड़। इसमें साखू के पेड़ लगे हैं जो बड़े कीमती पेड़ हैं। जिनकी कीमत करीब-करीब डेढ़ करोड़ रुपया है। इन पर नाजायज और फरजी तरीके पर पट्टे भरकर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करें और यदि सही यह बात पाई जाय तो उन जंगलों को वापस लेने की कृपा करें।

(श्री इन्द्रमणि बड़ौनी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मुझे ५ मिनट का समय दे दें.....

श्री अधिष्ठाता---

अगर आप अपने को सीमित रखें तो ठीक है।

श्री रामप्यारे---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ ३/४ सुझाव मौलिक प्रश्न पर देना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो इलाके हमारे राजे-महाराजे के पास थे और जो बड़े-बड़े जमींदार थे वे जो सुविधायें हमारी लोकल जनता को दी जाती थी किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ये सारी सुविधायें छीन ली गई। यहां तक कि जो बाप-दादाओं के जमाने से लोग जोतते आ रहे थे, घर, मकान, बाग, बगीचे और खेती इत्यादि थे उनका संरक्षण जंगल विभाग को चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रत लोगों के लिये एक वरदान न होकर एक अभिशाप बन गया। तो इस सम्बन्ध में मैं अपने राजा साहब माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे कृपा करके किसानों की इस जमीन को मुक्त करा दें।

दूसरी बात यह है कि जंगलों से जो सुविधायें मिलती रहती हैं जहां वर्किंग प्लान अभी नहीं बने हैं उनके घर, छज्जे और अन्य आवश्यक काम के लिये लकड़ी आदि मिलने का कोई नियम नहीं है फलस्वरूप गरीब जनता को इससे बड़ी परेशानी हो गई है।

तीसरी बात यह है कि आप जंगल लेते जाते हैं और उसे बढ़ाते जा रहे हैं.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर हमारे भाई साहब पुराने जमींदार जमाने में सुविधायें और सहूलियतें गरीब लोगों को मिलती थीं वही मिले, तो क्या आप चाहते हैं फिर से जमींदारी वापस आ जाय।

श्री राम प्यारे---

अगर आपकी सरकार जैसे काम कर रही है वैसे ही करते रहे .....

श्री अधिष्ठाता---

आप अपने सुझाव दीजिये।

श्री राम प्यारे---

मैं चाहता हूं कि वह जो उनकी जमींनें हैं वह छोड़ दी जायं और जहां लकड़ी की सुविधा नहीं हैं वहां लकड़ी दी जांय। हमारे मिर्जापुर में बांस की लकड़ी बहुत मात्रा में मिलती है जिससे कि कागज बन सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां पर एक पेपर मिल बनाने पर विचार करें। हमारे यहां एक जंगल तेंदूपति नाम का है। उस सम्बन्ध में एक कमेटी बनी थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दे दी है। मैं राजा साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके जल्दी से जल्दी उसे आने वाले सेशन में पास करा दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, ५ मिनट का समय मुझे दे दें। .....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय इन्द्रमणि बड़ोनी के बोलने के बाद माननीय मंत्री जी को बोलना है और समय बहुत कम रह गया है।

(इस समय ४ बज कर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय इन्द्रमणि बड़ोनी .....

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था .....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने माननीय इन्द्रमणि जी को बुलाया है।

*श्री इन्द्रमणि---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने, चाहे सरकारी पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के, सभी नें मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि]

और माननीय मंत्री जी ने इसको माना है कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव नीति के सम्बन्ध में है वह भी चाहते हैं कि वन विभाग की नीति में परिवर्तन हो। मैं एक आध सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहां वनों का विकास हो तो आस पास के जो लोग हैं उनको काम दिया जाय, उनके हितों की रक्षा की जाय और उनके हितों की रक्षा खाली बातों से नहीं कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप निश्चय करें कि जिस जिले के लोगों का जंगलों में जितना प्रतिशत है उतने प्रतिशत लोगों को वन विभाग की नौकरियों में आरक्षण कर दिया जाय। अगर कहीं ५० प्रतिशत लोग हैं तो वहां ५० प्रतिशत का आरक्षण किया जाय और जहां २० प्रतिशत हैं वहां २० प्रतिशत का किया जाय। यह बात दूसरी है कि जिसने कभी जंगल देखा नहीं है वह किताब रट कर भले ही आई० एफ० एस० में आ जाय। यह बात दूसरी है लेकिन जंगलों का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां वन हों वहां के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दीजिये।

दूसरी चीज यह है कि पर्वतीय जिलों में वन विभाग के वर्तमान ढांचे में रेंज आफिसर और फारेस्ट गार्ड्स के पास इतना बड़ा एरिया है कि वह उसको देख नहीं सकता है इसलिये छोटे सर्किल बनाइये। सबसे बड़ी बात यह है और मेरी बात का सभी साथियों ने समर्थन भी किया है कि आज जिस ढंग से जंगलों का शोषण हो रहा है उससे मुक्ति दिलाइये। आप सरकारी समितियां बनाइये। ठेकेदारों से मुक्ति दिलाइये। उत्तर काशी में जो आपने लार्गिंग विभाग खोला है उसके लिये यह था कि प्रतिवर्ष उसमें उन्नति की जायगी परन्तु तीन साल बाद इसको बढ़ाया भी नहीं गया है और चौथी पंच वर्षीय योजना में इसके लिये कोई पैसा नहीं रखा गया है। इसका कारण यह है कि आप के कर्मचारी इसको नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर ठेकेदार लोग करते रहेंगे तो उनकी मौज रहेगी। इसलिये उत्तर काशी वाले इस प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले आप के कर्मचारी हैं इसलिये इधर ध्यान देना चाहिये। पश्चिमी जर्मनी की तरह आप स्वयं जंगलों का कटान फिक्स करें।

इसके अतिरिक्त गूजरों को बसाने की समस्या है। इनका बड़ा कठिन जीवन है। ये लोग कभी नैनीताल, देहरादून और कभी भुवाली जाते हैं। इसलिये इनको एक स्थान पर मैदान में कहीं बसाया जाय। अंत में निवेदन है कि अगर आप वनों का विकास चाहते हैं तो आसपास के लोगों के हितों की रक्षा कीजिये। वहां के लोगों को मैदान में बर्तन मांजने के लिये न आना पड़े। उनको वहीं रोटी मिल जाय। तो उनको वनों से प्रेम होगा। भूखे रह कर जंगलों की रक्षा नहीं हो सकती। आप अपनी नीति बदलिये और सदन से मेरा निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव को पास करें क्योंकि वनों की नीति में परिवर्तन लाना परम आवश्यक है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उसने जहर खा लिया है

श्री उपाध्यक्ष —

यह सूचना का समय नहीं है। माननीय वन मंत्री को मैंने बुला लिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

*श्री अजीत प्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। इन्द्रमणी जी ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कहीं। जैसे कि लीसा और सोफ्ट वुड का वितरण, मैं समझता था कि उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। इसके बारे में बहुत जल्दी में एक सब-कमेटी लीसा और साफ्ट वुड के बारे में बनाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि यह सब-कमेटी जो बहुत छोटी सी होगी साफ्ट वुड और लीसा के वितरण के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे ताकि शीघ्र ही शासन उस पर गौर कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह ठीक है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का बहुत अभाव है लेकिन वन विभाग सड़क नहीं बनाता, यह तो पी० डब्ल्यू०डी० का काम है। वन विभाग तो केवल उन छोटी-छोटी सड़कों को बनाता है जो वन का सामान लाने लेजाने के लिये होती हैं। उनको हम अपनी सुविधा के लिये बनाते हैं बाकी पी० डब्ल्यू० डी० बनाता है।

वन जंतुओं के बारे में भी कहा गया। जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य आते हैं वहां पर वन जन्तुओं के लिये कोई कायदा कानून नहीं है। वह भी बहुत जल्द बनाये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

फारेस्ट पंचायत रूल्स के बारे में लगातार कहा जाता है कि बनने ही वाले हैं लेकिन वे अभी तक नहीं बनें। उनको जल्दी से मन्त्री जी बनाने की कृपा करें।

श्री अजीत प्रताप सिंह––

वे भी बहुत जल्द बन जावेंगे। कुमायूं एरिया में जिन लोगों के पास बन्दूक का लाइसेन्स होता है, जब सीजन बन्द होता है तो उनको भी शिकार खेलने की कोई रोकटोक नहीं होती। उसके लिये वहां पर अगर कोई कानून लगाया जाय तो माननीय सदस्य हमारी मदद करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

हमारे राम किंकर जी ने सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के बारे में बताया। मैं उन को बता देना चाहता हूं कि शासन से इस संबंध में आदेश जारी हो गये हैं कि अगर कोई गांव का रहने वाला खुद पेड़ लगाने जा रहा है तो वन विभाग उसमें बाधा नहीं डालेगा।

एक और माननीय सदस्य ने कहा कि देहरादून में नाजायज पेड़ों का कटान हो रहा है। अगर वे हमें लिख कर सूचना देंगे तो हम उस की जांच करा लेंगे।

माननीय सदस्य मिर्जापुर ने कहा कि हमारे यहां जमीन की समस्या है। मैं जानता हूं कि वाराणसी और मिर्जापुर में, जहां पुरानी रियासतें थीं, बहुत सी ऐसी जमीन है जिसका बन्दोबस्त नहीं हुआ है।] राजस्व विभाग से यह चीज तय हो चुकी है कि वहां बहुत जल्दी ही सेटिलमेंट कराया जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो सिफारिशें की थीं, उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह––

वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सिफारिशों को भी बहुत जल्द कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है। उसको जल्दी ही करेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सब माननीय सदस्यों के सुझावों का आभारी हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस अनुदान को पास करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२---वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,९०,९२,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय वित्त मंत्री।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अब यह पेश नहीं हो सकता श्रीमन्। वित्त मंत्री सदन में हैं नहीं, गायब हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

आपने वित्त मंत्री को बुलाया। वह हैं नहीं। हाउस को ऐडजर्न कर दीजिये। अब कल हाउस बैठेगा, आज नहीं बैठेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

वित्त मंत्री जी आ गये हैं। मुख्य मंत्री जी भी हैं। यह साढ़े चार बजे लिया जाने वाला था कुछ समय पहले हो गया इसलिये ऐसी बात हुई।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

वह पेश करेंगे। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। सब की टांग हाथी की टांग में समा जाती है।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैं दूसरे सदन में बजट पर वादविवाद का उत्तर दे रहा था इसलिये जरा देर हो गयी।

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ को पुरः स्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

मैं जरा बैठ कर बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वित्त मंत्री यह सुझाव मांगे थे कि जो यह घाटा है ४८ करोड़ का या कुछ कर्ज इत्यादि को कम करके जिसकी गवर्नमेंट आफ इंडिया से उनको इजाजत मिल गयी थी उस सिलसिले में मैं समझता हूं कि मैंने और सदन के सभी दलों ने और जो उनके साथी हैं, सब ने उसके लिये सुझाव दिये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन सुझावों में कोई सुझाव नहीं माना गया।

अध्यक्ष महोदय, ४८ करोड़ का जो घाटा बताया गया है वह सब सम्भावित धन, जो कर्जों की वापसी के बाद मिलने की उम्मीद है, मिलने के बाद भी २८ करोड़ रह जाता है। मैंने उसकी पूर्ति के लिए हर सम्भव सुझाव दिये थे और यह दरख्वास्त की थी कि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक दशा इतनी गिर चुकी है कि अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार से इसको कर्ज के रूप में वसूल किया जाय।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यू० पी० की सन् ५१ में एक पोजीशन थी अपने देश के अन्दर लेकिन आज ७१ में वह बहुत काफी नीचे गिर गयी है। आपने इस पूरे बजट के अन्दर जो भी कुछ हिसाब रखा है उस हिसाब से शायद ५९४ करोड़ रुपया राजस्व से आमदनी है और उसके ऊपर जितना जो शुद्ध राजस्व खर्च है वह ४५९ करोड़ है। उसको घटाने के बाद १३५ करोड़ रुपया हमारे पास बचता है। १०१ करोड़ अनडिफाइण्ड है और जो ऋणों और अग्रिमों के लिए रखा है उसको अगर निकाल दें तब भी ३४ करोड़ रुपया हमारे पास बच रहता है। मैं यहां यह और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पूरे सूबे के एसेट्स ढाई हजार करोड़ के लगभग हैं और देनदारी ९६० करोड़ रुपये के लगभग, तथा विभिन्न निकायों को ७७५ करोड़ रुपया देना है। प्रदेश पर चढ़े हुये कर्जे का सूद जो हमें देना है वह २ प्रतिशत से लेकर पौने छः प्रतिशत तक है और प्रदेश द्वारा दिये हुए कर्ज पर सूद जो मिलने हैं वह ७–८ और ९ प्रतिशत तक है। जिसकी आमदनी और ९६० करोड़ पर जो व्यय है वह लगभग बराबर सा हो जाता है। इसके अलावा रक्षित धनराशि है जिसके विषय में यद्यपि पहले भी वित्त विभाग के कर्मचारी इस बात से सहमत नहीं थे किन्तु मैं समझता हूं कि जैसा सचिव, वित्त विभाग के मेमोरेंण्डम से स्पष्ट है कि ऋण-शोधन के लिये, जो हर साल आय मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की आमदनी से होती थी उससे कुछ धन काट कर इसमें जमा कर दिया जाता है। साथ ही इस प्रकार और बहुत से ऋणों के निवारणार्थ वह हर वर्ष कुछ काटते रहते हैं जिससे अब मिला कर करीब १७८ करोड़ रुपया हो जाता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जहां तक आपकी आमदनी की पोजीशन है इस स्टेट को देखते हुये यहां की परकैपिटा इन्कम को देखते हुए वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि ३४ करोड़ रुपया सालकी बचत तमाम राजस्व व्यय काट कर एकमुश्त हमेशा की आमदनी है। कोई भी व्यक्ति जब किसी को कर्ज देता है तो वह उसकी फालतू आमदनी आंक लेता है। तो इस प्रकार हमारे सूबे की इतनी अच्छी हालत है जिसमें महज ३४ करोड़ रुपये से यदि हम ६ प्रतिशत की दर से भी रुपया लें तो ५०० करोड़ रुपये तक हमको मिल सकता है।

पता नहीं उस दिन किस सिलसिले में आपने कहा था कि डैफिसिट फाइनेंसिंग विकास का चिह्न है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जब मुद्रा-स्फीति इस तरह से चलती है डेवलपिंग इकानामी के अन्दर, तो उस वक्त कैपिटल एक्सपेंडीचर पर बहुत ध्यान देना चाहिये जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडीचर की पूर्ति राजस्व से न हो, उसको उसके ऊपर नहीं लेना चाहिये। जहां तक १३५ करोड़ रुपये का सवाल है अगर सारे खर्चे के बाद इतना बच जाता है तो वह बहुत काफी है। आपकी पूरी स्टेट का फाइनेंशियल दायित्व ९५० करोड़ रुपया है। साथ ही आपने काफी रुपया जो लगभग ७८० करोड़ है फ्लोट भी किया है। लोकल बाडीज और बिजली बोर्ड से करीब आपके पास ५७ करोड़ रुपया सूद का आता है। मैंने आपको

[श्री गिरधारी लाल]

बताया कि जिस रेट पर आपने कर्ज ले रखा है उस पर दो परसेन्ट ज्यादा आपके पास आता है जिस रेट पर आपने दे रखा है, उससे आपके फाइनेंस की जो लाएबिलिटी या दायित्व है उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। यह खुशी की बात है और इस तरीके से आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी तरफ आज हमारे प्रदेश की पूर्ण सम्पत्ति आंकी जाय तो हमारे यहां यू० पी० में मैंने बताया कि २,५०० करोड़ रुपये के एसेट्स हैं। यह सब होते हुये भी आप केन्द्र से लोन फ्लोट करने की इजाजत मांगें तो क्या वजह है कि वह इजाजत न दें। अगर इस दृष्टि से अपनी वित्तीय हैसियत को देखा जाय तो हमारी स्टेट की वित्तीय स्थिति ठीक है। जहां तक फाइनेंस की बात है और वित्त मंत्री की बात है मैं आपसे बतलाऊं कि २,५०० करोड़ के जो एसेट्स या सम्पत्ति है उससे हमें कई सौ करोड़ रुपया मिलना चाहिये। हमको इन्टरेस्ट, जो लोन हमने ले रखा है, उस पर जो हर साल देना पड़ता है वह बराबर हो जाता है। करीब १७५ करोड़ रुपया हमारे पास रिजर्व फंड है। मैं आपसे यह कह रहा था कि जहां यह सब एसेट्स या सम्पत्ति है ऊपर से सरकार इजाजत ले लेती है लोन के लिये तो वह आपको भी मिल सकती है। यह स्टेट भी उनके ही बराबर लोन फ्लोट करने की इजाजत ले सकती है। ५०० करोड़ रुपया आपको भी लोन के रूप में मिल सकता है जैसे कि औरों को मिलता है। अब आपके पास १०१ करोड़ रुपया सर्विस चार्जेज है। बहुत खर्च दिया हुआ है, जो सिविल सप्लाई वगैरह का है उसको पूरा करने के लिये आपके पास ३४ करोड़ रुपया बचता है। इतना आपके पास काफी है। मैं समझता हूं अगर इस ३४ करोड़ रुपये को ६ परसेंट पर बांट दिया जाय तो आपको ५००, ६०० करोड़ रुपया मिलना चाहिये। तो इससे आपके पास खर्चे के लिये आ जाता है। तो इस ३४ करोड़ से ६ परसेन्ट पर देने से ५, ६ सौ करोड़ रुपया और मिल सकता है। इस रुपये से यू० पी० की बैकवर्डनेस को आप दूर कर सकते हैं। यदि इस प्रदेश की गरीबी को दूर करना है, इस प्रदेश की बेकारी को दूर करना है तो वह तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप इस तरह से डैफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। डैफिसिट फाइनेंसिंग जरूरी है इस मुद्रा स्फीत में खर्च के लिये, बल्कि प्रोडक्शन के साथ डेवलपिंग इकोनामी में जितना कैपिटल एक्सपेंडीचर होगा उतना ही कैपिटल आउटले और आयेगा। आप जितना भी रुपया लगायेंगे उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं आपको बतलाता हूं कि जितना भी अब तक काम हुआ है उन कामों का ही यह नतीजा है कि आपके पास ५९४ करोड़ रुपया रेवेन्यू का है। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस कैपिटल रेवेन्यू को पूरा करें। इसमें कोई भी जरूरत नहीं है कि आप फरदर टैक्स लगायें।

मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आपने ४५९ करोड़ का जो राजस्व व्यय इसमें सन् १९७०-७१ में है उसमें से इसमें करीब १,४३,१४४ करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के ऊपर सैलरी बिल होता है। इसमें ११ करोड़ ७० लाख रुपया अफसरों के वेतन पर, ७५ करोड़ ७२ लाख इस्टैब्लिशमेंट के वेतन पर अर्थात् ९१ करोड़ रुपया सैलरीज पर है और ५३ करोड़ रुपया टी० ए०, डी० ए०, महंगाई भत्ता वगैरह के ऊपर खर्चा होता है। यह दोनों मिला कर १४४ करोड़ के लगभग होता है। मैंने उसका इतना ब्रेक अप डिटेल में तो नहीं देखा लेकिन प्रति व्यक्ति पर न्याय और प्रशासनिक मदों का करीब ५.९१ परसेंट भार पड़ता है। तो करीब ५३ करोड़ रुपया हुआ जो आपके न्याय, प्रशासनिक तथा शान्ति व्यवस्था रखने के मदों पर खर्च हो रहा है और बाकी सबका सब हम करीब ९१ करोड़ रुपया और ऐक्टीविटीज पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों पर खर्च कर रहे हैं। तो हमें यह भी देखना है कि उसका रिटर्न हमें मिल सकेगा या नहीं। अगर इस तरह से सिफारिशों के अन्दर, तमाम जाति-बिरादरी के अन्दर पड़े रहें तो यह कभी भी नहीं हो सकता कि जो रिटर्न आप चाहते हैं वह मिल सकेगा।

इसलिये आपके सामने मैं कुछ सुझाव देता हूं क्योंकि आपने सुझाव मांगे भी थे। आपको चाहिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप यू० पी० के विकास कार्य के लिये मदद मांगें। आप को इसका पूरा हक है, आपको इसके लिये केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये और इसमें आप को अपोजीशन की तरफ से पूरी मदद मिलेगी।

साथ ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके मन में कोई और चीज है तो उसे कह डालिये वरना मैं आपसे कहता हूं कि इस बात को आप नोट कर लें कि इस प्रकार दिन व दिन इस प्रदेश का शोषण होता चला जायगा। इस पर आप विचार कर लें कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है। फिर भी बाहर से जो आपको कर्ज मिलता है वह ५–१० या १२ करोड़ ही मिलता है। बैंक भी जब किसी को कर्ज देता है तो वह देख लेता है कि उसका एसेट्स कितना है, मूवेबुल एसेट्स कितना है और उसके हिसाब से अगर १० करोड़ का एसेट्स है तो ५–६ या ७ करोड़ रुपया तक उसको दे देगा क्योंकि उसका रिटर्न भी उनको बराबर मिलता जायेगा। इससे जाहिर होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक की सर्विसेज यू० पी० के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, एक प्रकार से पक्षपात कर रही हैं औरों के साथ, इस पर भी आप विचार करें। शायद आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि नीचे से ऊपर तक की बातें लोगों के सामने रखें। तो यू० पी० को यह सब देखना होगा। हमने उस दिन तमाम बातें आपके सामने पूरी तरह से रखी थीं और आज मैं उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उस पर आप को विचार करना होगा।

साथ ही एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं। बजट १२ तारीख को पेश हुआ और शायद मैंने १५ तारीख को भाषण दिया था। तब से एक महीने के अन्दर इस दुनिया में इस देश में और यू० पी० के अन्दर बहुत सी चीजें गुजर गयीं। लेकिन उसकी कहीं कोई छाप हमें नजर नहीं पड़ी। पहले भी मैंने कहा था कि सूबे की शान्ति और व्यवस्था की दशा ठीक नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि यह आपके काबू के इतना बाहर हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों की यहां तक हिम्मत बढ़ गयी है कि आपके इस सदन के एक विधायक को दफा ३०२ में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की और दूसरे विधायक, जिसके विषय में अध्यक्ष महोदय और सदन की नोटिस में कुछ बातें लायी गयीं उसको भी फंसाने की दिशा में प्रयास हुये। यह बात सोचने की है। इस प्रकार की बहुत सी गतिविधियां हमारे सामने आयी हैं। जिस सज्जा पर सवार होकर आप आगे चल रहे हैं वह सज्जा आपकी काबू के बाहर हो रही है। आपके काबू के बाहर है और अगर आपके काबू में है तो फिर हर दिन यह तमाम हरकतें क्यों होती हैं? इसका मतलब यह है कि उसमें आपकी साजिश है। आज मैं समझता हूं कि गांधी का शरीर इस प्रान्त के अन्दर, इस हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं है लेकिन उसकी वाणी, उसकी अन्तरात्मा हमारे साथ है। इस तरह की हरकतों से आप उस बल को, उसकी आत्मा को खतम कर देना चाहते हैं। अगर सरकार ने उन साजिशों के अन्दर हाथ डाला तो एक घड़ी के लिये भी यह सरकार टिक नहीं सकेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस पर आप खासतौर से ध्यान दें।

जो अन्य बातें हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा—उनके अलावा मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। आपने कहा कि पब्लिक के सामने आपने कुछ कहा और यहां पर कुछ कहा है। दोनों में कुछ तो अन्तर है। पहले और सरकार थी और आज आप दूसरी सरकार में हैं। आपने कहा कि उस वक्त १० करोड़ रुपया आपने जो बढ़ाया था उसको निकाल कर रिजर्व फंड में डाल दिया तो आपने कौन सा तीर मार दिया। मेरा कहना है कि आपका कोई प्रगतिशील ऐप्रोच होना चाहिये, तभी जाकर कुछ हो सकेगा।

मुझे यह कहना था कि आप इस रुपये को खर्च करने जा रहे हैं और आपने उसको खर्च करने की सदन से इजाजत मांगी है। मैं चाहता हूं कि आप इस डेफिसिट को समाप्त करें और

[श्री गिरधारी लाल]

उस की पूर्ति केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर करें ताकि आपकी जो सज्जा है, आपकी जो यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें किफायतशारी से काम हो और आपका ध्यान इस तरफ खासतौर से जाना चाहिये। लेकिन मुझे दुःख है कि आप आज और बहुत सी अन्य बातों से काफी घिरे हुये हैं और जो प्रशासन का असली और वास्तविक काम है उनसे न घिर कर बहुत सी चीजों में आपका समय जा रहा है, चाहे मुख्य मंत्री जी हों या अन्य उनके साथी हों और चाहे वह जबरदस्ती ही घेर लिये जाते हों या अपनी मर्जी से घिर जाते हों और यही कारण है कि मुख्य मंत्री जी के साथी उनके काबू के बाहर हैं। मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं और अन्त में फिर कहता हूं कि यह जो ४८ करोड़ का डेफिसिट आपने रखा है और जो शायद २८–२९ करोड़ का ही वास्तव में है उसको बचावें और पूरा करें। मैं अपने १९७०–७१ के पुराने बजट के तजुर्बे से बताता हूं कि आपके जो यह एस्टीमेट्स हैं वे ऐसे हैं कि आय और खर्च का हिसाब लगा कर १९ करोड़ बढ़ जाते हैं आय की साइड में। सेल्स टैक्स, एक्साइज इन्टरटेनमेन्ट इत्यादि-इत्यादि की आये अन्डर इस्टीमेटेड हैं और आपके जो खर्च हैं वह ओवर एस्टीमेटेड हैं। इस तरह से आप यह घाटा पूरा करें और कोई कर यहां की जनता पर अब लगाने की बात न सोचें क्योंकि अब अधिक कर देने की कैपेसिटी किसी नागरिक की नहीं है। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो-चार सिद्धान्त की ही बातें रखना चाहता हूं और जिन चीजों की चर्चा पहले की जा चुकी है उनको अब मैं स्पर्श न करूंगा। मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल पर ही सीमित रहना चाहता हूं और बताऊंगा कि किस तरह से इस रुपये का प्रयोग किया जाय तो उचित होगा। पिछले वर्षों से जितनी इन की मांगें होती हैं समय-समय पर हम उनको स्वीकार करते चले आते हैं और सदन ने उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। परन्तु फिर भी न तो सूबे का उद्धार हुआ, न बेकारी दूर हुई और न असमानता ही दूर हो सकी, न उत्पादन बढ़ा। कारण यह है कि कहीं तो इनकी नीति ही गलत रही और जहां वह गलत नहीं थी और सही भी थी तो शासन की ओर से उस नीति के कार्यान्वयन में गलती होती रही, स्वीकृत धन के प्रयोग से गलती थी। उसके प्रयोग पर इस सदन का नियंत्रण रहता है और उसके अनेक अवसर यहां आते हैं। पहले तो सदन में बजट अनुमानों पर चर्चा होती है और अनुदानों की स्वीकृति के बाद जब उनका प्रयोग आरम्भ होता है तो उसके प्रयोग के विषय में भी हमारा नियंत्रण है और उसके लिये इस सदन की ३ मुख्य समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आश्वासन समिति। लेकिन हमें दुख है कि इन तीनों समितियों की सिफारिशों की जितनी अवहेलना वित्त विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा की जाती है वह सब को मालूम है। वह केवल अपने मंत्री जी की बात को लेकर चलते हैं और अपने कर्तव्य का पालन वह नहीं करते, उनको कोई चिन्ता विरोधी पक्ष की, सदन की नहीं होती कि कहां तक उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जो रुपया हम यहां से स्वीकार करते हैं वह जिस मद के लिये करते हैं वह निश्चित समय के भीतर उसी पर व्यय होना चाहिये और उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय से देना चाहिये और जो ए० जी० की आपत्ति होती है उनका निराकरण अभिप्रेत होना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि इन तमाम नियंत्रणों का पालन किस तरह से हो रहा है।

मैं, समय नहीं है केवल दो तीन उदाहरण दूंगा। एक चावल सारी खिचड़ी से देखा जाता है। ६८–६९ के सितम्बर तक २९.३७ करोड़ रुपए के ११,६८८ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिये जा सके। यह संबंधित विभागों की जिम्मेदारी थी और आपके नियंत्रण का दूसरा उदाहरण यह है कि ७ अनुदान २५.२१ करोड़ रुपए के अप्रयुक्त रहे। यहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम पूरी बहस के बाद जनता की सारी गाढ़ी कमाई के पैसे को किसी स्पेसिफिक परपज के लिए मंजूर करते हैं और यह उसको कैसे उड़ाते हैं। इस तरह से हम प्रदेश का बड़ा भारी नुकसान करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाते। ये सब कारण हैं। ये अप्रयुक्त हैं। साधारण वित्तीय नियम है कि जो रुपया समय के अन्दर खर्च न हो बजट के पीरियड में तो उसको सरेन्डर करना चाहिए। श्रीमन्, अगर आप पिछले १० वर्षों की ए० जी० की जो रिपोर्ट है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स हैं उनको देख लें, ये आपत्तियां बराबर रिपोर्ट होती जा रही हैं। पुनरावृत्ति होती चली जा रही है लेकिन किसी भी विभाग ने कुछ नहीं किया है। मान्यवर, दुःख की बात तो यह है कि खेती के विभाग में, शिक्षा के विभाग में बाकी रहा है। जहां पर अकाल की स्थिति हो उस प्रदेश में ५ करोड़ और २ करोड़ रुपया बाकी रहे अप्रयुक्त। वित्त विभाग द्वारा इन नियमों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक ओर तो आप गरीबों का खून चूस कर उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से इन मदों में बचत हो जाती है। लोग अपने घरों में मर जायं लेकिन यहां पर बचत हो जाती है।

टैक्नीकल शिक्षा में बहुत ज्यादा बकाया रह गयी है। समाज कल्याण विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में चूंकि समय से एडमिनिस्ट्रेटिव परमीशन नहीं मिल पाती है, वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाती है इसलिए समय से ये लोग मशीनरी नहीं खरीद पाते हैं और स्टाफ नहीं रख पाते हैं। यह है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अगर ये चीजें सुव्यवस्थित ढंग से की जायें तो दूसरे वर्ष भी सरकार का ज्यादा नियंत्रण रह सकता है। इन सब बातों का क्या कारण है? यह एक सुव्यवस्थित अव्यवस्था है। इस सरकार का कंट्रोल नहीं है। अगर एक गुटका भी खरीदना होता है तो वित्त विभाग ६-७ महीने लगा देता है। कोई चीज अगर २-३ हजार रुपये के मूल्य की भी खरीदनी होती है तो उसमें भी वित्त विभाग अड़चन लगा देता है। एक बार हमारी एक मीटिंग हुयी। उस समय हमारे वित्त मंत्री माननीय कैलाश प्रकाश जी थे। तो उसमें कहा गया कि आप लोग (वित्त विभाग) रोक लगा देते हैं। इस पर वे नाराज भी हुए लेकिन मैं कहता हूं कि यदि ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यदि सुधारने की दृष्टि से कि खर्च का सही उपयोग हो तो यह रोक ठीक हो सकती है। बजट पास होने पर लेजिस्लेचर का कंन्ट्रोल तो निकल जाता है। यहां पर लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति और प्राक्कलन समितियों की रिपोर्ट्स पर चर्चा होती है लेकिन उनकी सिफारिशों पर विचार नहीं करते हैं। कोई विभाग उनकी चिन्ता नहीं करता है। तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल तो यहां पर ढीला हुआ और ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल इस प्रकार से ढीला हुआ। विभाग के लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं और उसकी कोई चिन्ता नहीं करते हैं।

कभी-कभी तो मैं सोचता हूं कि क्या कारण है कि फाइनेंस विभाग में वे ही अधिकारी चले आ रहे हैं, एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट के लोग टेक्निकल लोग होते हैं, उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं, एकान्ट्स में तो फिर क्या कारण है कि वित्त विभाग में आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग चले आ रहे हैं। इन्होंने कौन से नये कदम उठाये हैं, इतने वर्षों में इन्होंने क्या सुधार किया? इसमें फाइनेंस सर्विसेज के आदमी ही रखे जाने चाहिए और जितनी हमारी कमेटीज हैं, जैसे लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति, इनकी रिपोर्ट्स पर विचार करना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में घोर परिवर्तन की जरूरत है चाहे वह सर्विसेज में हो और चाहे वह नियमों में हो। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमें रूल्स रेगुलेशन में परिवर्तन करने पड़ेंगे। भगवान करे जो उन्होंने कहा है वह सही हो लेकिन वित्त विभाग में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। फाइनेंशियल रूल्स और बजट के जो रूल्स हैं उनमें घोर परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके बिना आप उद्धार नहीं कर सकते हैं।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मेरा किसी आई० सी० एस०, या आई० ए० एस० से विरोध नहीं है लेकिन उस काडर को ले लेते हैं जो एक्सपर्ट नहीं है उस पहलू का। इन बातों को विचार करते हुए हमारी सरकार को इसका कैसे एप्रोप्रिएशन होना चाहिये इस पर भी विचार करना चाहिये। बड़ा असन्तोष है। एक सज्जन कहते हैं कि कहीं-कहीं तो तीन वर्ष में ही परमानेंट कर दिया जाता है कहीं २०सों वर्ष पर नहीं किया जाता। इसलिए वे लोग काम में ढिलाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी ढीली है। इस दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि इस फाइनान्स को जो गरीबों के खून की कमाई है जो आप हमसे सदन में मांगकर ले जाते हैं उसके लिए विरोध पक्ष चाहता है कि फाइनान्स का कन्ट्रोल सख्त से सख्त रहे। फाइनान्श्यल कन्ट्रोल को अवश्य विचारिये। इन शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने रुपये के प्रयोग की बात की। मैं त्रिपाठी जी का ध्यान भोजपुरी की एक कहावत की ओर दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि "वानर के हाथ नरियल"। इतनी बड़ी धनराशि जो हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं सदन के द्वारा उसके लिए श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सारी जो आपकी बातें निकलीं वे तो थीं समाजवाद की...

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपको क्या कहना है। इसके आगे आप बोलना चाहते हैं।

(सदन में हंसी)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन, अगर ये तस्लीम कर लें तो अपना भाषण बन्द कर देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, ये अपने वचन कर्म एक करें। बात समाजवाद की बोलते हैं तो कर्म भी समाजवादी होने चाहिये। आप इनके भाषणों को देखें। समाजवाद बराबरी का सिद्धान्त में कौन सा बजट आपका है। इसमें गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आपने कौन सी योजनायें बनाई हैं। सबसे छोटा गरीब कर्मचारी चौकीदार है। आपने क्या कभी उसके बारे में सोचा, कोई घोषणा की, वह दस रुपये तनख्वाह पाता है,कि उसको बढ़ायेंगे। श्रीमन्, नौकरियों में ऐसे लोग हैं जिनके पास और साधन भी हैं। जिनके पास साधन नहीं हैं उनके बच्चे आज नौकरियों में नहीं हैं। जो पिछड़े हुए जातियों के लोग हैं उनको नौकरियों को दिलाने में आप क्या सुविधायें दे रहे हैं। क्या उनकी सुविधाओं को देने में कोई मांग की गई है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपने मन्त्रि-मण्डल में नागरिक परिषद् मूल्यांकन समिति तथा लोक सेवा आयोग में अपनी ही जातियों के लोगों को प्रधानता दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप समाप्त करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, सम्मानित नेता विरोधी दल ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये मुझे उनसे बड़ी निराशा हुई और मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने आज सुझाव दिये वह उन सुझावों से बिल्कुल भिन्न थे जो उन्होंने बजट पर बोलते समय दिये थे। अगर वह अपने

उस समय के भाषण को सामने रख लेते और तब अपने विचार व्यक्त करते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि डेफीसिट फाइनेंसिंग बहुत अच्छी चीज है। उसका स्वागत किया। मैं नहीं जानता कि डेफीसिट फाइनेंसिंग के बारे में उनके बुनियादी विचार क्या हैं। लेकिन वह जानते हैं कि डेफीसिट फाइनेंसिंग कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती। यह किसी भी राज्य सरकार की संवैधानिक शक्ति में नहीं है। यह केन्द्र का ही अधिकार है और रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार करती है कि प्रत्येक वर्ष में कितना डेफीसिट फाइनेंसिंग वह करे और उसका तरीका है। कोआपरेटिव के जरिए या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के जरिए वह होता है। तो डेफीसिट फाइनेंसिंग की जो उनकी सलाह है, मैं कैसे उसको मान लूं? न मुझे अधिकार है और न जब वह मिनिस्टर थे तो उन्हें ही था। एक ही तरीका हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट् ले लिया जाय...

चौधरी गिरधारी लाल––

जो तरीका बजट में रखा है उसी तरीके से मेरा मतलब है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के डेफीसिट फाइनेंसिंग को भी मैं थोड़ा सा समझता हूं कि इनफ्लेशन के जरिए पूरा करते हैं और उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। सब मिलाकर करीब ५०० करोड़ का डेफीसिट हो रहा है, उसके वह नोट छाप लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मुझे खुशी है कि माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ दुरुस्त करने की कोशिश की। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारा यही तरीका हो सकता है कि हम ओवरड्राफ्ट ले लें और रिजर्व बैंक पर भार डालें। लेकिन आप देखें कि केन्द्र ने ओवरड्राफ्ट के बारे में अब सख्ती कर दी है। अब कोई भी राज्य सरकार ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकती और अगर कोई लेता है तो प्लान ग्रान्ट और लोन में से केन्द्र अगले साल ऐडजस्ट कर लेता है। इसलिए वह ओवरड्राफ्ट का रास्ता बन्द हो गया है। श्रीमन्, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज तक किसी भी सरकार ने हमारे प्रदेश में ओवरड्राफ्ट नहीं लिया और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यू० पी० की सरकार उन चन्द सरकारों में से है जो ओवरड्राफ्ट पर जिन्दा नहीं हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने यह सलाह दी कि टैक्सेज न लगाये जायं। श्रीमन्, हमारा रिजर्व फण्ड १६५ करोड़ का है और सिक्योरिटीज हैं। श्रीमन्, उनको मालूम है कि पिछले तीन-चार सालों में लगभग ६० करोड़ की सिक्योरिटी हम अपने घाटे को पूरा करने में लगा चुके हैं। अब केवल ३०–३५ करोड़ है। वह भी एक साल में खत्म हो जाय तो रिजर्व में कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ भी रिजर्व फण्ड है वह इन्वेस्टेड है। तो इसलिए अगर चौथी योजना के भार को पूरा करना है जितनी मदें हैं उनके लिए खर्चा जुटाना है तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त भार उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ....।

श्री कृष्णानन्द राय––

कितने करोड़ का टैक्स लगायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

जितना आप मन्जूर कर लेंगे।

सम्मानित नेता जनसंघ ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आलोचना की। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों की बात कही और कहा कि जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था तो यह डिपार्टमेंट रुकावट डालता था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने यह कहा था कि किसी सज्जन ने श्री कैलाश प्रकाश से कहा था कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट रुकावट डालता है। मैंने हंस कर कहा था कि रुकावट तो बुरी होती है। वह रुकावट डेस्ट्रक्टिव होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फाइनेंसेज को कन्ट्रोल करने के लिए ही है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी तथा एस्टीमेट्स कमेटी को जितनी मदद फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलती है उतनी किसी और डिपार्टमेंट से नहीं मिलती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ही तो उनका सहारा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, ये बजट पास करा लें, ठीक है, परन्तु बात यह है कि बजट कोई पास कराता है और तत्पश्चात् शासन कोई दूसरा करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ स्वीकृत किया जाय। माननीय सदस्य को नारियल की चिन्ता है। उनको ज्ञात होगा कि जब लक्ष्मणजी को शक्ति लग गयी थी तब हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे?

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या यह भी मालूम है कि मारीच कौन थे?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

पारित नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पारित कहां हुआ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

विचार तो हो ही गया।

खण्ड १,२,३ अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१

31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

प्रस्तावना शीर्षक नाम

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का योग कुल [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 तथा 17, 1971) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 9,16,10,43,700 रुपये (नौ अरब, सोलह करोड़ दस लाख तेतालीस हजार सात सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1971-72 के लिए 9,16,10,43,700 रुपयों का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1	वृहत जोत-कर ..	4,11,100	3,000	4,14,100
2	भू-राजस्व ..	13,55,14,200	17,700	13,55,31,900
3	राज्य आबकारी ..	64,08,400	2,000	64,10,400
4	बिक्री-कर ..	1,37,83,300	5,000	1,37,88,300
5	अन्य कर और शुल्क ..	27,58,700	2,000	27,60,700
6	स्टाम्प ..	21,51,900	1,000	21,52,900
7	निबन्धन ..	38,86,500	200	38,86,700
8	राज्य विधान मण्डल ..	73,52,100	84,200	74,36,300
9	निर्वाचन ..	1,09,81,800	..	1,09,81,800
10	सामान्य प्रशासन ..	3,65,84,700	21,70,200	3,87,54,900
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	14,16,19,700	15,000	14,16,34,700
12	गांव सभाएं और पंचायतें	2,30,19,500	2,000	2,30,21,500
13	न्याय प्रशासन ..	3,74,93,200	68,62,900	4,43,56,100
14	कारागार ..	3,51,01,200	2,000	3,51,03,200
15	पुलिस ..	27,87,69,900	6,000	27,87,75,900
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	1,63,33,300	70,000	1,64,03,300

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	40,41,800	300	40,42,100
18	शिक्षा ..	91,16,58,500	2,000	91,16,60,500
19	चिकित्सा ..	17,26,69,600	11,000	17,26,80,600
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	20,32,68,100	1,700	20,32,69,800
21	कृषि सम्बन्धी विकास ..	21,14,61,000	1,02,500	21,15,63,500
22	उपनिवेशन ..	38,300	100	38,400
23	पशुपालन और मत्स्यपालन	7,00,66,800	3,000	7,00,69,800
24	सहकारिता ..	2,81,72,500	1,500	2,81,74,000
25	उद्योग ..	17,39,19,700	9,500	17,39,29,200
26	नियोजन और समन्वय ..	16,26,37,800	5,000	16,26,42,800
27	श्रम और सेवायोजन ..	4,35,99,500	8,000	4,36,07,500
28	सूचना निदेशालय ..	38,11,900	500	38,12,400
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	7,08,08,300	1,000	7,08,09,300
30	समाज कल्याण ..	79,91,700	500	79,92,200
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	35,12,34,000	2,000	35,12,36,000
32	सिंचाई अधिष्ठान ..	14,46,65,000	4,000	14,46,69,000
33	सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं ..	17,04,45,500	4,10,000	17,08,55,500
34	संचार साधनों का सुधार	90,91,700	..	90,91,700
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	6,22,55,800	5,000	6,22,60,800
36	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	2,10,68,900	..	2,10,68,900
37	परिवहन ..	40,72,52,600	1,55,000	40,74,07,600
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	1,00,02,000	1,00,01,000	2,00,03,000
39	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	5,10,81,100	2,28,800	5,13,09,900
40	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	52,15,000	..	52,15,000
41	लेखन-सामग्री और मुद्रण	2,81,92,700	..	2,81,92,700
42	वन ..	8,52,34,600	40,000	8,52,74,600

अनुसूची —(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
43	प्रकीर्ण व्यय ..	13,68,64,600	7,100	13,68,71,700
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	2,46,55,800	100	2,46,55,900
	*ऋण और दायित्वों पर ब्याज ..	..	48,65,99,200	48,65,99,200
45	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	1,69,01,35,800	1,69,01,35,800
46	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	18,59,15,200	2,000	18,59,17,200
47	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	15,27,16,700	2,05,000	15,29,21,700
48	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	24,57,00,000	..	24,57,00,000
49	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	33,74,93,900	9,000	33,75,02,900
50	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	28,30,80,900	3,00,000	28,33,80,900
51	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	5,75,41,400	2,69,500	5,78,10,900
52	पेंशनों का राशिमूल्य ..	7,41,100	40,000	7,81,100
53	राज्य व्यापार की योजनायें ..	35,80,44,600	100	35,80,44,700
54	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	1,01,84,32,200	..	1,01,84,32,200
	योग ..	6,96,32,40,300	2,19,78,03,400	9,16,10,43,700

*भारित विनियोग।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१, खण्ड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

टैक्स नहीं लगने चाहिए। पास तो कर दिया जाय, मगर किसी किस्म का कोई नया कर न लगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

इतनी खुशी हुई है?

दर्शक दीर्घा से सदन में फेंके गये पर्चों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

आज दीर्घा से कुछ पर्चे फेंके गये। उसके सम्बन्ध में दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। वे बेहोश हो गये। उन्हें होश में आने के लिए तथा स्वस्थ होने के लिए अस्पताल भेजना ही उचित होगा न कि उन पर कोई मुकदमा चलाना और सजा देना। इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ तो दिया, बहुत अच्छा किया। मुख्य मन्त्री जी देखें। छोटे-छोटे बच्चे थे और तोतली भाषा में कह रहे थे "होम्योपैथी छात्र जिन्दाबाद"। बहुत साधारण सा उनका मसला है। उनकी परीक्षा कानपुर में होमियोपथी बोर्ड से कराई जाये। उनकी बात मान लें।

श्री उपाध्यक्ष---

स्वास्थ्य मन्त्री ने इस पर आज एक वक्तव्य दिया था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार कर लें। उनकी इन्नोसेंट मांग है। उस पर आप विचार कर लें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

उनकी मांगें जायज हैं और स्वास्थ्य मन्त्री को उनको स्वीकार करना चाहिए।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न है। माननीय हरिनाथ तिवारी, राजेंद्र कुमार शर्मा तथा जंग बहादुर यादव ने समथर नोटिफाइड एरिया, जिला झांसी के चुनाव स्थगित किये जाने तथा निर्वाचित सदस्यों को शपथ न दिये जाने के सिलसिले में प्रश्न किया है जिसको मैंने ३० अगस्त, १९७१ को वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक मिनिट समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो स्वीकार हो गया है। सूचना ५६ के अन्तर्गत मांगी गई थी और उसी में स्वीकार हुआ है।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

समथर टाउन एरिया के सम्बन्ध में प्रश्न आया था, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष के चुनाव के लिए शासन के आदेश जा चुके ह, इसलिए इसकी ग्राह्यता का औचित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

शपथ की बात है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैंने परसों बाढ़ के बारे में कहा है?

श्री उपाध्यक्ष---

वह स्वीकार हो गया था।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

इस टाउन एरिया में ३ सदस्यों का मनोनयन शासन द्वारा होता था, शासन ने न्याय विभाग के परामर्श से यह कार्य कर दिया है और उन आदमियों की शपथ हो गई है और वह चुनाव करेंगे, तो ग्राह्यता का औचित्य नहीं है, और न चर्चा की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

जो जवाब दिया है...

श्री बांके लाल---

मैंने बाढ़ के बारे में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह स्वीकार हो गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मैंने एक नियम ५१ में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मन्त्री ने समथर नोटीफाइड एरिया के बारे में दो बातें कही हैं और उसके आदेश निकल चुके हैं। तो यह खतम हुआ। अब बाढ़ वाला रह गया बाकी सभी अस्वीकृत हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैंने ५१ में दिया था कि दिल्ली के लड़के जो यू० पी० में नहीं बैठे हैं उनका एडमीशन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ३१ तारीख के लिए नियम ५१ में स्वीकार कर लिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। यह क्या हाल है?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें या चले जायं।

श्री कृष्णानन्द राय---

खड़े होकर बात कर रहे हैं। बजट क्या पास हो गया है, छूट हो गई है।

गोंडा रेलवे स्टेशन पर बम बनाने का सामान पकड़े जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

दिनांक १६ अगस्त, १९७१ को प्रातः २ बजकर १५ मिनट पर गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर दो व्यक्ति (१) श्री विजय कृष्णा मेहरोत्रा, पुत्र श्री रमाशंकर मेहरोत्रा, निवासी मुहल्ला गुदड़ी, थाना कोतवाली बहराइच, हाल निवासी द्वारा सच्चिदानन्द टंडन, मुहल्ला राम नगर, गली नं० २, आलमबाग, लखनऊ, तथा (२) श्री जिव लाल गुरंग, पुत्र करन वीर नेपाली, निवासी ग्राम बुरती बाग, थाना बांगलुंग, जिला धौलागिरि, नैपाल, हाल नौकर सन्तपाल कूलू बाजार हिमांचल प्रदेश, को जी० आर० पी० पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में पाया गया। उनकी तलाशी लेने पर निम्नलिखित सामान बरामद हुआ:---

(१) श्री विजयकृष्ण मेहरोत्रा---

एक टीन का बक्स जिसके अन्दर एस० जी० ८० तथा एस० जी० ६० की गोलियां व कुछ खुली गोलियां, एक लच्छी पलीता, ७ पैकेट डिटोनेटर, कुल वजन बक्स सहित साढ़े ३२ किलोग्राम।

(२) श्री जिवलाल गुरंग---

एक टीन का बक्स जिसके अन्दर ५ पैकेट एस० जी० ६० तथा एस० जी० ८० गोलियां, कुछ खुला एक्सप्लोसिव का सामान, ३ अच्छी पलीता तथा एक झोले के अन्दर ३ पैकेट डिटोनेटर तथा एक किलो किसी बीज के शक्ल का पदार्थ, कुल सामान बक्स सहित ३० किलोग्राम।

बरामद विस्फोटक पदार्थ की क्षमता का पता लगाने हेतु उसका परीक्षण विस्फोटक पदार्थ इंस्पेक्टर आगरा द्वारा करवाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में एक केस धारा ४/५ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज ऐक्ट व १०७ रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत, थाना जी० आर० पी० में पंजीकृत किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा मामले की जांच हो रही है।

प्रदेश में घुसपैठियों की जंगल में आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न इस सम्बन्ध में विदेशियों का कोई षडयन्त्र ही ज्ञात हुआ है। गोंडा व बहराइच जिलों के जिन जंगलों की सीमा नैपाल से उत्तरी भाग में मिलती है उन जंगलों में नैपाली नागरिकों द्वारा अवैध शिकार की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए वन विभाग के आर्म्ड गार्ड गश्त करते हैं तथा जागरूक हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जब कि पाकिस्तान से लड़ाई का खतरा बना हुआ है और यह जो सामान पकड़ा गया इससे सैकड़ों बम बन सकते थे। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सामान कहां जा रहा था?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

सूचना मिली है कि यह सामान नैपाल भेजा जा रहा था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

और कहां से भेजा जा रहा था?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

लखनऊ से नैपाल को भेजा जा रहा था।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि विस्फोटक पदार्थ लखनऊ से नैपाल जा रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पकड़े गए उन्होंने इसका प्रयोजन क्या बतलाया?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इसकी छानबीन की जा रही है कि इसका क्या कारण था। दो व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये हैं उनमें एक तस्कर व्यापारी है और दूसरे के बारे में भी छानबीन जारी है। मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है और इसीलिए इन व्यक्तियों को अभी जमानत पर भी नहीं छोड़ा है। जब तक सी० आई० डी० की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

ये जो व्यक्ति पकड़े गये इनमें एक नैपाल का और दूसरा हरियाना का है, यह जानकारी मन्त्री जी को है और जो सूचना मन्त्री जी ने दी है तो क्या यह नहीं हो सकता कि यह सामान कहीं बाहर से आया हो। क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ऐसे कौन से तथ्य मिले जिन पर आप कह रहे हैं कि लखनऊ से सामान भेजा जा रहा था?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और एक व्यक्ति भागा हुआ है जिसकी तलाश जारी है। क्या उद्देश्य था उसकी जानकारी तब मिलेगी जब कि सी० आई० डी० जांच कर ले।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मन्त्री जी के बयान से सम्बन्धित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो गन काटन स्लैब जिसको टी० एन० टी० कहते हैं और डिटोनेटर जो पकड़ा गया उस पर कहां का स्टैम्प था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह आगरा जांच के लिए भेजा गया है।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

उसमें जांच की जरूरत नहीं है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

माननीय दुबे जी अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

मेरा प्रश्न स्पष्ट था। टी० एन० टी० या डिटोनेटर जहां भी बनता है देश का हो या विदेश का, उस पर मैनुफैक्चरिंग स्टाम्प रहता है। तो उस सामान पर मैनुफैक्चरिंग स्टैम्प था या नहीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इतनी विस्तार से इस समय सूचना नहीं है आगरा विस्तृत जांच के लिए भेजा है। उसकी जांच हो रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या उनके घरों की भी तलाशी ली गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सारी जांच मान्यवर, सी० आई० डी० कर रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या इसकी भी जांच की गई कि यह जो सामान लखनऊ से भेजा जा रहा था इसका अड्डा कहां पर है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जहां-जहां से भी सूचना मिल रही है सारे स्थानों की छानबीन हो रही है।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

जो लोग पकड़े गये हैं क्या उनका सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

लखनऊ से नैपाल इस तरह का सामान भेजे जाने की क्या यह पहली घटना है या इसके पहले भी भेजा गया था ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह सामान जो नैपाल जा रहा था वह वहां किस दृष्टि से जा रहा था---किसी इंडस्ट्रियल आस्थान को नष्ट करने के लिए या किसी ट्रेनिंग आदि के लिए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अभी तो सारे तथ्यों की जांच सी० आई० डी० कर रही है। जांच से पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मन्त्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि गोंडा और बहराइच के जंगलों में अवैध रूप से जब यह नैपाली शिकार खेलने आते हैं तो तमाम हथियार वगैरह साथ लेकर आते हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इसके लिये वन विभाग ने अपनी मशीनरी को सतर्क कर दिया है। वैसे इस बात की और जांच करा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, ३० तारीख को ११ बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १९ मिनट पर सोमवार, ३० अगस्त, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ अगस्त, १९७१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४८ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

नयी धारा १९ का बढ़ाया जाना

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अग्नि, भीड़ कृत हिंसा आदि द्वारा नष्ट किये गये परिस्थानों के किरायेदारों को विशेष संरक्षण

"१९ (१) यदि ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग जो किरायेदारी के प्रारम्भ होने के समय इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित परिस्थान था, अग्नि, तूफान, बाढ़, अथवा सामूहिक हिंसा से नष्ट हो जाय अथवा उन प्रयोजनों के लिए जिनके निमित्त वह किराये पर उठाया गया हो अनुपयुक्त हो जाय, तो किरायेदार को, उसे उन प्रयोजनों के निमित्त जिनके लिये वह किराये पर उठाया गया हो उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से, अपने व्यय पर पुनर्निर्माण करने या मरम्मत करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी क्षति स्वयं किरायेदार के त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुई हो तो वह इस उपबन्ध का लाभ उठाने का हकदार न होगा।

(२) यदि किरायेदार उपधारा (१) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी प्रकार का पुनर्निर्माण या मरम्मत करता है, तो—

(क) इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत की गई सम्पत्ति उसको किरायेदारी में समाविष्ट समझी जायगी,

(ख) किरायेदार को, किरायेदारी जारी रहने के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात्, इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत की गई सम्पत्ति या उसके भाग को गिरान अथवा सचल किस्म के किन्हीं उपस्कारों या फिक्सचर्स से भिन्न, सम्पत्ति में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटाने का हक न होगा।

(३) धारा १ की उपधारा(२-ए) के तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड (३) या धारा १-ए में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(क) उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी सम्पत्ति से किरायेदार को बेदखल करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद धारा ३ में अभिदिष्ट अनुज्ञा या आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जायगा :

पतिबन्ध यह है कि धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (सी) में उल्लिखित आधार पर कोई वाद इस कारण प्रस्तुत नहीं किया जायगा कि किरायेदार ने उपधारा(१)में उल्लिखित परिस्थितियों में व उसमें उल्लिखित प्रकार का पुनर्निर्माण या मरम्मत कराया है :

(ख)यदि किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए २ मार्च, १९७१ के पश्चात् और उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९७१ की प्रवृत्ति के पूर्व कोई ऐसा वाद प्रस्तुत किया गया हो या किसी ऐसे वाद में कोई डिक्री पारित की गई हो, जो यदि वाद संस्थित किये जाने के समय खंड(क)के उपबन्ध प्रवृत्त होते तो संघार्थ न होता, तो किरायेदार उक्त अधिनियम के इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा वाद संस्थित किये जाने की जानकारी होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, एक माह के भीतर किरायेदारी के अन्तर्गत परिस्थान के प्रयोग और अध्यासन करने के लिए किराया और क्षतिपूर्ति की ऐसी सम्पूर्ण धनराशि(प्रयोग और अध्यासन करने के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की गणना किराये की दर पर की जायेगी)जो उसके द्वारा देय हो, और वाद तथा निष्पादन कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में मकानदार का पूरा परिव्यय न्यायालय में बिना किसी शर्त के जमा कर सकता है और तदुपरान्त ऐसे किसी वाद में कोई डिक्री पारित नहीं की जायगी और यदि कोई डिक्री पारित की गई हो तो वह निष्पादित नहीं की जायगी और यदि कोई डिक्री निष्पादित की गई हो तो निष्पादक न्यायालय बेदखल किरायेदार के आवेदन-पत्र पर पक्षों को उसी स्थिति में कर देगा जो उनकी होती यदि ऐसी डिक्री पारित नहीं होती, और इस प्रयोजन के लिए सम्पत्ति से डिक्रीदार अथवा उसके अधिकारांतर्गत दावा करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा ।

(४) इस धारा के उपबन्ध सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि २ मार्च, १९७१ को अलीगढ़ में हुए दुर्भाग्य धूर्ण दंगों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ दुकानें तथा अन्य भवन पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट कर दिये गये थे। इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए, ऐसे भ-गृहादि के कुछ मकानदार किरायेदारों को या तो इस आधार पर खाली करने के लिए धमका रहे हैं कि किराये पर उठाये गये भू-गृहादि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ में यथापरिभाषित 'एकोमोडेशन' के अन्तर्गत नहीं रहे और इस प्रकार उक्त ऐक्ट द्वारा शासित नहीं रहे, अथवा यह कि किरायेदारों ने अपनी किरायेदारी के अधीन परिस्थान में "सारवान परिवर्तन" किये हैं अतः वे ऐक्ट की धारा ३ (१) (सी) के अधीन बेदखली के योग्य हैं।

यह लोक हित में है कि ऐसे भू-गृहादि के किरायेदारों को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण दिया जाय अथवा यदि उन्हे बेदखल कर दिया गया हो तो उन्ही शर्तों पर, जो बेदखल किये जाने के पूर्व थीं भू-गृहादि पर पुनः कब्जा दिया जाय। अतएव, इस प्रकार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने के लिए उपरोक्त ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९७१ तदनुसार पुनःस्थापित किया जाता है।

बेनीसिंह,
खाद्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा